VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

नवम्बर - 2017

VISIONIAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान....6

1.1. संसदीय सत्र....6

1.2 अंतर्राज्यीय परिषद 7

1.3 वित्त आयोग....8

1.4 न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा पर संदेह 9

1.5 पंचायती राज संस्थानों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने हेतु कार्यक्रम 10

1.6 सिक्किम विधानसभा की सीटों में वृद्धि 12

1.7 पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना 12

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध....14

2.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार....14

2.2. बेल्ट एवं रोड पहल....15

2.3. आसियान 16

2.4. क्वाड्रीलैटरल बैठक 19

2.5. भारत-श्रीलंका....20

2.6. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश का पुनर्निर्वाचन 21

2.7. भारत-सिंगापुर....22

2.8. संयुक्त राष्ट्र भागीदारी निधि....23

2.9. साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन....23

2.10. ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप समिट 24

2.11. आतंकवाद से संघर्ष हेतु इस्लामी गठबंधन 25

2.12. यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में भारत की सदस्यता 25

3. अर्थव्यवस्था....27

3.1. कृषि निर्यात संवर्धन....27

3.2. भारत में मत्स्यन क्षेत्र 29

3.3. बीज उद्योग 30

3.4. विद्युत में ओपन एक्सेस 32

3.5. राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण 33

3.6. दूरसंचार क्षेत्र के लिए ट्राई की सिफारिशें 34

VISION IAS

3.6.1. नेट न्यूट्रैलिटी 34
3.6.2. स्पेक्ट्रम रिलैक्सेशन 35
3.7. द्विपक्षीय ट्रान्सफर प्राइसिंग पालिसी में रियायत 35
3.8. डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क पर श्वेत पत्र 36
3.9. तटीय आर्थिक क्षेत्र 38
3.10. परिधान क्षेत्र 40
3.11. नए प्रत्यक्ष कर कानून मसौदा हेतु टास्क फोर्स 41
3.12. लॉजिस्टिक क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा 42
3.13. राष्ट्रीय ऊर्जा पोर्टल 43
3.14. ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 43
3.15. RKVY-रफ़्तार 44
3.16. ड्रोन के लिए ड्राफ्ट मानदंड 45
3.17. भौगोलिक संकेतक 46
3.18. वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 47
3.19. सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं 48
3.20. भारतीय विमानन क्षेत्र की लेखापरीक्षा 49
4. सुरक्षा 50
4.1. द्वीप विकास एजेंसी 50
4.2. बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा में वृद्धि 51
4.3. ब्रह्मोस 52
4.4. संप्रीति 2017 53
4.5. निर्भय सब-सोनिक क्रूज मिसाइल 53
4.6. अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास 54
5. पर्यावरण 55
5.1.प्रतिपूरक वनीकरण पर नए दिशा-निर्देश 55
5.2. बाँस अब वृक्ष की श्रेणी में नहीं 56
5.3. क्लाइमेट चेंज परफॉरमेंस इंडेक्स (CCPI) 57
5.4. भारत में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन 57
5.5. UN एमिशन गैप रिपोर्ट 2017 58
5.6. दिल्ली में स्मॉग 59

VISION IAS

5.7. प्रदूषणकारी ईंधनों पर प्रतिबंध....60
5.8. बॉन क्लाइमेट चेंज कांफ्रेंस....62
5.9.पर्माकल्चर 63
6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 65
6.1. अन्तरिक्ष गतिविधि विधेयक, 2017 65
6.2. स्कोपिंग रिपोर्ट ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन इंडिया 66
6.3. आदित्य L1 68
6.4. प्राचीनतम सर्पिल आकाशगंगा की खोज....68
6.5. नए परजीवी पादप की खोज....69
7. सामजिक मुद्दे....70
7.1. बाल यौन शोषण के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देश....70
7.2. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2017....71
7.3. इंडिया स्टेट लेवल डिज़ीज़ बर्डन रिपोर्ट 72
7.4. निजी स्वास्थ्य सेवा 74
7.5. भारत युवा विकास सूचकांक एवं रिपोर्ट 2017 75
7.6. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम....76
7.7. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना....77
7.8 महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन 78
7.9. वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 79
7.10. समेकित बाल विकास योजना (ICDS) के अंतर्गत उप योजनाएं 81
7.11. मास्को घोषणा पत्र....81
7.12. हाथीपाँव (एलिफेण्टिएसिस)....82
8. संस्कृति 84
8.1. श्रीरंगम मंदिर के लिए यूनेस्को पुरस्कार....84
8.2. चेन्नई यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की सूची में 84
8.3. भारतीय नौसेना का इतिहास....85
9. नीतिशास्त्र....86
9.1. सिविल सेवकों को नीतिशास्त्र की शिक्षा....86
9.2. सहिष्णुता का गुण और उसका अनुशीलन 87
10. विविध....89

VISION IAS

10.1. सौभाग्य पोर्टल 89
10.2. लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा पहल 89
10.3. उमंग ऐप 89
10.4. भारत सड़क आकलन कार्यक्रम...89
10.5. निवेश बंधु...90
10.6. दीनदयाल स्पर्श योजना..90

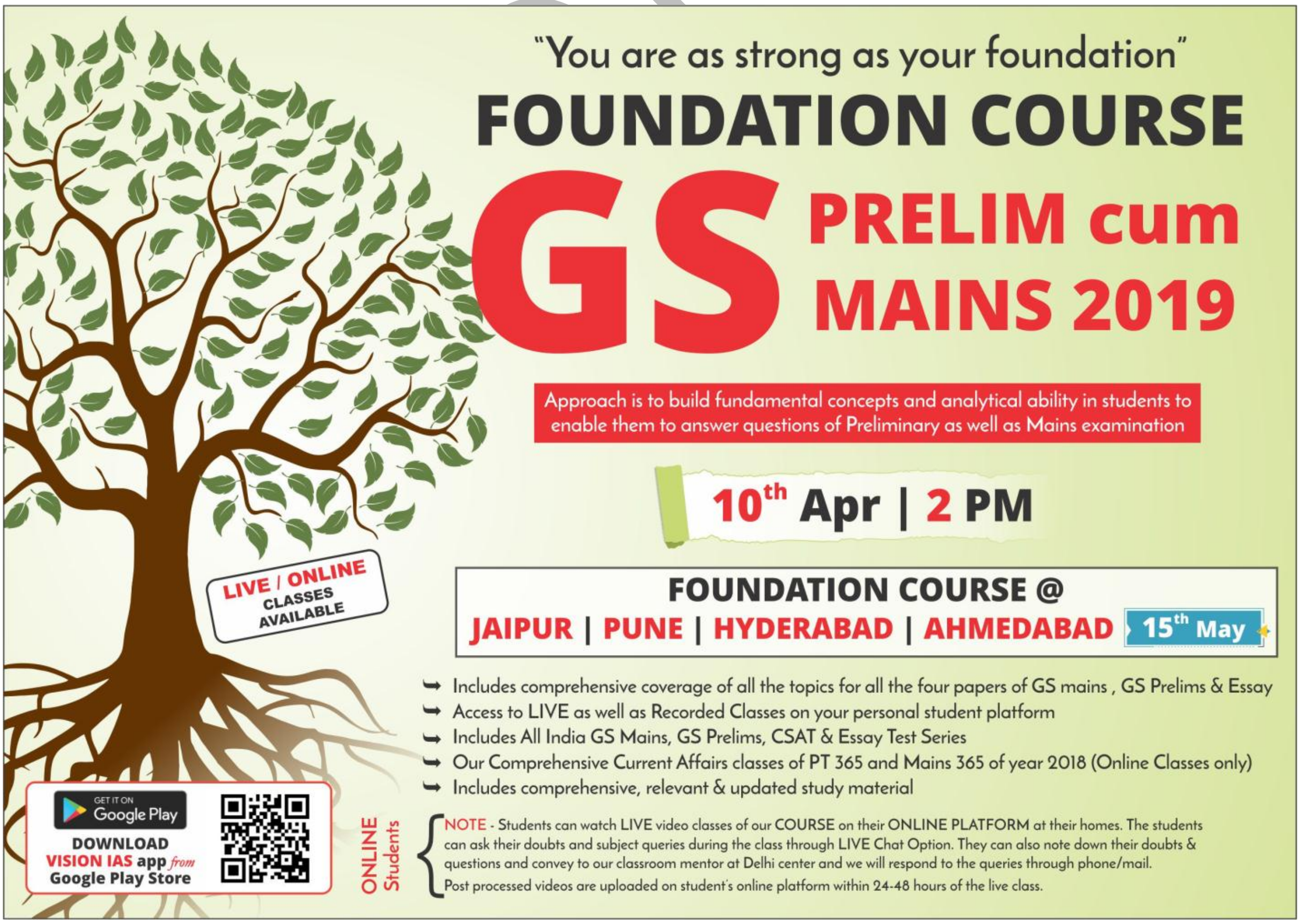

1. राजव्यवस्था और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

1.1. संसदीय सत्र

(Parliamentary Sessions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संसद के शीतकालीन सत्र में दो सप्ताह का विलंब हुआ है। इसने संसदीय कार्य प्रणाली के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न की हैं।

पृष्ठभूमि

- परंपरा के अनुसार, एक वर्ष में संसद के तीन सत्रों का आयोजन किया जाता है: **वर्ष के आरम्भ में आयोजित होने वाला बजट सत्र, तीन सप्ताह का मानसून सत्र (जुलाई-अगस्त) और शीतकालीन सत्र (नवंबर-दिसंबर)।**
- प्रत्येक सत्र के आयोजन की तिथियों को कम से कम 15 दिन पूर्व घोषित किया जाता है ताकि सदस्यों को अपने प्रश्न प्रस्तुत करने और इन पर संसदीय कार्यवाहियों हेतु नोटिस देने का समय मिल सके।
- संविधान में विशिष्ट रूप से ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया है जिसमें बताया गया हो कि संसद की बैठक कब या कितने दिनों में होनी चाहिए। हालांकि, संविधान के **अनुच्छेद 85** में उपबंध है कि **दो संसदीय सत्रों के मध्य छः महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए**। यही राज्य विधायिकाओं पर भी लागू होता है।
- राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हुए संसद के सत्र को "ऐसे समय और स्थान पर आहूत कर सकता है जिसे वह उचित समझे"। अतः, संसद के सत्र को आहूत करना सरकार पर निर्भर होता है।
- व्यवधानों के कारण होने वाले स्थगनों सहित, विभिन्न कारणों के चलते संसद की बैठकें 120 दिन प्रतिवर्ष से घटकर 65-70 दिन प्रतिवर्ष हो गयी हैं।
- राज्य विधानसभाओं की कार्यप्रणाली भी एक गंभीर स्थिति प्रदर्शित करती है। पिछले पाँच वर्षों में 20 विधानसभाओं के आँकड़े इंगित करते हैं कि उनकी एक वर्ष में औसतन मात्र 29 दिनों के लिए ही बैठकें हुईं।

STEADY DECLINE

Lok Sabha	Sittings per 100 days of tenure	Average session duration (days)
1	37.3	45.1
2	31.9	36.3
3	32.2	36.1
4	33.6	39.1
5	28.7	34.1
6	30.3	29.7
7	25.6	30.7
8	27.1	34.9
9	23.4	15.6
10	23.7	26.4
11	22.0	20.8
12	21.4	22.0
13	22.5	25.4
14	18.2	22.1
15	19.6	23.8
16	19.5	21.4

संसद सत्र महत्वपूर्ण क्यों है?

- **लोकतांत्रिक चर्चाओं के लिए मंच-** कानून का निर्माण संसदीय सत्रों पर निर्भर होता है। ये सत्र राष्ट्रीय मुद्दों पर लोकतांत्रिक बहस और चर्चाओं हेतु भी उत्तरदायी होते हैं।
- **कार्यपालिका की जवाबदेही-** कार्यपालिका विभिन्न **संसदीय उपायों जैसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और अभिभाषण पर चर्चा** के माध्यम से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।

ऐसी स्थितियों के परिणाम

- **विधायी कार्यों से समझौता-** अल्पकालीन संसदीय सत्र का प्रत्यक्ष परिणाम विधेयकों और बजट को बिना किसी बहस और चर्चा के शीघ्रता से पारित करने के रूप में होता है। बीते वर्षों के दौरान, बजट पर चर्चाओं में लगने वाला समय 1950 के औसतन 123 घंटे से घटकर पिछले दशक तक 39 घंटे हो गया।
- **असहमति व्यक्त करने के अवसरों का अभाव-** विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (2001) ने यह निष्कर्ष निकाला कि सांसदों को पर्याप्त समय उपलब्ध न होने के कारण वे अपने मुद्दों को संसद के पटल पर प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं जो उनके असंतोष का एक कारण बनता है। सांसदों द्वारा संसद में व्यवधान उत्पन्न करने का यह एक प्रमुख कारण है।
- **वैधता में कमी-** संसद की बैठकों की संख्या में कमी से विधि निर्माण करने वाली उच्चतम संस्था के रूप में इसकी छवि प्रभावित होती है और इससे नागरिकों के समक्ष प्रतिनिधियों के सम्मान में भी आती है।

आगे की राह

- सत्र की तिथियों के एकमात्र निर्धारक के रूप में **सरकार की शक्ति को कम करना**। सरकार की संसद सत्र बुलाने की शक्ति, कार्यपालिका के विधायिका के प्रति उत्तरदायी होने वाले सिद्धांत की विरोधी है।

VISION IAS

- संसद को बैठकों की संख्या बढ़ानी चाहिए तथा इन बैठकों के संदर्भ में स्पष्ट कार्य योजना होनी चाहिए। **संविधान की कार्य-समीक्षा के लिए बनाए गए राष्ट्रीय आयोग** ने अनुशंसा की है कि लोकसभा और राज्य सभा के लिए बैठकों की न्यूनतम संख्या क्रमशः 120 और 100 सुनिश्चित की जाए।
- प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में बैठकों का कैलेंडर घोषित किया जा सकता है। इससे सदस्यों को पूरे वर्ष के लिए बेहतर योजना बनाने में सहायता मिलेगी। साथ ही उस दशा में सत्र को स्थगित करने की सम्भावना भी कम हो जाएगी जब सरकार कुछ अत्यावश्यक मुद्दों पर संसद द्वारा की जाने वाली समीक्षा को टालना चाह रही हो।

1.2 अंतर्राज्यीय परिषद

(Inter-State Council)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में अन्तर्राज्यीय परिषद और अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया है।

पृष्ठभूमि

- संविधान का **अनुच्छेद 263** एक अन्तर्राज्यीय परिषद (ISC) के गठन का प्रावधान करता है।
- न्यायमूर्ति **आर. एस. सरकारिया** की अध्यक्षता में गठित आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि:
  - अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर सरकारी परिषद (IGC) नामक एक **स्थायी अन्तर्राज्यीय परिषद** को स्थापित किया जाना चाहिए।
  - IGC को सामाजिक-आर्थिक योजना और विकास के अतिरिक्त, अनुच्छेद 263 के खंड (b) और (c) में निर्दिष्ट दायित्वों को सौंपा जाना चाहिए।
- इस प्रकार, 1990 में अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई।

अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को निम्नलिखित मुद्दों पर **जाँच, चर्चा और सलाह** देने के लिए एक अन्तर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है:

(a) विवाद, जो राज्यों के मध्य उत्पन्न हो गए हों;

(b) उन विषयों पर, जिनमें कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के समान हित हों; या

(c) लोक हित के किसी विषय पर अनुशंसा करने और विशिष्टतया उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक बेहतर समन्वयन के लिए अनुशंसाएं करने।

- इसके कार्य उच्चतम न्यायालय को अनु.131 के तहत प्रदत्त, सरकारों के मध्य कानूनी विवादों के निर्णयन के क्षेत्राधिकार के पूरक हैं।

ISC के संबंध में

- यह अन्तर्राज्यीय, केंद्र-राज्य तथा केंद्र व संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के लिए एक **परामर्शदात्री संस्था** है।
- यह एक **स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है**, किंतु इसे किसी भी समय 'स्थापित' किया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है।
- परिषद की वर्ष में कम से **कम तीन बैठकें** होनी चाहिए।
- 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों पर सतत परामर्श और निपटान हेतु परिषद की **स्थायी समिति** की स्थापना की गयी थी। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं-
  - केंद्रीय गृह मंत्री
  - पाँच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
  - नौ मुख्यमंत्री
- 1991 में परिषद की सहायतार्थ एक अन्तर्राज्यीय परिषद सचिवालय की स्थापना की गयी जिसका प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है।

ISC की संरचना

- अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री
- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
- विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री
- उन संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक जहाँ विधानसभा नहीं हैं
- राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों के राज्यपाल
- प्रधानमंत्री द्वारा नामित (गृहमंत्री सहित) छः केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री

VISION IAS

ISC का महत्व

- **संवैधानिक समर्थन-** केंद्र सरकार के सहयोग हेतु अन्य मंचों के विपरीत, ISC को संवैधानिक समर्थन प्राप्त है जो राज्यों की स्थिति को मजबूत करता है।
- **वार्ता हेतु मंच-** केंद्र और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग राजनैतिक दलों द्वारा शासन किए जाने के कारण वार्ता की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार, ISC राज्यों को अपनी चिंताओं पर चर्चा करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।
- **निर्णयन प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत बनाना -** अधिक विकेन्द्रीकृत राजनीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य वार्ता की आवश्यकता होती है। इस दिशा में अंतर्राज्यीय परिषद पहला महत्वपूर्ण कदम है।
- **सरकारों को अधिक जवाबदेह बनाती है-** वार्ता एवं चर्चा हेतु एक मंच होने के कारण, यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारों को अपने कार्यों के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाती है।
- **एक सुरक्षा वाल्व-** यह परिषद केंद्र और राज्यों के मध्य विश्वास की कमी को दूर करने में सहायता करती है। हालाँकि यह हमेशा समस्या का समाधान नहीं कर पाती है, फिर-भी इसने कम से कम एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य किया है।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

- केंद्र में बहुमत से एक-दलीय सरकार की वापसी हुई है। इससे संघीय ढाँचे के सामंजस्यपूर्ण कार्य करने हेतु, ISC जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से **अंतर-सरकारी तंत्र** को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पुनः प्रबल हुई है।
- इसे अनु. 263 (a) के अनुरूप **संविधान में समाविष्ट सभी शक्तियाँ** प्रदान की जानी चाहिए।
- *सिविल सोसायटी इंस्टीट्यूशंस* और *कॉर्पोरेट क्षेत्र* को ISC के अंदर अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने का **अधिक अवसर** प्रदान किया जाना चाहिए।
- परिषद की नियमित बैठकें होनी चाहिए जिससे वह प्रभावी रूप से अपना कार्य कर सके।
- इसके अतिरिक्त, इसके सचिवालय को केंद्रीय गृह मंत्रालय से राज्यसभा सचिवालय में **स्थानांतरित** किया जा सकता है ताकि वह केंद्रीय गृहमंत्री के स्थान पर, (एक तटस्थ संघीय कार्यकर्ता) भारत के उपराष्ट्रपति के निर्देशन में संचालित हो सके।

1.3 वित्त आयोग

(Finance Commission)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने एन. के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग (FC) के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- इसे 30 अक्टूबर 2019 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

वित्त आयोग के बारे में

- संविधान के **अनुच्छेद 280** के अंतर्गत एक **अर्द्ध-न्यायिक निकाय** के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है।
- इसका **गठन राष्ट्रपति द्वारा** प्रत्येक 5वें वर्ष या उससे पहले किया जाता है, जैसा भी वह आवश्यक समझे।
- वित्त आयोग राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर अनुशंसाएँ प्रस्तुत करता है-
    - संघ और राज्यों के मध्य **करों की निवल आय का वितरण** और इस आय का राज्यों के मध्य आवंटन।
    - संघ द्वारा राज्यों को भारत की संचित निधि से दी जाने वाली **अनुदान सहायता को शासित करने वाले सिद्धांत**।
    - राज्य वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर राज्य में स्थानीय सरकारों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की **संचित निधि में वृद्धि हेतु आवश्यक उपाय**।
    - राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।
- वित्त आयोग की सिफारिशों की **प्रकृति केवल सलाहकारी** होती है।
- **संविधान** वित्त आयोग को केंद्र और राज्यों के मध्य ऊर्ध्वाधर और राज्यों के मध्य क्षैतिज रूप से करों के वितरण के मुख्य विषय के अतिरिक्त भी कुछ अन्य कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। यह वित्त आयोग को **'मजबूत वित्त' के हित में व्यापक अनुशंसाएँ** प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करता है।

संरचना और अर्हताएँ-

- इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर होता है।
- संविधान ने संसद को आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन की विधि का निर्धारण करने का अधिकार प्रदान किया है। तदनुसार- अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। चार अन्य सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जा सकता है-
    - किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के योग्य कोई व्यक्ति।
    - ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो।
    - ऐसा व्यक्ति जिसे वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का व्यापक अनुभव हो।
    - ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो।

VISION IAS

15वें वित्त आयोग के बारे में

- आयोग **संघ की राजकोषीय परिस्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करते हुए**, कर में राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित करेगा। इस प्रक्रिया में वह "*न्यू इंडिया-2022* सहित राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की निरंतर बनी हुई आवश्यकता" और GST के कारण राज्यों के नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखेगा।
- आयोग से निम्नलिखित क्षेत्रों में **मापने योग्य प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों** को प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है-
    - राज्यों द्वारा GST के तहत कर संरचना विस्तार और उसको व्यापक बनाने का प्रयास करना,
    - जनसंख्या वृद्धि में प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने की दिशा में किए गए प्रयास और प्रगति। इसका आशय कुल प्रजनन दर के उस मान से है जिस पर जनसंख्या पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी वृद्धि या कमी के स्थिर बनी रहे,
    - *ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस* में सुधार,
    - स्वच्छता,
    - लोक-लुभावने उपायों पर नियंत्रण,
    - केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं का कार्यान्वियन और आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना (डिजास्टर रेसिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर),
    - कर/गैर-कर राजस्व में वृद्धि हेतु किये गये प्रयासों की प्रगति,
    - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से बचत को प्रोत्साहन देना,
    - डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना आदि।

भारत में वित्त आयोग और संघवाद

- संविधान में वित्त आयोग को **भारत में राजकोषीय संघवाद को संतुलित बनाये** रखने हेतु शामिल किया गया है।
- प्रत्येक उत्तरवर्ती वित्त आयोग को राज्यों को अधिक राजनीतिक संसाधन प्रदान कर राजनीतिक संतुलन का कार्य करना पड़ता है क्योंकि भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में उप-राष्ट्रीय सरकारों का महत्व बढ़ रहा है।
- रक्षा जैसे राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केंद्र की भूमिका को देखते हुए यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि केंद्र वित्तीय रूप पर्याप्त सक्षम बना रहे।
- उत्तरवर्ती वित्त आयोग राज्य को दिए जाने वाले कर राजस्व के अनुपात में वृद्धि करते आए हैं। यह परिवर्तन प्रत्यक्ष करों के बढ़ते महत्व के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय सार्वजनिक महत्त्व के विषयों पर उच्च व्यय करने के कारण आवश्यक था।
- के. सी. नियोगी की अध्यक्षता वाले प्रथम वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को केंद्र द्वारा एकत्रित कुल करों का दसवाँ भाग मिलना चाहिए। इस हिस्सेदारी में तेजी से वृद्धि हुई। वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी राज्यों का हिस्सा 42% होना चाहिए।
- संघवाद का विकास केवल तभी हो सकता है जब केंद्र में एक ऐसी मजबूत एजेन्सी हो जो एक नवीन राजनीतिक अर्थव्यवस्था संतुलन की प्राप्ति हेतु नियमों का विश्वसनीय ढंग से प्रवर्तन करा सके।

1.4 न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा पर संदेह

(Probity in Judiciary under Question)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में एक मेडिकल कॉलेज से संबंधित रिश्वत के मामले में उच्चतम न्यायालय और भारत के मुख्य न्यायधीश (CJI) की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठा है।

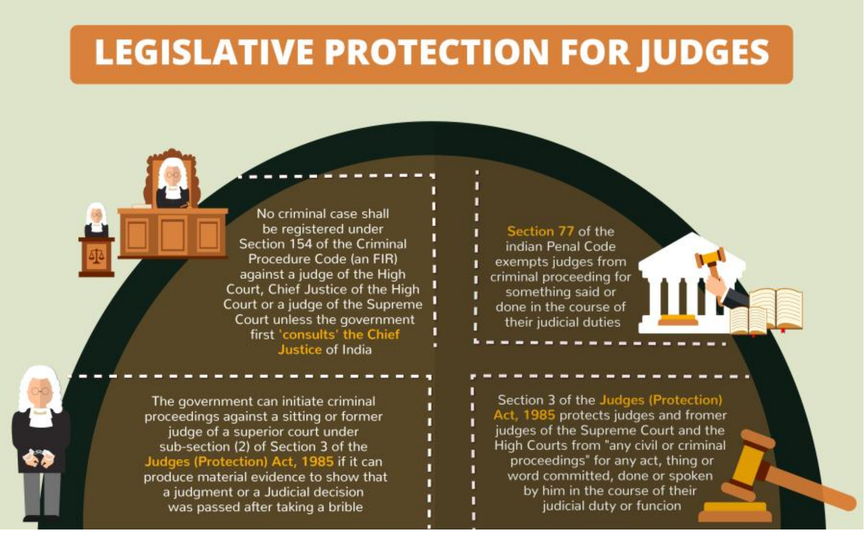

घटना के अनुक्रम का विश्लेषण:

- हाल ही में एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें किसी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में **एक SIT के गठन की माँग की गयी है** जो एक प्रतिबंधित (debarred) निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से सम्बंधित एक मामले में पक्षपातपूर्ण आदेश प्रदान हेतु रिश्वत लेने के संबंध में जाँच करे। याचिका में शामिल मामला वर्तमान CJI द्वारा दिए गए एक निर्णय से सम्बंधित है, हालांकि FIR में उनका नाम नहीं दिया गया है।
- याचिका पर सुनवाई के पश्चात्, न्यायमूर्ति चेलमेश्वर की अध्यक्षता में गठित दो न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया।

- एक अलग कार्यवाही में, CJI की अध्यक्षता में गठित पाँच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने घोषित किया कि 'मुख्य न्यायाधीश ***मास्टर ऑफ़ द रोस्टर*** है', अर्थात् केवल उसी के पास पीठ स्थापित करने का विशेषाधिकार है।
- CJI पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बावजूद उनके द्वारा **प्रशासनिक शक्ति का उपयोग करना न्यायपालिका की नैतिकता पर आघात है** और **हितों का टकराव** भी उत्पन्न करता है। यहाँ CJI स्वयं के मामले में ही न्यायाधीश बने हुए हैं।
- CJI ने आगे कहा कि एक पदासीन न्यायाधीश के विरुद्ध FIR दायर करना उचित प्रक्रिया नहीं है और यह न्यायालय की अवमानना माने जाने योग्य है। इस प्रकार, **न्यायिक जवाबदेहिता** पर एक बड़ी बहस शुरू हो गयी है और यह **न्यायपालिका के नैतिक प्राधिकार** को क्षति पहुँचा रही है।

न्यायिक जवाबदेही से संबंधित मुद्दे

- **न्यायिक भ्रष्टाचार से निपटने हेतु विधायी तंत्र की अपर्याप्तता:** न्यायाधीशों को दोषी ठहराने और उन पर मुकदमा चलाने के समक्ष IPC की धारा 77 और न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 जैसी विधायी कठिनाइयाँ हैं।
- **न्यायिक जवाबदेही बनाम न्यायपालिका की स्वतंत्रता:** न्यायाधीशों की CBI, CVC या अन्य ऐसी ही संस्थाओं द्वारा जाँच की माँग का दुरुपयोग न्यायाधीशों को न्यायिक कार्यों से दूर करने हेतु किया जा सकता है और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है।
- **महाभियोग की समस्या:** यह एक लंबे समय तक चलने वाली और कठिन प्रक्रिया है, जिसमें राजनीतिक पहलू भी शामिल हैं।
- **न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों द्वारा:** भारत में कॉलेजियम प्रणाली एक विशिष्ट व्यवस्था का निर्माण करती है। इसमें लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित कार्यपालिका और संसद की न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं रह जाती है।
- न्यायाधीशों द्वारा अपनी **परिसम्पत्तियों की घोषणा नहीं की जाती है** और न्यायपालिका **RTI के दायरे से बाहर** है। इस विषय में भी सुधार की आवश्यकता है।

प्रभावी न्यायिक जवाबदेही हेतु सुझाव और सुधार

- इस प्रमुख सिद्धांत का पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए कि CJI *मास्टर ऑफ़ द रोस्टर* होता है, जैसा कि U.K. में किया गया था। यद्यपि यह न्यायिक अनुशासन का एक सिद्धांत है, तथापि इसे न्याय वितरण का एक संपूर्ण सिद्धांत नहीं माना जा सकता है।
- एक **दो स्तरीय न्यायिक अनुशासन मॉडल** अपनाया जाना चाहिए। प्रथम स्तर अनुशासनात्मक प्रणाली के रूप में होना चाहिए जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों को गलत आचरण के लिए चेतावनी दी जा सके, उन्हें आर्थिक रूप से दंडित किया जा सके या निलंबित किया जा सके। साथ ही उन्हें उन्मुक्ति के कुछ सीमित उपाय भी प्रदान किये जाएँ। द्वितीय स्तर पर, भ्रष्टाचार सहित गंभीर कदाचार मामलों में न्यायाधीशों को पदच्युत करने की एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।
- यह भी आवश्यक है कि **न्यायिक जवाबदेही का दायरा** न्यायिक नैतिकता और न्यायिक कदाचार से संबंधित मुद्दों से अधिक व्यापक बनाया जाए। एक नए 'न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक' को अपनाने के माध्यम से **"दक्षता और पारदर्शिता"** को भी इसके अंतर्गत लाया जाए।
- इसे **सूचना का अधिकार अधिनियम** के अंतर्गत भी लाया जाना चाहिए। पारदर्शिता या खुलापन, लोकतंत्र और सुशासन के स्वीकृत सिद्धांत हैं।

न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010: इसका उद्देश्य न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 का स्थान लेना है।

- इसके अंतर्गत न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति घोषित करनी होगी। यह न्यायिक मानदंडों को निर्धारित करता है और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने हेतु प्रक्रियाएँ तय करता है।
- इसमें ***नेशनल जुडिशल ओवरसाइट कमेटी***, *कम्प्लेंट स्क्रूटनी पैनल* और एक जाँच समिति स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
- कोई भी व्यक्ति किसी न्यायाधीश के विरुद्ध 'कदाचार' के आधार पर *ओवरसाइट कमेटी* से शिकायत कर सकता है।

2014 में 15वीं लोकसभा के विघटन के पश्चात् यह विधेयक व्यपगत हो गया।

1.5 पंचायती राज संस्थानों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने हेतु कार्यक्रम

(Program to Train Elected Women Representatives of Panchayati Raj Institutions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने पंचायती राज संस्थानों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWRs) के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- MoWCD के राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य **EWRs का क्षमता निर्माण** करना है।

VISION IAS

- यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो लगभग प्रत्येक जिले से लगभग 50 EWRs को शामिल करते हुए मार्च, 2018 तक 20 हजार EWRs को प्रशिक्षित करेगा। ये प्रशिक्षित महिलाएँ **गाँवों में जाकर गाँवों का पेशेवर तरीके से प्रबंधन** करेंगी।
- यह कार्यक्रम *आदर्श ग्राम* के निर्माण में सहायता करेगा। यह शासन प्रक्रिया में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करेगा और भावी राजनीतिक नेताओं के रूप में उन्हें तैयार करने में सहायता करेगा।

कार्यक्रम के बारे में
- इसमें शिक्षा और वित्तीय मामलों पर ध्यान देने के साथ ही सरल इंजीनियरिंग कौशल को शामिल किया जाएगा ताकि वे महिलाओं के मुद्दों की बेहतर समझ प्राप्त कर सकें।
- उन मास्टर ट्रेनर्स को पुरस्कृत भी किया जाएगा जो अपने क्षेत्र की EWRs को सशक्त बनाने में सफल साबित होंगे।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उठाये गए कदम
- 73वें (अनुच्छेद 243D) और 74वें (अनुच्छेद 243T) संवैधानिक संशोधन के माध्यम से PRIs में महिलाओं हेतु कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित की गयी हैं।
- 108वें (महिला आरक्षण विधेयक, जिसमें लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में कुल सीटों का एक तिहाई महिलाओं हेतु आरक्षित करने का प्रावधान है।) 110वें और 112वें (PRIs और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% सीटों को आरक्षित करना) संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तावित किए गए, हालांकि वे समाप्त हो चुके हैं।
- बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में पहले ही 50% सीटें आरक्षित की जा चुकी हैं। सिक्किम में स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए 40% सीटें आरक्षित की गयी हैं।
- राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (NMEW) समग्र प्रक्रियाओं को मजबूती प्रदान कर महिलाओं के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देता है।

EWRs के समक्ष चुनौतियाँ

स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी में सुधार हुआ है और यह वर्तमान में 37% (अखिल भारतीय औसत) है। हालांकि, उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है-
- **निरक्षरता और नेतृत्व कौशल की कमी** जो उन्हें अपने विचारों को मजबूती के साथ प्रकट करने या खुले रूप से व्यक्त करने में बाधा उत्पन्न करता है।
- महिलाओं के पंचायतों में निर्वाचन के पश्चात् भी विभिन्न कारणों जैसे **प्राधिकार की कमी** और **पुरुष वर्चस्व** के कारण, पंचायत में उनका अधिकांश कार्य उनके पतियों द्वारा किया जाता है।
- **पारिवारिक सदस्यों के हतोत्साहित करने वाले रवैये** के कारण पंचायत की बैठकों में EWRs की एक सामान्य अनुपस्थिति रहती है।
- **सामाजिक मिथकों और पूर्वाग्रहों के कारण, महिलाओं में** समूहों या समाजों का **नेतृत्व करने के लिए आत्मविश्वास की कमी** होती है। उदाहरण के लिए, महिलाओं का पंचायत की कार्यवाही के दौरान चुप रहने का एक कारण, पंचायतों के बुजुर्ग सदस्यों के सामने चुप रहने की परंपरा है।
- महिलाओं में सामान्यतः PRIs के ढाँचे और कार्यों के बारे में जानकारी का अभाव तथा **राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी के मामले में पूर्व अनुभव का अभाव** भी होता है। यह महिलाओं की नेतृत्वकर्ता के रूप में संवृद्धि और विकास को बाधित करता है।

प्रशासन प्रक्रियाओं में महिलाओं की प्रभावी तरीके से भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु **EWRs का क्षमता निर्माण** करना महत्वपूर्ण है। यह उनसे अपेक्षित नेतृत्वकारी भूमिकाओं को प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा और उनके गाँवों को एक अधिक समृद्ध भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण करने की आवश्यकता
- **महिलाओं के मानवाधिकारों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनके सुने जाने के अधिकार का सम्मान** किया जाए ताकि भारत में एक स्वस्थ लोकतंत्र को बढ़ावा मिल सके।
- इसके अतिरिक्त, यह भारत में **गरीबी के चक्र को समाप्त करने** में सहायता कर सकता है क्योंकि महिलाएँ स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों के प्रशिक्षण पर अधिक निवेश को प्राथमिकता देती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी **बच्चों और जनसंख्या के सबसे कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा और संरक्षण** को सुनिश्चित करने में महिलाओं की भागीदारी व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है।
- महिला राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति से, नागरिक चर्चाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और महिलाओं और अल्पसंख्यकों द्वारा स्वयं के प्रति होने वाले अपराधों के विरूद्ध आवाज़ उठायी जा सकेगी।

निष्कर्ष

संविधान महिलाओं को समानता प्रदान करता है किंतु समुदाय की प्रथाएं महिलाओं को सशक्त बनने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। उपर्युक्त अवरोधों और चुनौतियों को दूर करने तथा निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उनकी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों का निष्पादन करने में सक्षम बनाने हेतु उनके पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह कार्यक्रम इस आवश्यकता की पूर्ति करता है।

VISION IAS

1.6 सिक्किम विधानसभा की सीटों में वृद्धि

(More Seats for Sikkim Assembly)

सुर्ख़ियों में क्यों?

गृह मंत्रालय ने सिक्किम विधानसभा में सीटों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 40 करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

संबंधित अन्य तथ्य

- उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी थी कि लिम्बू और तमांग (सिक्किम में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित) जनजाति को विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, STs के लिए सीटों की कुल संख्या जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए।
- 2016 में उच्चतम न्यायालय ने गृह मंत्रालय को इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए थे।
- इस प्रकार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की दूसरी अनुसूची में संशोधन प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत सिक्किम विधान सभा में कुल सीटों की संख्या वर्तमान 32 सीटों से बढ़कर 40 हो जाएगी।
- लिम्बू और तमांग समुदायों के लोगों को प्रस्तावित संशोधन में बढ़ी हुई आठ में से पाँच सीटों पर आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
- परिसीमन अधिनियम, 2002 और इसके परिणामस्वरूप **84वें और 87वें संवैधानिक संशोधनों** के अनुसार, 1971 की जनगणना के आधार पर विभिन्न राज्यों को लोकसभा और सभी राज्यों की विधान सभाओं को आवंटित मौजूदा सीटों की कुल संख्या, 2026 के पश्चात् होने वाली प्रथम जनगणना तक नियत रहेगी।
- अनुच्छेद 371(f) के तहत सिक्किम हेतु **विशेष संवैधानिक प्रावधानों** के अनुसार सरकार नए परिसीमन आयोग का गठन किए बिना प्रस्तावित बदलाव कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 170 (विधानसभाओं की संरचना और उनके लिए परिसीमन के कुछ प्रावधान) सिक्किम पर लागू नहीं होता है।

परिसीमन आयोग

- यह जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने हेतु स्थापित एक **सांविधिक निकाय** है।
- संविधान के **अनुच्छेद 82** में प्रावधान किया गया है कि संसद कानून द्वारा प्रत्येक जनगणना के पश्चात् एक परिसीमन अधिनियम पारित करेगी।
- आयोग के आदेश बाध्यकारी होते हैं और इसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- इसकी रिपोर्ट राज्य सभा और राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, किंतु उनके द्वारा इसमें कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- जम्मू-कश्मीर में परिसीमन राज्य संविधान के तहत किया जाता है।

सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान (अनु. 371F, 36वाँ संशोधन अधिनियम, 1975)

- सिक्किम की विधान सभा के सदस्य लोकसभा में सिक्किम के प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे।
- संसद, सिक्किम की जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु विधानसभा में सीटों की संख्या आवंटित कर सकती है, जो कि उन वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा ही भरी जा सकती हैं।
- राज्यपाल के पास "जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने हेतु शांति और समान न्याय उपलब्ध कराने हेतु विशेष उत्तरदायित्व" होगा।
- सिक्किम का गठन करने वाले क्षेत्रों में लागू सभी पूर्व कानून राज्य में लागू रहेंगे और उनमें रूपांतरण या संशोधन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

1.7 पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना

(North East Rural Livelihood Project)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री ने पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना को पूर्वोत्तर के लिए एक विशेष "ग्रामीण आजीविका" योजना के रूप में परिभाषित किया।

पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना

- यह **केन्द्रीय क्षेत्र की बाह्य सहायता प्राप्त बहु-राज्य परियोजना** है जिसे 2012 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था।
- **इस परियोजना को चार राज्यों - मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम** में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें 10,000 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की सहायता करने का लक्ष्य रखा गया है, जो आगे 3 लाख से अधिक परिवारों को लाभ प्रदान करेंगे।
- इस परियोजना के चार प्रमुख घटक हैं - सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, साझेदारी विकास व प्रबंधन और परियोजना प्रबंधन।

VISION IAS

परियोजना के उद्देश्य

- महिलाओं, युवाओं और समुदायों के विकास के लिए **सतत सामुदायिक संस्थानों का सृजन** करना और मौजूदा व्यवस्थाओं (SHGs और युवा समूहों आदि) को सुदृढ़ बनाना।
- **स्वशासन, निचले स्तर से नियोजन और** पारदर्शिता व उत्तरदायित्वपूर्ण **लोकतांत्रिक कार्यपद्धति** हेतु क्षमता निर्माण।
- **आर्थिक और आजीविका अवसरों** में वृद्धि, विशेष रूप से सुदूर क्षेत्रों के आदिवासी और गैर-आदिवासी समूहों के लिए।
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, *माइक्रो फाइनेंस*, विपणन लिंकेज आदि के लिए **सामुदायिक संस्थानों की साझेदारी का विकास**।

परियोजना के लाभ

- SHG सदस्यों और निर्धन परिवारों की आय में क्रमशः 60% और 30% की वृद्धि।
- आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा उद्यमशीलता एवं प्रबंधन कौशल के लिए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता।
- SHGs और अन्य विविध संस्थाओं के माध्यम से ऋण तक बेहतर पहुँच।
- आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम जैसे उत्पादक संगठनों द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों और बाज़ार के साथ बेहतर एकीकरण।
- बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल से सम्बद्ध बेहतर रोजगार अवसरों की वृद्धि।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

(INTERNATIONAL RELATIONS)

2.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार

(UNSC Reform)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया में पारदर्शिता की माँग की।

विषय सम्बन्धी अतिरिक्त जानकारी

सुधार का एजेंडा, 1993 से ही लगातार वार्षिक विचार-विमर्श का विषय रहा है, किन्तु इस मुद्दे पर सर्वसम्मति का अभाव देखा गया। इसका प्राथमिक कारण "संस्थागत जड़ता" है।

UNSC सुधार एजेंडा क्या है?

इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों से सम्बंधित विचार विमर्श शामिल हैं:

- सदस्यता की श्रेणियां
- पाँच स्थायी सदस्यों को प्राप्त वीटो का प्रश्न
- क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व
- विस्तारित परिषद् का आकार और इसकी कार्य पद्धतियाँ तथा
- सुरक्षा परिषद व महासभा के मध्य संबंध

सुधारों की आवश्यकता क्यों है?

- **बदलती भू-राजनीति**: विश्व में शक्ति संबंधों के परिवर्तन के बावजूद UNSC अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के भूराजनीतिक ढांचे को प्रतिबिम्बित करती है। भारत सहित सभी विकासशील देश वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, फिर भी इस मंच पर उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **सुधार बहुप्रतीक्षित हैं**: सुरक्षा परिषद् का विस्तार केवल एक बार 1963 में चार गैर-स्थायी सदस्यों को शामिल करने के लिए किया गया था। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र की कुल सदस्य संख्या 113 से बढ़कर 193 हो गई है, तथापि UNSC की संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है।
- **असमान आर्थिक और भौगोलिक प्रतिनिधित्व**: बड़ी आर्थिक तथा क्षेत्रीय शक्तियाँ यथा जर्मनी (यूरोप), जापान व भारत (एशिया) तथा ब्राजील (लैटिन अमेरिका) अभी भी UNSC का भाग नहीं हैं। इसी प्रकार, अफ्रीका महाद्वीप का कोई भी देश इसका स्थायी सदस्य नहीं है। UNSC का 75 प्रतिशत कार्य अफ्रीका केन्द्रित होने के बावजूद भी इस क्षेत्र का कोई भी देश इसका स्थायी सदस्य नहीं है।

भारत के सदस्यता प्रयासों के पक्ष में तर्क

- भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है।
- भारत **विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र** हैं तथा **जनांकीय व भौगोलिक** दोनों प्रकार से एक महत्वपूर्ण अवस्थिति रखता है।
- भारत विश्व की **दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था** है जो इसे विदेशी निवेश और भविष्य में होने वाली संवृद्धि के लिए आदर्श गंतव्य है।
- भारत **संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों** में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
- भारत के दर्जे का बढ़ाया जाना उसके ऐसी **वैश्विक शक्ति के रूप में उभार को मान्यता** देने जैसा होगा जो सुरक्षा परिषद् के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है।

- **वैधानिकता और विश्वसनीयता का संकट**: अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करने की आड़ में लीबिया और सीरिया में संस्था द्वारा किए गए हस्तक्षेप ने इस संस्था की विश्वसनीयता पर संकट उत्पन्न कर दिया है।
- **उत्तर दक्षिण विभाजन**: पाँच देशों को मिली UNSC की स्थायी सदस्यता, सुरक्षा उपायों संबंधी निर्णयों में उत्तर-दक्षिण के मध्य विभाजन का चित्रण करती है।

जी-4 के देश

- इसके अंतर्गत ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान सम्मिलित हैं। ये UNSC की स्थायी सदस्यता हेतु एक दूसरे के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
- इन्होंने हाल ही में **'त्वरित सुधारों' व विकासशील देशों के लिए बढ़ी हुई भूमिका** तथा परिषद को अधिक औचित्यपूर्ण, प्रभावी और प्रतिनिधिक बनाने के लिए UNSC की कार्य पद्धति में सुधार की माँग की।

VISION IAS

यूनाइटिंग फॉर कन्सेन्सस (UfC) या कॉफ़ी क्लब

- UfC अभियान का उद्देश्य जी-4 देशों के स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के प्रयासों का विरोध करना है।
- ये माँग करते हैं कि UNSC को विस्तारित करने से पूर्व इसके स्वरूप और आकार पर सर्वसम्मति बननी चाहिए।
- इटली इसका नेतृत्व करता है और इसमें पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, अर्जेंटीना और कुछ अन्य देश शामिल हैं।

- **उभरते मुद्दे**: अंतर्राष्ट्रीय खतरों, बढ़ती पारस्परिक आर्थिक निर्भरता, बदतर होते पर्यावरण क्षरण के कारण भी सुधारों हेतु प्रभावी बहुपक्षीय वार्ताओं की आवश्यकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय अभी भी सुरक्षा परिषद के वीटो प्राप्त स्थायी सदस्यों द्वारा लिए जा रहे हैं।

सुधारों में विलम्ब का कारण

- **राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव-** संयुक्त राष्ट्र के नियमानुसार यदि P5 की संरचना बदलनी है तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में बदलाव करना होगा जिसके लिए महासभा के दो-तिहाई सदस्यों और सभी वर्तमान स्थायी सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। उनके मध्य राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के चलते ऐसा होना संभव नहीं है।
- **माँगों में भिन्नता:** सदस्य देशों तथा जी-4, एल.69, अफ़्रीकी समूह, UfC, ऑर्गनाइजेशन ऑफ़ इस्लामिक कांफ्रेंस जैसे क्षेत्रीय संगठनों के बीच सहमति, जवाबदेही, सामंजस्य व पारदर्शिता आदि का अभाव है।
- **वीटो शक्ति-** अनेक देश और समूह स्थायी सदस्यता व वीटो शक्ति की माँग कर रहे हैं तथा P5 इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

निष्कर्ष

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए UNSC के लिए यह आवश्यक है कि सुझाए गए सुधारों को अपनाए ताकि विश्व में इसका औचित्य एवं प्रतिनिधिमूलक स्वरूप बना रह सके। हालांकि, एक निहित विरोधाभास जो सुरक्षा परिषद में सुधार की दिशा में किसी भी प्रगति को बाधित कर रहा है, वह यह है कि- सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु पाँचों शक्तिसंपन्न देशों को अपनी शक्ति का कुछ भाग त्यागने के पक्ष में मतदान करने की आवश्यकता होगी।

इस प्रकार, संगठन की संरचना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए आवश्यक होगा कि-

- हितधारकों के मध्य और गहन चर्चाएँ तथा विचार-विमर्श हो।
- ऐसे मुद्दों पर एक-एक करके आम सहमति बनाने का प्रयास हो जो परिवर्तन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
- P5 व UNSC के अन्य सदस्य मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करें।

2.2. बेल्ट एवं रोड पहल

(Belt and Road Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में चीन ने भारत से अपील की है कि उसे अपनी आपत्तियाँ दरकिनार करते हुए बेल्ट व रोड पहल (BRI) का लाभ उठाना चाहिए।

भारत BRI को लेकर चिंतित क्यों है?

- **चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC):** यह कश्मीर से होकर गुज़रता है और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) पर पाकिस्तान के दावे को वैधता प्रदान कर सकता है। इस प्रकार यह भारत की "संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता" का उल्लंघन करता है।
- **सामरिक अविश्वास**: भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं तथा सीमा विवाद को लेकर इनके साथ भारत का युद्ध भी हो चुका है।
- **सुरक्षा चिंताएं**: चीन पूर्वोत्तर भारत में अपनी उपस्थिति को और अधिक बढ़ा रहा है। इसके तहत यह रोड पहल के माध्यम से बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार (BCIM) में तथा बेल्ट पहल के माध्यम से हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। यह परोक्ष रूप से "स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स" की नीति ही है।
- **सैन्य शक्ति का प्रदर्शन**: ग्वादर जैसे बंदरगाह पनडुब्बियों और विमान वाहक पोतों के संचालन के लिहाज से पर्याप्त गहरे हैं, जिनका इस्तेमाल भविष्य में सैन्य बंदरगाह के रूप में किया जा सकता है।
- **न्यू ग्रेट गेम**: इस क्षेत्र में चीन के विस्तार को "न्यू ग्रेट गेम" का नाम दिया जा रहा है जो 19वीं और 20वीं सदी के दौरान ब्रिटेन और रूस के बीच दक्षिण व मध्य एशिया में अपना-अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हुए संघर्ष जैसा है।
- **पारदर्शिता का अभाव**: BRI चीन की एक-तरफा पहल है और इसकी कार्य पद्धति में पारदर्शिता का अभाव है।

BRI में शामिल होने के पक्ष में तर्क

- **आर्थिक सहयोग**: चीन का पक्ष है कि CPEC गलियारा आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है। यह किसी तीसरे देश को लक्षित करके नहीं बनाया जा रहा तथा इसके अंतर्गत सीमा विवाद शामिल नहीं है। इसमें शामिल होने वाले देशों के मध्य आर्थिक सहयोग बढ़ेगा, जिसका भविष्य में आपसी संबंधों में सुधार की दिशा में सकारात्मक प्रभाव हो सकता है।

* **व्यापार लाभ**: OBOR भारत के लिए न केवल समुद्री मार्ग से अपितु सड़क अवसंरचना के माध्यम से भी व्यापार सम्भावनाओं के नए द्वार खोल सकता है।
* **अवसंरचना**: यह भारत के लिए दोहरे लाभ की स्थिति हो सकती है जिसके तहत भौगोलिक एकीकरण के माध्यम से इसके क्षेत्रीय परिवहन, ऊर्जा सुरक्षा, और सामुद्रिक अर्थव्यवस्था (blue economy) को बढ़ावा मिल सकता है। ये BRI के मुख्य अवयव हैं।

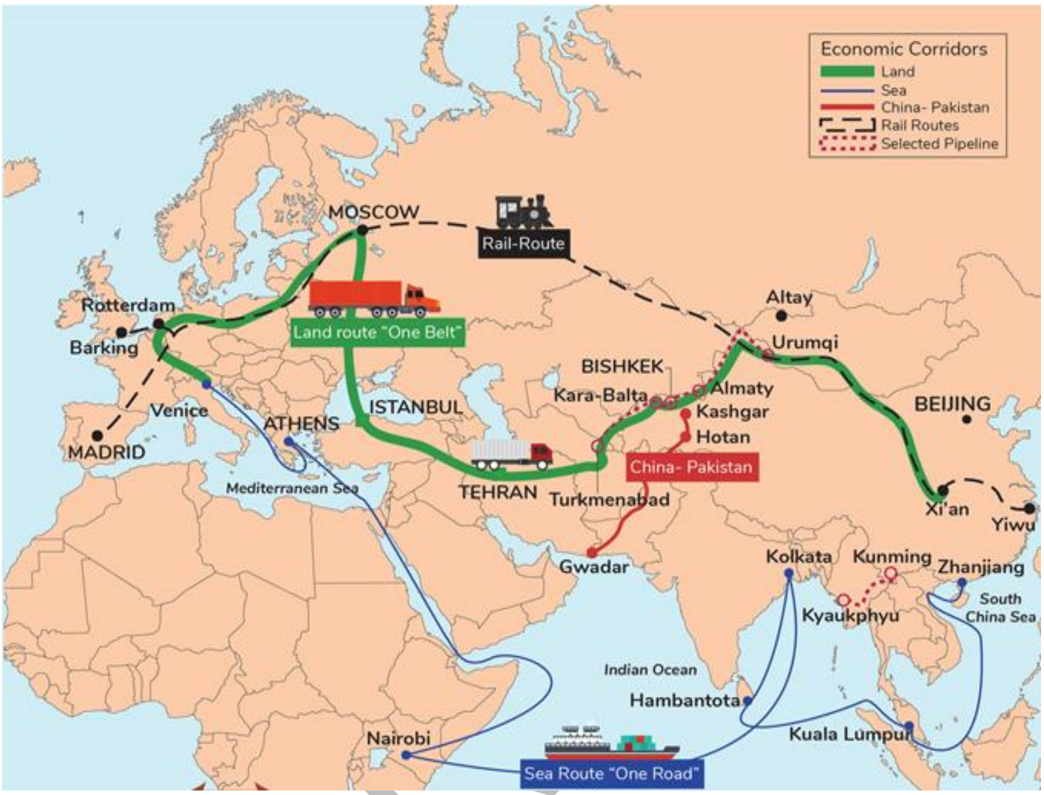

* **'महाद्वीपवाद' का पुनरुत्थान**: चीन का मानना है कि जैसे-जैसे यूरेशियाई देशों के मध्य संपर्क बढ़ेगा, एशिया एक आर्थिक महाद्वीप के रूप में उभरेगा तथा विश्व की आर्थिक वृद्धि का नया इंजन साबित होगा।
* **पारस्परिक लाभ**: चीन के पास अन्य देशों के विकास को गति देने के लिए आवश्यक वित्तीय पूँजी और प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तथा भारत को भी अपने विकास के लिए संसाधनों और निधियों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

* इस पहल से स्वयं को पूरी तरह पृथक करने की बजाए भारत इससे मिलने वाले आर्थिक अवसर का लाभ उठा सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे अपने महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों के साथ कार्य करने से, भारत को इस क्षेत्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को और बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।
* भारत कनेक्टिविटी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि वह पारदर्शी, मुक्त और समतामूलक कनेक्टिविटी का पक्षधर है।

2.3. आसियान (ASEAN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

* हाल ही में, 15वां आसियान-भारत तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ।
* इसके साथ ही आसियान ने अपनी 50वीं वर्षगाँठ भी मनाई।

अन्य कार्यक्रम

* मनीला में शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित होने वाले अन्य विभिन्न कार्यक्रम-
  * क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) के नेताओं की बैठक
  * आसियान का व्यापार तथा निवेश शिखर सम्मेलन
  * भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया चतुर्भुज (क्वाड्रीलैटरल) की प्रथम बैठक

दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस: ASEAN)

* यह एक **राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन** है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के मध्य आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।
* इसकी **स्थापना 1967 में** दक्षिण-पूर्व एशिया के पाँच देशों नामत: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा की गई थी।
* वर्तमान में इसके **10 सदस्य** हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम।

पृष्ठभूमि

- चीन इस क्षेत्र (दक्षिण चीन सागर) में अपने वाणिज्यिक और सैन्य प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिससे क्षेत्र की अस्थिरता में वृद्धि हुई है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरोत्तर इस क्षेत्र से पीछे हटने** के कारण इस प्रकार की अनिश्चितताओं में और वृद्धि हुई है।
- पूर्वी एशिया में उत्तर कोरिया परमाणु संकट जैसे बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के आलोक में **भारत के विदेशी मामलों में एक मूलभूत परिवर्तन** आया है। इससे इस क्षेत्र में भारत के प्रभावी हस्तक्षेप के संकेत मिलते हैं।
- चीन के साथ डोकलाम विवाद के पश्चात भारत **दक्षिण-पूर्व एशिया में लगातार एक अधिक विश्वस्त सहयोगी** के रूप में उभरा है।

- **पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन** एक मंच है जिसकी बैठकों का आयोजन प्रतिवर्ष पूर्वी एशिया, दक्षिणपूर्वी एशिया और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के 16 देशों द्वारा किया जाता है।
- इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2005 में आयोजित किया गया था।

वर्तमान में आसियान की प्रासंगिकता

विपक्ष में तर्क

- इस क्षेत्र में चीन (और क्षेत्र से बाहर की शक्तियों) की प्रत्यक्ष प्रभाव है जिसे इस तथ्य से प्रमाणित किया जा सकता है कि-
    - चीन, ऐसे किसी भी निर्णय को अस्वीकृत करने के लिए एक प्रकार का वीटो रखता है जिससे प्रत्यक्षत: उसके आर्थिक और सुरक्षा संबंधी हित प्रभावित होने की संभावना हो।
    - चीन द्वारा आसियान के सदस्य देशों विशेषकर फिलीपींस और वियतनाम के विरुद्ध बार-बार की जाने वाली उकसाने वाली कार्यवाहियों के समक्ष किसी दृढ निश्चय की कमी रही है।
- सुरक्षा के संबंध में आपसी विश्वास का अभाव दिखता है जिसके चलते वियतनाम और फिलीपींस जैसे आसियान के सदस्यों को क्षेत्र से बाहर की शक्तियों के साथ अपने रक्षा संबंध आगे बढ़ाने पड़े।
- इसके अलावा, सदस्यों के मध्य सामंजस्य और सर्वसम्मति की कमी के चलते, यह "डिक्लेरेशन ऑन द कंडक्ट ऑफ़ द पार्टीज इन द साउथ चाइना सी" पर समझौता वार्ता करने में विफल रहा है।
- आर्थिक रूप से, आसियान अभी भी 10 अलग-अलग कर प्रणालियों से जूझ रहा है तथा इंडोनेशिया अभी भी आर्थिक रूप से संरक्षणवादी नीति अपनाना जारी रखे हुए है। इंडोनेशिया में विदेशी स्वामित्व अभी भी सीमित है और विदेशी कार्मिकों को काम पर रखने पर सख्त नियंत्रण है।

पक्ष में तर्क

- इस गुट का लंबे समय तक बने रहना और इसकी सापेक्षिक स्थिरता, इस बात का प्रमाण है कि यह संभवतः सही दिशा में कार्य कर रहा है।
- हाल के समय में, इस संगठन का मुख्य ध्यान अर्थव्यवस्था की ओर केंद्रित है। यह देखा गया है कि वैश्विक आर्थिक संवृद्धि में आई मंदी के बावजूद, आसियान अर्थव्यवस्थाएं विश्व में सर्वाधिक गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी रहीं।

इस क्षेत्र की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता में आसियान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही, गतिशीलता और अनुकूलन प्रभावशाली संगठनों की पहचान रहे हैं, और आसियान को भी क्षेत्र के तेजी से बदल रहे भू-राजनीतिक विन्यास के सापेक्ष अपने अस्तित्व की मूलभावना को निरंतर पुनर्जीवित करते रहना चाहिए। आसियान जैसे समूह के लिए नवीनतम विचार तथा नवीन समाधान ही प्रासंगिक बने रहने के एकमात्र उपाय है।

व्यापार एवं आर्थिक सहयोग-

- आसियान क्षेत्र तथा भारत में विश्व की एक-चौथाई जनसंख्या निवास करती है और उनकी संयुक्त GDP 3.8 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।
- भारत ने आसियान के साथ 2009 में वस्तुओं पर एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) तथा 2014 में सेवाओं और निवेशों पर एक FTA हस्ताक्षरित किया।
- इसके अलावा, भारत का आसियान क्षेत्र के विभिन्न देशों के साथ "**व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA)**" है जिसके परिणामस्वरूप रियायती व्यापार और निवेशों में वृद्धि हुई है।
- इसी अवधि के दौरान आसियान में भारत का निवेश 40 बिलियन डॉलर से अधिक रहा है।
- 2015-16 के दौरान भारत और आसियान के मध्य व्यापार 65.04 बिलियन डॉलर रहा जो भारत के संपूर्ण विश्व के साथ होने वाले कुल व्यापार का 10.12 प्रतिशत है।

VISION IAS

भारत-आसियान

- 1992 में भारत; आसियान के चुनिंदा क्षेत्रों हेतु वार्ता सहयोगी बना तथा 1995 में इसने **पूर्ण वार्ता सहयोगी** का दर्जा प्राप्त किया।
- 1996 में, भारत को आसियान के पोस्ट मिनिस्टीरियल कांफ्रेंस (PMC) में शामिल होने और आसियान रीजनल फोरम (ARF) का पूर्ण सदस्य बनने का अवसर मिला। 2012 में संबंधों में प्रगाढ़ता आयी तथा इसे बढ़ाकर **रणनीतिक साझेदारी** में बदल दिया गया।
- भारत पिछले कुछ वर्षों से, RCEP मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ आसियान "प्लस सिक्स" (आसियान+6) में शामिल हो गया है।
- यद्यपि वीजा और सेवाओं तक पहुँच के भारत के रुख पर कुछ समस्याएं रही हैं, अत: ऐसे में, मुक्त व्यापार के विरोध में होना वस्तुओं के व्यापार में चीन को अनुचित बढ़त दे सकता है।
- 2004 में आयोजित **"आसियान-इंडिया पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी"** तथा 2012 के **"प्लान ऑफ़ एक्शन"** ने विभिन्न क्षेत्रों में आसियान और भारत के मध्य बढ़ते सामंजस्य पर प्रकाश डाला है।
- दो दशकों पुरानी '**लुक ईस्ट पॉलिसी**' (जिसका नाम बदलकर सरकार ने '**एक्ट ईस्ट पॉलिसी**' कर दिया है) ने भी आसियान को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगी बनाकर भारत हेतु अच्छे परिणाम दिए हैं।

भारत के लिए आसियान का महत्त्व

- **अर्थव्यवस्था के संदर्भ में**
  - यह समूह भारत के लिए एक **महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश साझेदार** है। पिछले 20 वर्षों में, भारत के कुल निर्यातों और आयातों में आसियान का हिस्सा क्रमश: 9.22 प्रतिशत और 8.93 प्रतिशत हो गया है जो कि काफी महत्त्वपूर्ण है।
  - पिछले 17 वर्षों में **आसियान से भारत में होने वाला निवेश** 70 बिलियन डॉलर से अधिक रहा जो भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 17 प्रतिशत से भी अधिक है।
  - आसियान की अर्थव्यवस्थाओं का विनिर्माण के क्षेत्र में विस्तृत अनुभव रहा है, जिसका उपयोग भारत द्वारा **मेक इन इंडिया** पहल में किया जा सकता है।
- **सुरक्षा के संबंध में**
  - आसियान का मंच भारत को हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री डकैती, अवैध प्रवास तथा मादक पदार्थों, हथियारों व मानवों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद आदि जैसे **गैर-पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों** पर चर्चा करने का अवसर देता है, जिन्हें केवल बहुपक्षीय स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है।
  - भारत ने ARF में भी **अनेक कूटनीतिक सफलताएं** अर्जित की हैं। इनमें 1998 के अपने परमाणु परीक्षण के पश्चात् संबंधों को बनाए रखना, कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान को अलग-थलग कर देना और 2002 तक इस मंच में पाकिस्तान के प्रवेश के विरुद्ध समर्थन जुटाना शामिल है।
- **संयोजकता (कनेक्टिविटी)** सामूहिक हित का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके तहत भारत पारगमन समझौतों (ट्रांजिट एग्रीमेंट) तथा भूमि, जल और वायु के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी को आकार देने में लगा हुआ है। उदाहरण के तौर पर, **भारत-म्यांमार-थाईलैंड** त्रिकोणीय हाईवे तथा कलादान मल्टीमॉडल परियोजना।
- चीन के आर्थिक और सैन्य दोनों प्रकार से हुए आक्रामक उदय ने इस क्षेत्र के देशों में संदेह की भावना भर दी है। ऐसे में भारत के समक्ष एक अवसर उपलब्ध हुआ है, क्योंकि भारत चीन के प्रभाव को संतुलित करना चाहता है और इस क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करना चाहता है।

आसियान के लिए भारत का महत्त्व

- **आर्थिक रूप से,** आसियान के देश भारत जैसी उभरती हुई आर्थिक शक्ति के साथ अपने संबंधों का लाभ उठा सकते हैं। दोनों के बीच हस्ताक्षरित CECA का एक उद्देश्य आसियान के नए सदस्य देशों के साथ अधिक प्रभावी आर्थिक एकीकरण को सरल बनाना तथा पक्षकारों के बीच विकास के अंतर को पाटना है।
- हाल में आसियान देशों द्वारा **अमेरिकी बाजार खोने से हुई हानि** की क्षतिपूर्ति भारत में मध्य वर्ग के उभार के साथ-साथ उसकी बढ़ती घरेलू माँग से की जा सकती है।
- **सुरक्षा चुनौतियों** के संदर्भ में, आसियान और भारत दोनों आतंकवाद के संदर्भ में गंभीर असुरक्षाओं का सामना कर रहे हैं तथा उनका साझा हित इसी में है कि वे इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करें।
- क्षेत्र के सामरिक महत्त्व के स्थानों से अमेरिकी सेनाओं के हटने के साथ, आसियान के देश भारत को **चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने के लिहाज से** एक सामरिक सहयोगी के रूप में देखते हैं। भारत हिंद महासागर में सबसे बड़ी नौसेना वाला देश है और परमाणु शक्ति सम्पन्न है; अतः आसियान देशों का यह कदम तार्किक प्रतीत होता है।
- जहाँ पूर्वी एशिया उस दौर में प्रविष्ट होने वाला है जिसमें कार्यशील आबादी का हिस्सा कम होगा, वहीं भारत उस चरण में प्रवेश कर रहा है जहाँ उसकी जनसंख्या में कार्यशील आबादी का हिस्सा अधिक है। इस प्रकार भारत **पूर्वी एशिया के लिए मानव संसाधन का आधार** सिद्ध हो सकता है।

VISION IAS

आगे की राह

- विनिर्माण में पूर्वी एशिया की विशेषज्ञता के साथ-साथ, सेवाओं के क्षेत्र में भारत की सशक्तता एक **मजबूत रणनीतिक गठबंधन** के रूप सामने आ सकती है, जो **दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद** होगा।
- अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में "एशिया-पैसिफिक" के स्थान पर "इंडो-पैसिफिक" शब्द का प्रयोग किया जो भारत के बढ़ते महत्त्व को दर्शाता है तथा साथ ही भारत के सामने एक बड़ा अवसर व उत्तरदायित्व भी प्रस्तुत करता है।
- विश्व राजनीति में अपने बढ़ते महत्त्व के चलते यह क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बन चुका है। एक क्षेत्रीय शक्ति बनने के लिए (जिसका कि भारत द्वारा दावा भी किया जाता है), सभी क्षेत्रों में आसियान के साथ संबंधों को बढ़ाते रहना भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए।

2.4. क्वाड्रीलैटरल बैठक

(Quadrilateral Meeting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने "क्वाड्रीलैटरल" गुट से जुड़ने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यह भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र के देशों को वैकल्पिक ऋण वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए जापान द्वारा प्रस्तावित तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित है। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित है।

क्वाड्रीलैटरल क्या है?

- यह नाटो (NATO) की भाँति एक सैन्य गठबंधन न होकर एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है।
- इसे एक सामरिक निवारक (strategic deterrence) के साथ-साथ क्षेत्रीय शक्तियों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने वाले तंत्र के रूप में देखा जा रहा है।

विवरण

- इसकी विषयवस्तु **"फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक"** पर केंद्रित थी।
- इसकी वार्ताएँ एक विस्तृत अंतः संबद्ध क्षेत्र (ऐसा क्षेत्र जिसे वे एक-दूसरे व अन्य भागीदारों के साथ साझा करते हैं) में **शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने हेतु साझा दृष्टिकोण व मूल्यों** पर आधारित सहयोग पर केन्द्रित रहीं।
- भारत ने अपनी **एक्ट ईस्ट पॉलिसी** को भारत-प्रशांत क्षेत्र में उसकी सक्रियता के मूल आधार के रूप में चिह्नित किया।

पृष्ठभूमि

- 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने एशियाई लोकतान्त्रिक देशों के एक साथ आने का विचार प्रस्तुत किया था। **न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था, उदार व्यापार प्रणाली तथा नौवहन की स्वतंत्रता** आदि में तटीय सीमा वाले लोकतांत्रिक देशों की भी एक हिस्सेदारी होती है।
- मई 2007 में चार देशों ने **आसियान क्षेत्रीय फोरम की बैठक** के इतर पहली बार एक नई क्वाड्रीलैटरल वार्ता बैठक का आयोजन किया।
- हाल ही में, अमेरिका ने स्पष्ट इच्छा व्यक्त की है कि भारत-अमेरिका-जापान सहयोग के इस मंच में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाए। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व में स्वयं को इस पहल से अलग कर लिया था।
- इसके साथ-साथ, जापान ने एक कदम और आगे बढ़कर यह सुझाव दिया कि ब्रिटेन व फ्रांस को भी इस समूह में शामिल किया जा सकता है।

भारत की नीति में परिवर्तन क्यों?

- इस समूह को चीन के उद्भव और उससे जुड़ी जटिलताओं से निपटने के लिए की गई एक **सामरिक साझेदारी** के रूप में देखा जा रहा है। स्पष्टतः यह नीति भारत की 'पड़ोस पहले (नेबरहुड फर्स्ट)' की नीति से विरोधाभास नहीं रखती।
- साथ ही, भारत ने मौन रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि इस क्षेत्र में "अन्य पक्षों" की उपस्थिति से इसके पड़ोसी राष्ट्र अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा असुरक्षित महसूस करने के दो कारण निम्नलिखित हैं-
    - **आर्थिक हितों का टकराव-** एक उभरती अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत की आवश्यकताओं का प्राय: उसके पड़ोसियों के साथ टकराव रहता है। उदाहरण के लिए, भूटान के बढ़ते ऋण (कर्ज) पर हालिया चिंताएं, जिसमें से 80% उसने भारत से लिया है।
    - **विलंब-** इस क्षेत्र में भारत द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं में हो रहे विलंब और बढ़ी लागत की भी और अधिक उपेक्षा नहीं की जा सकती।

ब्रिटेन और फ्रांस के प्रवेश के विरोध में तर्क

- भले ही इस क्षेत्र में दोनों देशों के द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान हैं, तथापि वे गैर-क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं।
- साथ ही, अमेरिका के पीछे हटने की स्थिति में दोनों देशों की विश्वसनीयता संदिग्ध है।
- यूरोपीय शक्तियों के लिए अभी भी रूस (न कि चीन) ही पहली सुरक्षा चिंता है तथा इस बात की उपयोगिता उनके लिए अपने एशियाई साझीदारों से कहीं अधिक है।

VISION IAS

ऑस्ट्रेलिया को शामिल किए जाने के विरोध में तर्क

- ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व में (2008 के आसपास) चीन की चिंताओं के प्रति सम्मान जाहिर करते हुए इस क्वाड (Quad) से बाहर निकलने का निर्णय लिया था।
- ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था चीन को किए जाने वाले वस्तुओं के निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है।
- ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली विदेशी वित्तीय सहायता से संबंधित ढीले नियमों के चलते चीन का बहुत सारा धन ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में लगा हुआ है।
- जापान और भारत के विपरीत, ऑस्ट्रेलिया का चीन के साथ कोई प्रत्यक्ष विवाद नहीं है।

ऑस्ट्रेलिया के प्रवेश पर विचार करने के पक्ष में तर्क

- चीन के साथ अपने सभी आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के बावजूद, केनबरा ने दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों की कड़ी आलोचना की है।
- ऑस्ट्रेलिया राजनीतिक चंदे से संबंधित अपने कानूनों में सुधार पर विचार कर रहा है ताकि इसकी राजनीति में विदेशी प्रभाव को सीमित किया जा सके।
- यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का एक प्रमुख समुद्री लोकतांत्रिक देश है। भारत, अमेरिका या जापान सभी अपने साझे राजनीतिक मूल्यों के चलते यह भागीदारी कर रहे हैं न कि चीन की शक्ति को संतुलित करने के लिए- यह एक ऐसी रणनीति है जिसके काफी मायने हैं।
- वर्तमान में यहाँ पहले से ही तीन त्रिपक्षीय गुट कार्य कर रहे हैं- भारत-अमेरिका-जापान, भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया। इन्हें मिलाकर एक क्वाड्रीलैटरल बना देना एक तार्किक कदम होगा।
- पिछली बार जब इस क्वाड्रीलैटरल को सक्रिय करने की कोशिश हुई थी, तब यह चीन का ध्यान खींचने में सफल रहा था, क्योंकि चीन ने इसके सभी सदस्यों के समक्ष इसे लेकर विरोध जताया था।

चुनौतियाँ

- वैश्विक शक्तियों को अपने पड़ोस में सम्मिलित करना विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विताएं बढ़ा सकता है। इससे भारत व चीन के मध्य अनावश्यक शत्रुता बढ़ने की संभावना है, जिससे इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ावा मिलेगा।
- यह इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव और स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाने की कीमत पर होगा।
- जहाँ क्वाड्रीलैटरल के सभी सदस्य पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) के सदस्य हैं, वहीं भारत अभी भी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) का सदस्य नहीं है। यदि भारत को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में प्रभावी रूप से योगदान करना है, तो इस कमी को दूर करना होगा।
- भारत इस प्रस्तावित गठबंधन का अकेला ऐसा सदस्य है जो चीन और रूस की भागीदारी वाली एक अन्य सुरक्षा व्यवस्था, **शंघाई सहयोग संगठन** में भी शामिल है। इस क्वाड्रीलैटरल में अपने हितों के मध्य संतुलन साधने की भारत की योग्यता की परीक्षा होगी।
- साथ ही, जिस प्रकार भारत ने हाल ही में हिंद महासागर में चीनी नौसेना की उपस्थिति पर आपत्ति जताई थी, वह उसी प्रकार अमेरिकी और जापानी नौसेना पोतों की इस क्षेत्र में बढ़ी हुई उपस्थिति पर आपत्ति नहीं जता पाएगा।

आगे की राह

- भारत को एशिया में और उससे भी आगे भू-राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने की इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि क्वाड्रीलेटरल के गठन के समक्ष कई चुनौतियाँ है क्योंकि चीन से कैसे बेहतर ढंग से निपटा जा सकता है, इसको लेकर सभी देशों में गहरा मतभेद है।
- भले ही कितने ही अच्छे इरादे से भारत ने यह कदम उठाया हो, उसे अन्य शक्तियों को अपने पड़ोस में आमंत्रित करने से पूर्व इस कदम के सभी लाभों व हानियों का आकलन कर लेना चाहिए।

2.5. भारत-श्रीलंका

(India-Sri Lanka)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत की यात्रा की।
- बैठक के एजेंडे में अन्य मुद्दों के अतिरिक्त संयुक्त परियोजनाओं पर निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाना भी शामिल था।

श्रीलंका में भारत के संयुक्त उपक्रमों के लिए चुनौतियाँ

- भारत द्वारा श्रीलंका में शुरू की गई परियोजनाएं मुख्य रूप से **उनकी पूर्णता तथा कार्यान्वयन में विलम्ब** की चुनौती का सामना कर रही हैं।
- इनमें से अनेक परियोजनाएं जैसे मत्ताला एअरपोर्ट, भारत के लिए **लाभप्रद नहीं** मानी जाती।
- इस देश में भारत के उपक्रमों को कुल मिलाकर यहाँ **चीन के बढ़ते हुए प्रभाव की प्रतिक्रिया** के रूप में देखा जाता है।
- हालांकि विकास परियोजनाओं को केवल प्रतिक्रिया बताकर ख़ारिज नहीं किया जा सकता। परन्तु, भारत द्वारा विकास के लिए दिए जाने वाले धन का अत्यधिक संकेंद्रण तमिल बहुल क्षेत्रों में है। भारत-श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों पर इसके **राजनीतिक परिणाम** दिखाई देते हैं, जो बहुसंख्यक सिंहली जनसंख्या के सामूहिक दृष्टिकोण से सृजित हुए हैं।

VISION IAS

भारत और श्रीलंका के आर्थिक संबंध

- **वाणिज्यिक संबंध-** श्रीलंका सार्क में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक सहयोगियों में से एक है।
  - **मार्च 2000 में भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते** के प्रभावी होने के बाद से दोनों देशों के मध्य व्यापार तेजी से बढ़ा है।
  - वर्ष 2015 में द्विपक्षीय व्यापार $ 4.7 बिलियन के स्तर पर रहा। 2015 में भारत से श्रीलंका को हुए निर्यातों का मूल्य 4.1 बिलियन डॉलर (2.1% अधिक) रहा, जबकि श्रीलंका द्वारा भारत को किए गए निर्यात 645 मिलियन डॉलर (3.2% अधिक) मूल्य के रहे।
  - वर्ष 2003 से 1 बिलियन डॉलर के सम्मिलित निवेश के साथ भारत श्रीलंका में चार शीर्ष निवेशकों में से एक है।
- **हालिया विकास क्रम-** श्रीलंका ने हाल ही में भारत को इसके उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित **त्रिंकोमाली बंदरगाह** (ऑइल टैंक फार्म) को संयुक्त रूप से विकसित करने की अनुमति दी।
  - श्रीलंका ने पेट्रोनेट LNG को अपने देश में **लिक्विड गैस इम्पोर्ट टर्मिनल** स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है। इससे श्रीलंका को गैस (जो कि भावी आर्थिक वृद्धि के लिए ईंधन है) के क्षेत्र में मजबूत बनने में सहायता मिलेगी।
  - श्रीलंका ने **हम्बनटोटा में 1,200 आवास** बनाने के लिए भारत के साथ समझौता किया है।
  - भारत ने भी हम्बनटोटा में **मत्ताला एअरपोर्ट** को पट्टे पर लेने और उसके प्रबंधन के लिए बोली लगाई है।
  - भारत श्रीलंका में कई सड़क और रेल परियोजनाओं के निर्माण में भी सहयोग कर रहा है।
- साथ ही, श्रीलंका में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (IDPs) व साधनहीन वर्गों के लिए भारत द्वारा चलायी जा रही **विकास सहायता परियोजनाओं** के कार्यान्वयन में भी एक महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।

चीन फैक्टर

- चीन ने अपनी **"स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स" की नीति** के तहत श्रीलंका के बुनियादी ढाँचे में बहुत निवेश किया है। इसका लक्ष्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे मित्र देशों में बंदरगाह और अन्य सुविधाओं का निर्माण कर दक्षिण एशिया में अपनी नौसैनिक उपस्थिति दर्ज कराना है।
- इसने भारत की चिंताओं को बढ़ाया है क्योंकि इसके चलते भारत के प्रभाव क्षेत्र का अतिक्रमण और श्रीलंका के साथ इसके वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संपर्कों का क्षरण हुआ है।
- पिछली सरकार के दौरान, श्रीलंका ने एक ऐसे समय में आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन के लिए चीन का रुख किया जब पश्चिमी देश तमिल अलगाववादियों के साथ इसके संघर्ष के समय किए गए अपराधों के लिए कोलम्बो पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे थे। चीन श्रीलंका में सबसे बड़ा निवेशक है।
- इसके चलते श्रीलंका में चीन का आर्थिक प्रभुत्व निवेश और ऋण दोनों ही रूपों में बढ़ा है।
- श्रीलंका, बीजिंग द्वारा दिए गए ऋणों के चलते ऋण जाल में फंस गया है। इस पृष्ठभूमि में वह हम्बनटोटा एअरपोर्ट, कोलम्बो बंदरगाह परियोजना और एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे में भारत को भागीदारी देकर अपनी नीति को भारत और चीन के मध्य संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही वह चीनी पनडुब्बियों को श्रीलंकाई जल क्षेत्र में आने से रोक रहा है।

आगे की राह

- चतुर्पक्षीय वार्ताओं के प्रगति पर होने तथा हिंद महासागर में श्रीलंका की सामरिक अवस्थिति के चलते भारत के लिए इसका महत्त्व बढ़ गया है।
- दूसरी ओर, श्रीलंका दोनों देशों के साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखने में लाभ देखता है। किंतु, श्रीलंका की सरकार के लिए आर्थिक औपनिवेशीकरण की घरेलू चिंताओं को दूर रखने के साथ-साथ चीन और भारत के प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन साधना कठिन हो सकता है।

2.6. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश का पुनर्निर्वाचन

(Indian Jugde Re-Elected at ICJ)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस: ICJ) के न्यायाधीश के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया।

विवरण

- संयुक्त राष्ट्र संघ के 70 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के पैनल में ब्रिटेन का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा।
- यह पहली बार है जब UNSC के पाँच स्थायी सदस्यों में से किसी को इस प्रतिस्पर्द्धा में एक सामान्य सदस्य के हाथों अपनी सीट गँवानी पड़ी।
- इस संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हुई इस पराजय को वैश्विक मामलों में ब्रिटेन की घटती भूमिका की पुष्टि माना जा रहा है।
- यह भी प्रथम बार है जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक पीठासीन सदस्य (sitting member) दूसरे पीठासीन सदस्य से पराजित हुआ हो।
  श्री भंडारी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुने जाने वाले चौथे भारतीय न्यायाधीश हैं। इससे पूर्व बी. एन. राव, नागेंद्र सिंह और आर. एस. पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं।

VISION IAS

विश्लेषण

- **सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में चिंता**-ब्रिटेन के उम्मीदवार के विरुद्ध जीत एक उदाहरण बन सकती है, जिससे भविष्य में उनके शक्ति संतुलन को चुनौती मिलने की संभावना है। दलबीर भंडारी हेतु विकासशील देशों द्वारा अभूतपूर्व तरीके से मतदान किये जाने से, विकसित देश उनके बढ़ते प्रभुत्व की ओर ध्यान देने को बाध्य हुए हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा का भारत के पक्ष में वोट नई वैश्विक व्यवस्था की ओर संकेत करता है:** श्री भंडारी को महासभा के लगभग दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ है। भारत के लिए यह चुनाव परिणाम इस वैश्विक संस्था में अपना **समर्थन आँकने** की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत इसमें अपने लिए स्थायी सदस्यता समेत अन्य सुधारों हेतु अभियान चलाए हुए है।
- **शक्ति संतुलन में परिवर्तन**: श्री भंडारी के निर्वाचन से संयुक्त राष्ट्र में शक्ति संतुलन के सुरक्षा परिषद से इतर स्थानांतरित होने के संकेत मिले हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से मिला अपार समर्थन भारतीय राजव्यवस्था की मजबूत संवैधानिक अखंडता और भारत में मौजूद स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रति सम्मान को दर्शाता है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

- इसकी स्थापना 1945 में हेग में संयुक्त राष्ट्र के प्रधान न्यायिक अंग के रूप में की गई थी।
- यह देशों द्वारा इसके समक्ष लाए गए कानूनी विवाद सुलझाता है और विधिवत प्राधिकृत अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं, अभिकरणों और संयुक्त राष्ट्र महासभा के माध्यम से अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए विधिक प्रश्नों पर **परामर्शकारी राय** प्रदान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जो स्थाई मध्यस्थता न्यायालय (PCA) के राष्ट्रीय समूहों द्वारा नामांकित किए गए लोगों की सूची में से 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। एक समय में एक ही देश से दो न्यायाधीश नहीं हो सकते।
- न्यायाधीशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा और UNSC द्वारा चुना जाता है, जो साथ-साथ किंतु एक-दूसरे से स्वतंत्र रहकर मतदान करते हैं। किसी उम्मीदवार को चुने जाने के लिए दोनों ही निकायों में पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है।
- संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य स्वत: इस विधिक व्यवस्था के पक्षकार होते हैं, किंतु इसे न्यायाधिकार तभी प्राप्त होता है जब विवाद के दोनों पक्ष इस पर सहमत हों।

2.7. भारत-सिंगापुर

(India-Singapore)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली में आयोजित रक्षामंत्रियों की द्वितीय वार्ता के दौरान "नौसेना सहयोग हेतु भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय समझौते" पर हस्ताक्षर किये गए।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस समझौते से भारतीय नौसेना के जहाजों को विवादित दक्षिण चीन सागर के निकट स्थित **सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे** पर ईंधन भरने समेत विभिन्न प्रकार की लॉजिस्टिक सहायता प्राप्त होंगी।
- इस समझौते के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा में अधिक सहयोग, संयुक्त अभ्यास, एक दूसरे के नौसैनिक प्रतिष्ठानों में अस्थायी तैनातियां और परस्पर लॉजिस्टिक सहायता समेत विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।

समझौते का महत्व:

भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के अतिरिक्त यह समझौता निम्न अर्थों में भी महत्वपूर्ण है-

- **सामरिक अवस्थिति**- मलक्का जलसंधि (जोकि विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण 'शिपिंग लेन' है) के पूर्व में स्थित किसी देश के साथ भारत का यह प्रथम नौसैनिक लॉजिस्टिक समझौता है।

आर्थिक रूप से, वैश्विक वाणिज्य के लिए इसे एक महत्वपूर्ण चोकप्वॉइंट (अवरोध बिंदु) माना जाता है तथा चीन इसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से अपनी कमजोर कड़ी मानता है।

 - इससे भारत को दक्षिण चीन सागर के विवादित जल क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

- **हिंद महासागर में भारत की भूमिका में वृद्धि**- चाबहार बंदरगाह के साथ-साथ सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे पर भारत की उपस्थिति इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना को अपनी तैनाती बढ़ाने की क्षमता प्रदान करता है। यह भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक निवल सुरक्षा प्रदाता के तौर पर उभरने में मदद कर सकता है।

VISION IAS

- **रक्षा संबंधों में विस्तार-** नौसैना द्विपक्षीय समझौता दोनों पक्षों के मध्य सभी सैन्य शाखाओं में समझौतों को पूर्ण करता है। इससे पूर्व 2007 में वायुसेना द्विपक्षीय समझौता तथा 2008 में थलसेना द्विपक्षीय समझौता किया गया था।
- **पूर्वी एशिया के साथ संबंधों में सुधार-** इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के दृष्टिकोण से यह समझौता महत्त्वपूर्ण है। यह दक्षिण एशियाई देशों के साथ सामुद्रिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के मेलजोल के प्रयासों को आगे बढ़ा सकता है।

2.8. संयुक्त राष्ट्र भागीदारी निधि

(UN Partnership Fund)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2017 में '**विकास गतिविधियों हेतु संयुक्त राष्ट्र संकल्प सम्मेलन** (UN Pledging Conference for Development Activities)' का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत भारत ने UN साझेदारी निधि के अंतर्गत 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने हेतु प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है।

भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी निधि (UNDPF)

यह **दक्षिण-दक्षिण सहयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र कोष** के अंतर्गत स्थापित एक समर्पित सुविधा है। इसका निर्माण 2017 में किया गया।

यह विकासशील विश्व में दक्षिणी देशों के स्वामित्व और नेतृत्व वाली, मांग-संचालित तथा रूपांतरकारी संधारणीय विकास परियोजनाओं का समर्थन करती है। इन परियोजनाओं का ध्यान मुख्यतः अल्प विकसित देशों तथा लघु द्वीपीय विकासशील देशों पर केंद्रित है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOSSC) को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। इसे वर्ष **1974 से UNDP** द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसे वैश्विक और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के व्यापक आधार पर दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग (दक्षिण-दक्षिण-उत्तर देशों के मध्य भागीदारी और सहयोग) का समर्थन और समन्वय करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

विवरण

- इस निधि की प्रथम परियोजना को सात प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ साझेदारी के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस भागीदारी निधि द्वारा 15 अन्य परियोजनाओं की पहचान भी की गई है।
- भारत द्वारा UN के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 10.582 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता भी प्रदान की जा रही है।
- भारत के इस योगदान ने विकासशील देशों में संधारणीय विकास परियोजनाओं हेतु इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि की है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग (साउथ-साउथ कोऑपरेशन: SSC)

- यह **विकास की एक पद्धति** है। इसका लक्ष्य बहुमुखी विकास की गति को तीव्र करना है। इसके लिए दक्षिण के देशों के मध्य विभिन्न एजेंसियों यथा सरकारों, नागरिक समाज संगठनों आदि के माध्यम से ज्ञान, अनुभव, तकनीक, निवेश, सूचना और क्षमता के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की जाती है।
- दक्षिण के देशों में सहायता की बढ़ती आवश्यकता और इसे प्रदान करने में उत्तरी देशों की अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में यह एक समानांतर तंत्र के रूप में उभरा है। यह सम्पूर्ण विश्व में जीवन की बेहतर गुणवत्ता की वैश्विक खोज का समर्थन करता है।
- हाल ही में, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में निरंतर आर्थिक विकास ने वैश्विक शक्ति के केंद्र को उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानान्तरित कर दिया है। दक्षिण ने उत्तर-दक्षिण सहयोग (NSC) और त्रिकोणीय विकास सहयोग (TDC) से परे देखना प्रारंभ किया है।

SSC का महत्व

- पिछले दशक में **दक्षिण-दक्षिण के मध्य व्यापार और निवेश** का उत्तर-दक्षिण के मध्य व्यापार की तुलना में अधिक तीव्रता से विस्तार हुआ है।
- दक्षिण के निवेशकों को प्रायः **क्षेत्र के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी** होती है, अतः ये उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करने में समर्थ होते हैं। इसके साथ ही ये कठिन राजनीतिक परिवेश में व्यापारिक जोखिम लेने के लिए भी तैयार होते हैं।
- इसके अतिरिक्त, दक्षिण के देश **आधिकारिक विकास सहायता (ODA) के अतिरिक्त स्रोत** बन गए हैं। इससे उत्तर के देशों पर निर्भरता भी कम हुई है।

2.9. साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन

(Global Conference on Cyber Space)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत द्वारा साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन (GCCS) के पांचवें संस्करण की मेजबानी की गयी है।

VISION IAS

GCCS 2017 की विषय-वस्तु- "सभी के लिए साइबर स्पेस (Cyber4All): सतत विकास हेतु सुरक्षित और समावेशी साइबर स्पेस " थी। हालांकि इसे पुनः निम्नलिखित चार अनुभागों में विभाजित किया जा सकता है:

- **संवृद्धि हेतु साइबर (Cyber4Growth)-** व्यक्तियों, लघु व्यवसायों, बड़ी कंपनियों आदि के मध्य साइबर स्पेस के बढ़ते महत्व को देखते हुए, विकास को बढ़ावा देने हेतु विचारों और अंतर्दृष्टि को साझा करना।
- **डिजिटल समावेशन हेतु साइबर (Cyber4DigitalInclusion)-** सभी के लिए खुले और मुफ्त इंटरनेट का विचार, दिव्यांगों को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल तकनीक तथा डिजिटल पहचान के लिए सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करके समावेशी समाज के लिए रोडमैप तैयार करना।
- **सुरक्षा हेतु साइबर (Cyber4Security) -** संगठनों और राष्ट्रों की व्यापक साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल हेतु रूपरेखा।
- **कूटनीति हेतु साइबर (Cyber4Diplomacy)-** साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं का पता लगाना, जैसे कि साइबर युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वैश्विक व्यवस्था हेतु साइबर कूटनीति।

साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन

- इसका उद्देश्य साइबरस्पेस के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत **'नियमों और प्रक्रियाओं (rules of the road)'** की स्थापना करना है। इसके साथ-साथ इसका लक्ष्य इन नियमों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के लिए इंटरनेट के अंशधारकों (सरकारों, नागरिक समाज और उद्योग) के मध्य एक अधिक केंद्रित और समावेशी संवाद स्थापित करना भी है।
- इसके द्वारा क्षमता निर्माण में सुधार करने, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने और साइबर क्षमता पर विशेषज्ञता हेतु **ग्लोबल फोरम ऑन साइबर एक्सपर्टीज** के रूप में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है।

भारत में साइबर स्पेस की संभावनाएं

- 'आउटसोर्सिंग इकॉनमी' की 50% से अधिक हिस्सेदारी के साथ भारत डिजिटल और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता है।
- सिस्को के **विज़ुअल नेटवर्किंग इंडेक्स (VNI)** के पूर्वानुमानों के अनुसार, भारत में नेटवर्क वाले उपकरण वर्ष 2016 के 1.4 बिलियन से बढ़कर 2 बिलियन हो जाएंगे। **इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया** के अनुसार भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं के वर्ष 2017 के अंत तक 314 मिलियन हो जाने की संभावना हैं। इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 2013-17 की अवधि के दौरान लगभग 28% की दर से वृद्धि हुई है।
- भारत प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप का विश्व में **तीसरा सबसे बड़ा केंद्र** हैं। वर्तमान में देश में विभिन्न प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जैसे- आधार, MyGov, सरकारी ई-मार्केट, डिजीलॉकर, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना आदि।
- **'डिजिटल इंडिया' अभियान** भारत की विकास नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस विकास नीति का लक्ष्य प्रौद्योगिकी का उपयोग, कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन, पहुँच का विस्तार तथा सरकारी सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक वितरण में सुधार कर कैशलेस अर्थव्यवस्था का निर्माण करना और देश के समावेशी विकास में योगदान देना है।
- प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता इसके द्वारा प्रदत्त लाभों के साथ-साथ व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी उत्पन्न कर रही है। यथा: सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से आतंकवादियों द्वारा युवाओं में कट्टरता का प्रसार करना।
- सरकार राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र, CERT-Fin, CERT-In, साइबर स्वच्छता केंद्र तथा उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग के माध्यम से साइबर अपराधों से निपटने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार, सरकार साइबर खतरों के प्रति जागरूकता का प्रसार करने और लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयासरत है।

2.10. ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप समिट

(Global Entrepreneurship Summit 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने सयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सम्मिलित रूप से हैदराबाद में **ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप समिट (GES) 2017** का आयोजन किया।

GES 2017

- इसे वर्ष 2011 से वार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है और GES 2017 दक्षिण एशिया में आयोजित प्रथम संस्करण है।
- यह निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के मध्य सम्बन्ध प्रदान करता है।
- GES 2017 की थीम **वीमेन फर्स्ट, प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल (Women First,Prosperity for All)** थी। इसके अंतर्गत महिला उद्यमियों को सहयोग और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- इस सम्मेलन में विश्व में महिला उद्यमियों द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित किया गया तथा उनकी भागीदारी में वृद्धि करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

- इस सम्मेलन के कुल प्रतिभागियों में से लगभग 52.5% महिलाएं थीं। इनमें से 10 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व महिला प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था; यथा अफगानिस्तान, सऊदी अरब और इज़राइल आदि।
- इसमें **चार अभिनव उद्योगों पर ध्यान केंद्रित** किया गया है-
    - स्वास्थ्य सेवा तथा जीव विज्ञान,
    - डिजिटल इकॉनमी तथा वित्तीय प्रौद्योगिकी,
    - ऊर्जा, अवसंरचना तथा मीडिया
    - मनोरंजन।

भारत के लिए महत्व

- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप केंद्र (हब) है। भारत में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इससे भारतीय उद्यमियों को वैश्विक निवेशकों और उद्यमियों के साथ विचार-विमर्श करने और नेटवर्क स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा।
- यह नवाचार और उद्यमशीलता के लिए भारत के सक्षम परिवेश (enabling environment) को भी रेखांकित करेगा।

भारत में उद्यमी महिलाएँ

- छठवीं आर्थिक जनगणना के अनुसार 58.5 मिलियन उद्यमियों में से केवल 8.05 मिलियन महिलाएं हैं, जो कि कुल उद्यमियों का मात्र 13.76% हैं।
- महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यम 13.45 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।
- कुल महिला उद्यमियों में से 34.3% कृषि क्षेत्र और 65.7% गैर-कृषि क्षेत्रों से सम्बंधित हैं।
- यद्यपि भारत स्टार्ट-अप के सबसे बड़े केन्द्रों में से एक है, तथापि महिला उद्यमियों द्वारा केवल 10% स्टार्ट-अप ही प्रारम्भ किये जाते हैं।

महिला उद्यमियों द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियाँ

- पूंजी तक अपर्याप्त पहुँच।
- उद्यम प्रारंभ करने और उसके विस्तार के लिए परामर्श का अभाव।
- स्टार्ट-अप की दिशा में प्रोत्साहन और ज्ञान का अभाव।
- व्यावसायिक उद्देश्य से यात्रा के दौरान महिलाओं के लिए सुरक्षा संबंधी मुद्दे।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम

- महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जैसे- व्यापार संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास (TREAD), महिला विकास निधि इत्यादि। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, लघु उद्योग सेवा संस्थान (SISI) आदि के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन भी किया जा रहा है।
- सरकार ने **राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015** तैयार की है। इस नीति में विशेष रूप से महिलाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

2.11. आतंकवाद से संघर्ष हेतु इस्लामी गठबंधन

(Islamic Alliance to Fight Terrorism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **इस्लामिक मिलिट्री अलायन्स टू फाइट टेररिज्म** (IMAFT) की प्रथम बैठक **रियाद** में संपन्न हुई।

इस्लामिक मिलिट्री अलायन्स टू फाइट टेररिज्म (IMAFT)

- यह सऊदी अरब के नेतृत्व में **40 देशों** का एक गठबंधन है, जिसमें इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के लगभग 60% सदस्य शामिल हैं। इसे वर्ष 2015 में 34 सदस्यीय समूह के रूप में स्थापित किया गया था।
- ईरान, सीरिया और इराक इस गठबंधन के सदस्य नहीं हैं। हालांकि क़तर इसका सदस्य है, परन्तु इसने इस बैठक में भाग नहीं लिया। इसका कारण सऊदी अरब के नेतृत्व में इसका बहिष्कार किया जाना है।
- यह इस क्षेत्र में ISIS के प्रसार के विरुद्ध एक अंतर-सरकारी आतंकवाद विरोधी गठबंधन के रूप में कार्य करेगा।
- इसका लक्ष्य आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु सैन्य सहायता प्रदान करना और सदस्य देशों के साथ मिलकर इस दिशा में समन्वित प्रयास करना है। इस प्रकार, इसका लक्ष्य इस्लाम को आतंकवाद से पृथक करना है।

2.12. यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में भारत की सदस्यता

(India's Membership for European Bank for Reconstruction & Development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (EBRD) में भारत की सदस्यता के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

- इस प्रकार वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा EBRD की सदस्यता की प्राप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

EBRD

- यह 1991 में स्थापित एक **बहुपक्षीय विकासात्मक निवेश बैंक** है।
- प्रारम्भ में, इसने शीत युद्ध के पश्चात साम्यवादी देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने में सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया था। इसके पश्चात इसने मध्य यूरोप से मध्य एशिया तक के 30 से अधिक देशों के विकास में सहयोग प्रदान किया।
- यह केवल उन देशों में कार्य करता है जो "लोकतांत्रिक सिद्धांतों हेतु प्रतिबद्ध हैं" तथा साथ ही बाजार अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण हेतु निवेश को एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं।

भारत हेतु महत्व

- भारत अपनी नई सदस्यता से **धन प्राप्त करने के बजाय केवल धन उपलब्ध** कराएगा। भारत को EBRD परियोजनाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। इसके साथ ही यदि भारतीय कंपनियों द्वारा बैंक के साथ निवेश किया जाता है तो भारत के लिए निवेश अवसरों में भी वृद्धि होगी। EBRD की सदस्यता से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में और सुधार होगा तथा इसके आर्थिक हितों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- विगत कुछ वर्षों में भारत में प्रभावी आर्थिक संवृद्धि होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की राजनीतिक छवि में भी सुधार हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह उपयुक्त समझा गया कि भारत को बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDB) से सबंधों के अतिरिक्त **वैश्विक विकासात्मक परिदृश्य पर अपनी उपस्थिति में विस्तार करना चाहिए**।
- इस सदस्यता से भारत में निजी क्षेत्र के विकास हेतु **बैंक की तकनीकी सहायता तथा क्षेत्रीय (Sectoral) ज्ञान का लाभ उठाने में मदद मिलेगी**।
- EBRD की सदस्यता से **भारतीय फर्मों की प्रतिस्पर्धात्मक सामर्थ्य में वृद्धि होगी** और व्यापार के अवसरों, खरीद गतिविधियों, *कन्सल्टन्सी असाइनमेंट* आदि के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनकी पहुँच में वृद्धि होगी।
- इससे एक ओर भारतीय पेशेवरों के लिए नये क्षेत्र खुलेंगे और दूसरी ओर भारतीय निर्यातक भी लाभान्वित होंगे।

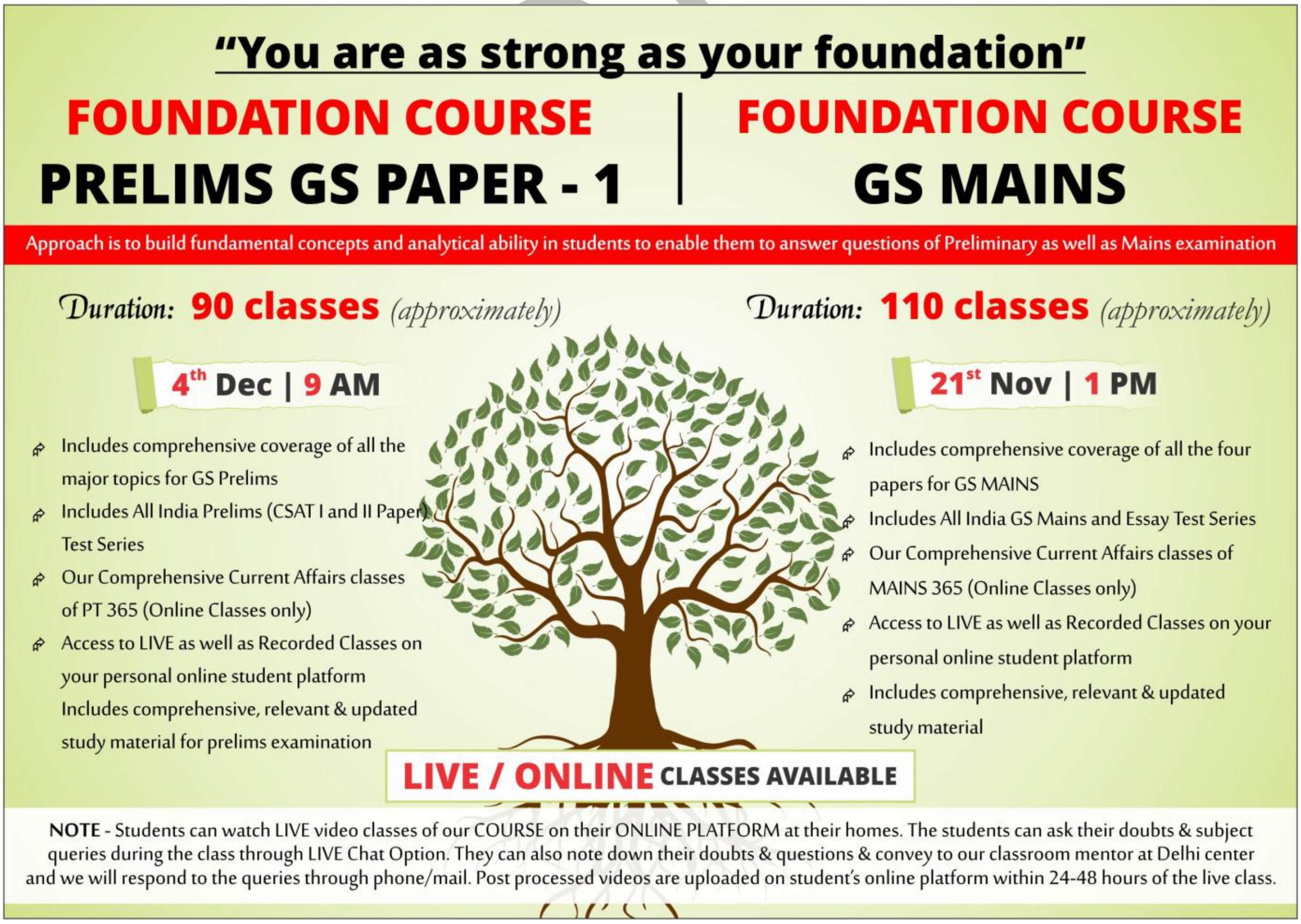

3. अर्थव्यवस्था

(ECONOMY)

3.1. कृषि निर्यात संवर्धन

(Boosting Agri-Exports)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य मंत्री ने कृषि निर्यात विस्तार के अपने संकल्प को व्यक्त किया और उम्मीद है कि वे शीघ्र ही इस संदर्भ में एक नीति की घोषणा करेंगे।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)

- यह **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** के अंतर्गत एक निर्यात संवर्धन संगठन है। इसे **अपने सूचीबद्ध उत्पादों के निर्यात के संवर्धन एवं विकास** की जिम्मेदारी दी गई है।
- इसे **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम(Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act)** के तहत स्थापित किया गया था।

कृषि निर्यात विस्तार की आवश्यकता क्यों?

- **अधिशेष का उपयोग** - कृषि निर्यात को बढ़ावा देने से, भारत प्रति वर्ष उत्पादित विविध कृषिगत उत्पादों के कृषि अधिशेष का उपयोग कर सकता है।
- **संसाधनों का इष्टतम उपयोग**- भारत की कृषि-जलवायविक परिस्थितियों के कारण, भारत में किसी भी कृषिगत वस्तु का उत्पादन संभव है। निर्यात में वृद्धि से संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **ग्लोबल वैल्यू चैन (वैश्विक मूल्य श्रृंखला) के निर्माण में सहायक** - कृषि निर्यात वैश्विक मूल्य श्रृंखला के निर्माण में सहायक होगा, जिससे कृषि क्षेत्र में बेहतर रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न होंगी।
- **किसानों की आय को दोगुना करना** - इससे किसानों को अपनी उपज हेतु बेहतर मूल्य प्राप्त करने और सरकार के 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी।

पृष्ठभूमि

- कृषि वस्तुओं के निर्यात का कृषि GDP में 13.10% योगदान है। कृषि निर्यात कुल निर्यात का 12.7% है, जबकि कृषि आयात कुल आयात का 4.2% है (2014-15)।
- भारत के कृषि व्यापार अधिशेष में 1991-92 से 2013-14 के मध्य दस गुना से अधिक वृद्धि हुई। किन्तु पिछले तीन वर्षों में इसमें 70% की गिरावट दर्ज हुई है।

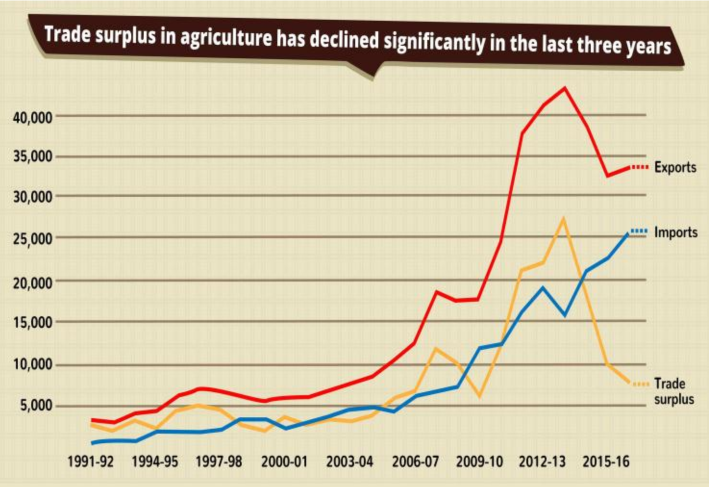

- ऐसा मुख्य रूप से **निर्यात में 22% की गिरावट** (2013-14 में $42.9 बिलियन से घटकर 2016-17 में 33.7 अरब डॉलर), जबकि आयात में 62% की बढ़ोतरी (2013-14 में $ 17.5 बिलियन से बढ़कर 2016-17 में 25.5 अरब डॉलर) के कारण हुआ है।
- कृषि निर्यात में कमी मुख्य रूप से अनाज (गेहूं और मक्का), कपास, तिलहन और गोजातीय पशुओं के मांस के निर्यात में गिरावट के कारण हुई है।
- यह मुख्य रूप से **अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट और सरकार की प्रतिबंधात्मक नीतियों के कारण** था।
- आयात की सूची में पॉम ऑयल और पीले मटर का अत्यधिक आयात हुआ।
- भारत वर्तमान में 70% कृषिगत वस्तुओं में प्रतिस्पर्धी निर्यात करता है, 10-15% वस्तुओं के मामले में गैर-व्यापार योग्य स्थिति में हैं और शेष सभी में प्रतिस्पर्धी आयात करता है।
- हाल ही में APEDA **(कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण)** ने सरकार से आग्रह किया है कि 10-20 फीसदी कृषि उत्पादन के निर्यात की अनुमति प्रदान की जाए।
- हाल ही में सरकार ने सभी प्रकार की दालों के निर्यात हेतु अनुमति प्रदान की है।

VISION IAS

- सरकार ने कृषि निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों जैसे कृषि निर्यात संवर्द्धन योजना, संपदा (SAMPADA) योजना, कृषि निर्यात जोन इत्यादि का निर्माण किया है।

कृषि -निर्यात से सम्बंधित मुद्दे

- **सरकारी नीतियों में नियमित परिवर्तन** के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत को अनियमित आपूर्तिकर्ता के रूप में देखा जाता है। सरकार द्वारा अपनाई गयी प्रतिबंधात्मक निर्यात नीति (जैसे न्यूनतम निर्यात मूल्य) के परिणामस्वरूप किसानों को अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, इससे अनिश्चितता भी उत्पन्न होती है।
- **कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों हेतु अपर्याप्त भंडारण सुविधा:** यह निर्यात के विकास को बाधित करता है क्योंकि फसल कटाई के पश्चात प्रतिवर्ष कृषिगत वस्तुओं की लगभग 44,000 करोड़ रूपये की हानि का आंकलन है।
- **भारतीय उत्पाद** विभिन्न देशों द्वारा समय-समय पर निर्धारित **फाइटोसैनिटरी (phytosanitary) और गुणवत्ता प्राप्त मानकों को पूर्ण करने में विफल रहे** हैं।
- **जोत का आकार अभी भी छोटा** है और अनौपचारिक काश्तकारी में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यहां तक कि किसी एक जिले से उत्पादित विभिन्न फसलों की किस्मों, उनके आकार एवं अन्य भौतिक मापदंडों और कटाई के समय परिपक्वता की अवस्था के मामले में महत्वपूर्ण विभिन्नता होती है। इसके कारण निर्यातकों को किसी विशेष फल या सब्जियों की अपेक्षित मात्रा को प्राप्त करना और बड़े पैमाने पर पूंजी जुटाना कठिन हो जाता है।
- **मूल्यवर्धित उत्पादों पर कम ध्यान देना:** अब तक भारत के निर्यात में मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को कम महत्व दिया गया है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अभी भी शुरुआती चरण में है। विशेषकर लघु उद्यमियों को परिष्कृत खाद्य उत्पादों के लिए कच्चे माल के साथ-साथ संभावित बाजार के संबंध में सीमित बाजार जानकारी उपलब्ध है।
- APMC द्वारा नियंत्रित मंडियों, सीमित भंडारण और व्यापारिक प्रतिबंधो ने कृषकों हेतु निर्यात-उन्मुखी मूल्य श्रृंखला के निर्माण को जटिल बना दिया है।

न्यूनतम निर्यात मूल्य: निर्यातकों द्वारा इस मूल्य से कम मूल्य पर किसी वस्तु का निर्यात नहीं किया जा सकता है। इसे देश में बढ़ते घरेलू खुदरा/थोक मूल्य या उत्पादन अवरोधों का सामना करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

APEDA की निर्यात रणनीति का मसौदा

- **फसल-पूर्व (Pre-harvest) लिंकेज:** चरण-वार तरीके से क्लस्टर्स के विकास के माध्यम से निर्यातोन्मुखी उत्पादन जहां कीट और रोगों के एकीकृत प्रबंधन तथा अधिकतम अवशेष स्तर सहित विभिन्न उपज पूर्व चरण के मुद्दों को संबोधित किया जायेगा।
- **फसल-उपरांत (Post-harvest) विकास**: निर्यात उन्मुखी बुनियादी ढांचे के विकास हेतु चिन्हित क्लस्टर क्षेत्रों में फसल-उपरांत प्रसंस्करण सुविधाओं तथा प्रयोगशालाओं आदि से संबंधित एकीकृत ढांचे का विकास किया जाएगा।
- **कोल्ड चेन लॉजिस्टिक का सुदृढीकरण:** यह आपूर्तिकर्ताओं, कारखानों, गोदामों और दुकानों की दक्षता वृद्धि से संबंधित है ताकि वस्तुओं को सही मात्रा में, सही स्थान पर एवं सही समय पर वितरित किया जा सके। जिसमें जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए हवाई परिवहन का उपयोग भी शामिल है जिससे संतोषजनक सेवा आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु कुल प्रणाली लागत को कम किया जा सके।
- **मूल्य वर्धित निर्यात को बढ़ावा:** इसमें ब्रांडेड मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात का प्रोत्साहन शामिल है, इससे मैंगो पल्प, शिशु खाद्य पदार्थ जैसे कुछ उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर हितधारकों को बेहतर मूल्यों की प्राप्त होगी।
- **गुणवत्ता में वृद्धि:** इसमें SPS अधिसूचनाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु तंत्र को मजबूत करना और SPS क्लब ऑफ इंडिया का गठन करना शामिल है। यह क्लब SPS अधिसूचनाओं के इंटरफेस हेतु नोडल बिंदु के रूप में कार्य करेगा और इसमें विभिन्न विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारी इत्यादि द्वारा बाजार पहुंच प्रयासों को सुदृढ़ करना।

आगे की राह

- भारत को तुलनात्मक लाभ वाली वस्तुओं के संदर्भ में **वैश्विक मूल्य श्रृंखला** के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। भारत में मछली, समुद्री खाद्य पदार्थ, गोजातीय (bovine) मांस, फलों, नट्स (nuts) और सब्जियों के निर्यात की अत्यधिक संभावनाएं विद्यमान हैं।
- किसानों को **बुनियादी ढांचा और संस्थागत समर्थन** प्रदान करना चाहिए। APMC मंडियों की भूमिका को कम करते हुए किसानों को निर्यात केन्द्रों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाना चाहिए।
- गोदामों, सिंचाई सुविधाओं आदि जैसे **बुनियादी ढांचागत विकास** पर और ध्यान दिया जाना चाहिए।
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए सरकार को एक स्थिर और पारदर्शी निर्यात नीति अपनानी चाहिए।
- सरकार द्वारा **लॉन्ग लैंड लीज़ या दीर्घकालीन भूमि पट्टों के समझौतों को सुविधाजनक बनाना** चाहिए। इस प्रकार के समझौतों से निजी निवेशकों को निर्यातोन्मुखी वैश्विक मूल्य श्रंखला विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- फसलों के वैज्ञानिक मूल्यांकन, मृदा स्वास्थ्य, मौसम पूर्वानुमान इत्यादि के माध्यम से घरेलू आपूर्ति की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
- कृषि विस्तार सेवाओं को महत्व दिया जाना चाहिए।

VISION IAS

3.2. भारत में मत्स्यन क्षेत्र

(Fishery Sector in India)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, भारत विश्व में **दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य** उत्पादक देश बन गया है।

क्षेत्र का अवलोकन

- वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 6.3% है। मत्स्यन क्षेत्र GDP में 1.1 % और कृषि GDP में 5.15% का योगदान देता है।
- मत्स्यन क्षेत्र की दो शाखाएं अर्थात् **अंतर्देशीय मत्स्यन और समुद्री मत्स्यन** हैं। अंतर्देशीय क्षेत्र से कुल मत्स्यन का लगभग 65% उत्पादित होता है जबकि शेष का उत्पादन समुद्री क्षेत्र से होता है।
- देश के कुल निर्यात में मत्स्य तथा मत्स्य उत्पादों का योगदान 10% है तथा कृषि निर्यात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 20% है।

भारतीय मत्स्यन क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसका लघु पैमाने का होना है। मत्स्यन क्षेत्र प्रोटीन समृद्ध पौष्टिक खाद्य तथा निर्धन मछुआरों हेतु आय और आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त अनेक सहायक गतिविधियों अर्थात् विपणन, खुदरा बिक्री, परिवहन आदि में ग्रामीण जनसंख्या को संलग्न करने हेतु मत्स्यन क्षेत्र महत्वपूर्ण है।

मत्स्यन क्षेत्र की चुनौतियाँ

- यह क्षेत्र लो-स्केल, अंतर्देशीय और ताजे जल (freshwater) से मत्स्य उत्पादन में स्थिरता और निम्न-स्तरीय अवसंरचना जैसे शीत भंडारण सुविधाओं का अभाव आदि समस्याओं से प्रभावित हैं। इनके चलते अनुमानित रूप से 15-20% की पोस्ट-हार्वेस्ट क्षति होती है।
- मत्स्य पालन हेतु गुणवत्ता युक्त बीज और खाद्य तक पहुँच तथा क्रेडिट की अपर्याप्त उपलब्धता के चलते गरीब मछुआरे इस क्षेत्र में निवेश नहीं कर पाते हैं।
- अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए जल निकायों के पट्टे के लिए कोई आचार संहिता नहीं है और इस क्षेत्र के सूखे से प्रभावित होने पर कोई पृथक प्रावधान नहीं है।
- आवास का विखंडन तथा अंधाधुंध मत्स्यन, संसाधनों का ह्रास, ऊर्जा संकट और मत्स्यन की उच्च लागत के कारण समुद्री मत्स्यन में गिरावट आई है।
- जलीय क्षेत्रों में मानव गतिविधियों के बढ़ने से डेड जोन/हाइपोक्सिक जोन की घटनाएं नियमित रूप से उत्पन्न हो रही हैं जिससे मत्स्यन क्षेत्र का स्थानांतरण या स्थायी क्षति हो रही है।
- **फाइबर रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक (FRP)** के बढ़ते उपयोग तथा निम्न गुणवता वाली नौकाओं ने समुद्री पारितंत्र को क्षति पहुँचाई है।

> **LOP सिस्टम क्या है?**
>
> LOP सिस्टम का उद्देश्य भारतीय मछुआरों को अन्य देशों से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में सक्षम पुराने जहाजों को खरीदने में मदद करना है।

सरकार द्वारा उठाये गए कदम

अंतर्देशीय मत्स्यन हेतु

- विभिन्न राज्यों में मैक्रो-प्रबंधन दृष्टिकोण के तहत **"अंतर्देशीय मत्स्यन और एक्वाकल्चर विकास"** पर केंद्र प्रायोजित योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें मत्स्य पालन हेतु अन्तर्देशीय लवणीय/क्षारीय मृदा का उत्पादक उपयोग तथा अंतर्देशीय प्रग्रहण संसाधनों का एकीकृत विकास आदि शामिल है।
- अंतर्देशीय मत्स्यन पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा निर्माण हेतु सरकार ने **डॉ दिलीप कुमार** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।

> सभी वर्तमान योजनाओं को शामिल कर एक अम्ब्रेला स्कीम **'ब्लू रिवोल्यूशन: इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज'** निर्मित की गई है।
>
> यह अंतर्देशीय मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री मत्स्यन को समाहित करेगा जिसमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, मेरीकल्चर और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) द्वारा संचालित गतिविधियां शामिल हैं।

समुद्री मत्स्यन के लिए

- सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति, 2017 अधिसूचित की थी।
- स्थानीय मछुआरों की आजीविका को बढ़ावा देने हेतु अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में **"लेटर ऑफ परमिट" (LOP)** प्रणाली पर रोक लगा दी गई है।
- पारम्परिक मछुआरों को EEZ में मानसून अवधि के दौरान मछली पकड़ने के प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है।
- समुद्री पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए भारतीय EEZ में LED लाइट और अन्य आर्टिफीसियल लाइट और बुल-ट्रॉलिंग, पर्स सेनिंग (purse seining) और गिल नेटिंग के प्रयोग पर रोक लगाई गई है।

- सरकार द्वारा मछुआरों की जनगणना की जा रही है तथा मत्स्यन गतिविधियों का एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। नौकाओं/जहाजों पर ट्रैकिंग उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं जिससे दुर्घटना आदि की स्थिति में शीघ्र ही सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

FAO कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ रेस्पोंसिबल फिशिंग (FAO's Code of Conduct of responsible Fishing)

- इस संहिता में जीवित जलीय संसाधनों के प्रभावी संरक्षण, प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी अभ्यासों के व्यवहारिक सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित किया गया है।
- यह संहिता स्वैच्छिक है। हालांकि, इसका कुछ भाग UNCLOS (यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द सी) सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित है।

उठाये जाने योग्य कदम

- **कृषि से समानता** - जलीय कृषि के लिए भी सामान्य कृषि के समान ही, विद्युत टैरिफ, कर लाभ, सब्सिडी, बीमा और क्रेडिट उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
- जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन और मत्स्य की रोग प्रतिरोधी नस्लों के विकास हेतु **अनुसंधान**।
- डॉ बी. मीनाकुमारी समिति की अनुशंसाओं, जैसे कि बफर ज़ोन का निर्माण (200 मीटर से 500 मीटर की गहराई के मध्य) और फिशिंग नेट के वैज्ञानिक उपयोग को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- मत्स्यन समुदाय के लिए **विशेष बीमा** प्रणाली एवं मछुआरों की सुरक्षा और रक्षा के लिए पड़ोसी देशों के साथ सहयोग सर्वोपरि होना चाहिए। नीतियों का उद्देश्य, विभिन्न आर्थिक और परंपरागत गतिविधियों के द्वारा मछुआरों की आजीविका का संरक्षण होना चाहिए।
- केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग द्वारा सहकारी क्षेत्र का पुनरुद्धार करने से 2022 तक किसानों **की आय दोगुनी** करने में सहायता मिलेगी।
- अंतर्देशीय क्षेत्र में, जलाशयों और ताजे जल में मत्स्यपालन विकास के दो मुख्य स्तम्भ हैं। अन्य जल निकायों जैसे बाढ़ के मैदान की झीलों और आर्द्र भूमि, सिंचाई नहरों, लवणीय और जलप्लावित क्षेत्रों जैसे अन्य स्रोतों को उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तरोतर मुख्यधारा में लाना आवश्यक है।
- देश में अंतर्देशीय मत्स्यन और जलीय कृषि के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु गुणवत्ता युक्त बीज और फीड, कल्चर-बेस्ड-कैप्टिव फिशरीज तथा फार्म आधारित प्रजातियों के पालन से संबंधित कार्यक्रमों पर फोकस करना आवश्यक होगा।
- अपतटीय जल की अनुमानित क्षमता, उत्पादन में वृद्धि के अवसर प्रदान करती है, जबकि फिशिंग फ्लीट की गहरे समुद्री संसाधनों के उपयोग की क्षमता सीमित है। इसलिए अपतटीय जल में विविध मत्स्यन तकनीक के प्रोत्साहन हेतु, **फ्लीट अपग्रेडेशन के साथ ही** साथ मछुआरों के कौशल और क्षमता में वृद्धि भी आवश्यक है। फिश ऐग्रिगेटिंग डिवाइस (FADs) और कृत्रिम रीफ (ARs) के द्वारा मछली के स्टॉक में वृद्धि तथा मेरीकल्चर के प्रोत्साहन से उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।
- विधायी क्षेत्र में, तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (UTs) के वर्तमान समुद्री मत्स्य पालन विनियमन अधिनियम (MFRA) में कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिस्पान्सबल फिशरिज (CCRF) की आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए संशोधन आवश्यक है। इसी प्रकार, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि हेतु एक मॉडल बिल आवश्यक है। EEZ में भारतीय स्वामित्व वाली मत्स्यन नौकाओं द्वारा मत्स्यन को नियंत्रित करने हेतु एक केंद्रीय अधिनियम की आवश्यकता है।

3.3. बीज उद्योग

(Seed Industry)

सुर्खियों में क्यों?

- हालिया रिपोर्टों में दर्शाया गया है कि 2009-2016 के दौरान भारतीय बीज बाजार 17% की वृद्धि दर से बढ़कर 2016 में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो गया है।

बीज के बारे में जानकारी

- यह एक परिपक्व बीजांड है जिसमें भ्रूण पौधे के साथ खाद्य सामग्री को सुरक्षात्मक आवरण द्वारा कवर किया जाता है।
- बीज उत्पादन, प्रजनन प्रणाली के माध्यम से गुजरता है; **प्रजनक बीज (ब्रीडर सीड) ------ आधार बीज (फाउंडेशन सीड) ------ प्रमाणित बीज (सर्टिफाइड सीड)**
- प्रजनक बीज का उत्पादन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है और आधार तथा प्रमाणित बीज का उत्पादन राष्ट्रीय बीज निगम (मिनीरत्न) द्वारा किया जाता है।

विधायी पहलें

वर्तमान में बीज क्षेत्र निम्नलिखित कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है;

- **बीज अधिनियम, 1966**: प्रमाणित बीज की गुणवत्ता को विनियमित करता है।
- **बीज नियंत्रण आदेश,** 1983: बीजों की बिक्री को नियंत्रित करता है और लाइसेंस प्रदान करता है।
- **नई बीज विकास नीति, 1988:** बीजों के आयात, निर्यात आय और कृषि आय बढ़ाने पर जोर।

VISION IAS

- **पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2011 (PPVFR Act)**: यह पौधों के प्रजनकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करता है।
- **राष्ट्रीय बीज नीति 2002-** निम्न पर आधारित है:
  - बीज किस्मों का विकास, बीज उत्पादन, निजी क्षेत्र को प्रमुख कर्ता के रूप में प्रोत्साहित करके बीज वितरण व विपणन, अवसंरचना सुविधा तथा नेशनल जीन फण्ड।
- **EXIM पॉलिसी 2002-07**: कुछ विशेष प्रकार के बीजों जैसे कि प्याज, बरसीम, काजू आदि को छोड़कर निर्यात प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया गया है।
- **बीज बिल 2004 (seed bill 2004)**:
  - यह बीज अधिनियम, 1966 को प्रतिस्थापित करता है।
  - बीजों के लिए न्यूनतम बीज मानक निर्धारित करता है।
  - बीजों की अनुपयोज्यता (non-performing) की स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत मुआवजे का प्रावधान किया जा सकता है।
  - निजी बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के स्व-प्रमाणीकरण और मान्यता हेतु प्रावधान, और
  - ट्रांसजेनिक बीजों का विनियमन
- **राष्ट्रीय बीज योजना, 2005:** कृषि शैक्षिणिक संस्थानों, बीज कंपनियों और राज्य सरकार के मध्य एक सहक्रियाशील दृष्टिकोण पर बल।

भारत में बीज उद्योग

- भारत विश्व में पांचवां सबसे बड़ा बीज बाजार है।
- इसके 2017-2022 की अवधि के दौरान 15% से अधिक दर से बढ़कर वर्ष 2022 तक 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने की संभावना है।
- मक्का, कपास, धान, गेहूं, ज्वार, सूरजमुखी और बाजरा जैसे बीजों का बीज बाजार में प्रमुख योगदान है।
- अन्य आगतों के कुशल प्रबंधन द्वारा कुल उत्पादन में गुणवत्तापूर्ण बीजों के प्रत्यक्ष योगदान को 45% तक बढ़ाया जा सकता है।

सम्बंधित मुद्दे

बीज क्षेत्र से संबंधित मुद्दों में विभिन्न हितधारक सम्मिलित हैं, जैसे ;

- **बीज कंपनियां**
  - कंपनियों के लिए जटिल और अस्थिर IPR व्यवस्था और विभिन्न लाइसेंसिंग शर्तों के चलते निजी कम्पनियों द्वारा अनुसंधान में निवेश उनकी आय का केवल 3-4% है जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक 10-12% है।
  - इसके अतिरिक्त, GM फसल बीज के संबंध में जो वर्तमान प्रौद्योगिकी प्रदाता कम्पनियाँ है वो लगभग एकाधिकार की स्थिति में है।
- **सरकार**
  - महाराष्ट्र और तेलंगाना में अनधिकृत GM फसलों पर आधारित बीजों की बड़े पैमाने पर अवैध बिक्री तथा रोपण को प्रतिबंधित करने में नियामकीय विफलता के मामले प्रकाश में आए हैं।
  - विभिन्न कृषि अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि बीज क्षेत्र की नीतियों में दूरदर्शी दृष्टिकोण का अभाव है तथा ये विखंडित कार्यवाहियों पर आधारित हैं।
- **किसान**
  - अधिकतर फसलों हेतु बीज प्रतिस्थापन दर 20 प्रतिशत के वांछित स्तर से नीचे बनी हुई है।
  - कृषि से उत्पादित हुए बीजों के गैर-वैज्ञानिक उपयोग से कृषि उत्पादन में कमी आती है, जिससे कृषि आय घटती है।
  - बीजों हेतु इष्टतम बीज गुणक दर (प्रजनन प्रणाली) को प्राप्त करने के लिए कम भूमि की उपलब्धता किसानों के समक्ष एक चुनौती बन गई है।

बीज प्रतिस्थापन अनुपात (SRR)

- यह एक मापक है जो कुल फसल क्षेत्र में से कितना भाग खेतों में बचाए हुए बीज की तुलना में प्रमाणित बीज द्वारा बोया गया है।
- यह गुणवत्तापूर्ण बीज तक किसानों की पहुँच को प्रदर्शित करता है और कृषि उत्पादकता के समानुपाती होता है।

उठाये जाने वाले कदम

- अवैध GM कपास उत्पादित करने वाले कृषि क्षेत्र की पहचान करने और उन क्षेत्रों पर अधिग्रहण करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर **एक तीव्र कार्यवाही ढांचे** की आवश्यकता है।
- **GM तकनीक पर फोकस:** GM फसलों के लिए राष्ट्रीय नीति जो इनके उपयोग के लिए सही क्षेत्रों को परिभाषित करेगी व GM तकनीक में सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी।

VISION IAS

- **त्वरित समाधान:** इस उद्योग को प्रभावित करने वाले विभिन्न IPR कानूनों के बीच के अस्पष्टता को समाप्त करना। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सरकार कैसे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में बौद्धिक संपदा का संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ-साथ अनुसंधान निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करेगी।
- **प्रोत्साहन:** कम मूल्य तथा उच्च उत्पादन क्षमता युक्त बीजों के उत्पादन के लिए, बैंक को स्वीकार्य योजनाओं के तहत निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए।
- **विनियामक तंत्र**: बीज और बायोटेक उद्योग पारदर्शी, विज्ञान-आधारित, पूर्वानुमेय और निष्पक्ष बनाने हेतु विनियामकीय तंत्र को सुदृढ़ करना।
- **एकीकृत दृष्टिकोण:** बीज प्रतिस्थापन दर में सुधार तथा कृषि-जलवायु क्षेत्र के अनुरूप उपयुक्त गुणवत्ता वाले बीजों के वितरण की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ सामान्य तथा क्षेत्र विशिष्ट बाधाओं को समाप्त करने हेतु निर्धारित लक्ष्य के साथ प्रयास किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

अर्थव्यवस्था में अच्छे कृषि स्वास्थ्य के लिए बीज उद्योग महत्वपूर्ण उपकरण है। बीज विज्ञान के माध्यम से 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को एकीकृत बीज बाजार के माध्यम से प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

3.4. विद्युत में ओपन एक्सेस

(Open Access in Electricity)

सुर्खियों में क्यों ?

- केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने ओपन एक्सेस (खुली पहुँच) से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए **केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण** द्वारा स्थापित समिति के माध्यम से एक परामर्श पत्र तैयार किया है।

पृष्ठभूमि

- ओपन एक्सेस एक ऐसा तंत्र है जो उत्पादनकर्ताओं को उच्चतम बोली लगाने वालों को विद्युत विक्रय की अनुमति प्रदान करता है, जबकि उपभोक्ता सबसे सस्ते विक्रेताओं से विद्युत क्रय कर सकते हैं।
- **विद्युत अधिनियम, 2003** निजी उत्पादनकर्ताओं और थोक उपभोक्ताओं (**जो 1 MW या अधिक विद्युत का उपभोग करते हैं**) के लिए ओपन एक्सेस का प्रावधान करता है।
- स्थानीय डिस्कॉम (DISCOM) के अतिरिक्त अन्य आपूर्तिकर्ताओं से विद्युत प्राप्त करने हेतु उपभोक्ताओं की ट्रांसमिशन और वितरण (T&D) नेटवर्क तक पहुंच होती है।

क्रॉस सब्सिडाइजेशन - इसके तहत उपभोक्ताओं के एक अन्य निश्चित समूह से सेवाओं के लिए उच्च मूल्य लिया जाता है जिससे उपभोक्ताओं के एक निश्चित समूह को कम कीमतों में सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, अर्थात् उन्हें वास्तविक कीमतों पर सब्सिडी प्रदान की जा सके।

इसका उपयोग विद्युत क्षेत्र में वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोगकर्ताओं पर उच्च मूल्य आरोपित करके लघु और आवासीय उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु किया जाता है।

ओपन एक्सेस के लाभ

- **प्रतिस्पर्धात्मक बाजार** - ओपन एक्सेस विद्युत क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी में वृद्धि करती है, जिसके परिणामस्वरूप एक गतिशील और प्रतिस्पर्धी बाजार का निर्माण हो सकेगा।
- **विकल्पों में वृद्धि** - अनेक आपूर्तिकर्ताओं के साथ-साथ वर्तमान डिस्कॉमों (वितरण कंपनियों) की उपस्थिति से उपभोक्ता सस्ते स्रोतों का पता लगा सकते हैं। बड़े उपभोक्ताओं को ओपेन मार्केट से विद्युत खरीदने से लाभ हुआ है क्योंकि **इससे उन पर क्रॉस सब्सिडाइजेशन का भार नहीं पड़ता** है।
- **सतत विद्युत आपूर्ति** - यह डिस्कॉम द्वारा बाधित विद्युत आपूर्ति के मद्देनजर बड़े उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान करता है। यह उन उद्योगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है जो कार्य के लिए हमेशा विद्युत का उपयोग करते हैं।

ओपन एक्सेस से सम्बंधित मुद्दे

- **ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग (नियमित स्थानांतरण):** ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की डिस्कॉम और विद्युत के अन्य स्रोतों के मध्य फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग के कारण, डिस्कॉम द्वारा विद्युत खरीद का प्रबंधन करना कठिन होता है।
- **क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज:** राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (SERC) द्वारा क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज परिकलित किया जाता है और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से वसूल किया जाता है। सामान्यतः यह सरचार्ज ओपन एक्सेस मार्ग से उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली विद्युत खरीद के कारण होने वाली क्रॉस सब्सिडी की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए अपर्याप्त है।

- **अतिरिक्त सरचार्ज या अधिभार:** डिस्कॉमों द्वारा अधिकतर विद्युत खरीद की प्रकृति दीर्घकालीन है। बीच में फँसे विद्युत खरीद समझौतों (PPA) और उपभोक्ताओं द्वारा ओपन एक्सेस के माध्यम से विद्युत की खरीद के कारण डिस्कॉम की परिसंपत्तियाँ फँसी हुई हैं। डिस्कॉम की इस फंसी हुई लागत की वसूली के लिए अतिरिक्त अधिभार लगाने की आवश्यकता है। अधिकांश मामलों में इस अतिरिक्त अधिभार की उचित रूप से गणना नहीं की गई है। इससे डिस्काम द्वारा किए गए विद्युत खरीद के व्यय की पूर्ण वसूली नहीं हो पाई है।
- **लोड वैरिएबिलिटी (लोड परिवर्तनशीलता)** - लोड परिवर्तनशीलता के मद्देनजर उद्योगों हेतु डिस्कॉमों की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। यह न केवल लोड प्रबंधन मुश्किल बनाता है, बल्कि बाद में लोड की कमी होने पर भी, डिस्कॉम को क्षमता शुल्कों (कैपेसिटी चार्जेज) का भुगतान करना पड़ता है। इस क्षमता शुल्क में उन मामलों के संदर्भ में स्टैंडबाय शुल्क भी शामिल है, जहाँ ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए आकस्मिक व्यवस्था की जाती है। क्षमता शुल्क के कारण डिस्कॉम पर वित्तीय बोझ बढ़ता है।
- **अपर्याप्त पारेषण (ट्रांसमिशन) क्षमता-** देश में निम्नस्तरीय ट्रांसमिशन नेटवर्क ओपन एक्सेस के माध्यम से विद्युत की खरीद करना मुश्किल बनाता है।

आगे की राह

- ओपन एक्सेस ग्राहकों को ओपन एक्सेस के माध्यम से विद्युत प्राप्त करने की स्थिति में कम से कम 24 घंटों के लिए विद्युत उपयोग की योजना बनानी चाहिए, जिससे फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग की समस्या का उचित प्रबंधन किया जा सके।
- हालांकि, प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ताओं के मध्य स्विच (परिवर्तन) करने में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाये रखा जा सके।
- क्रॉस-सब्सिडाइजेशन के उच्च स्तर को संबोधित करने की आवश्यकता है और सरकार को घाटे में चल रहे डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु विद्युत टैरिफ को तर्कसंगत बनाना चाहिए।
- अंततः राज्य के साथ-साथ अंतर-राज्य ओपन एक्सेस में सुधार हेतु ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत किया जाना चाहिए।

3.5. राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण

(National Anti-Profiteering Authority)

सुर्खियों मे क्यों ?

- वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद ने **राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (NAA) के गठन को मंजूरी प्रदान की है ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर कटौती के लाभ को अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।**

मुनाफाखोरी से अभिप्राय व्यापारियों द्वारा कीमतों में हेरफेर, कर की दरों में समायोजन इत्यादि द्वारा अनुचित लाभ कमाने से है।

GST के संदर्भ में, इसका अर्थ है कि जब GST दरों में कटौती की जाती है तो भी व्यापारी कीमतों में कटौती नहीं करते हैं।

इनपुट टैक्स क्रेडिट निर्माताओं को इनपुट पर दिए गए कर को घटाकर शेष राशि (आउटपुट पर दिया जाने वाला कर) का भुगतान करने के लिए सक्षम करता है।

NAA के बारे में अतिरिक्त जानकारी

- हाल ही में GST की दरों में की गई कमी को ध्यान में रखते हुए **सरकार ने GST कानून के तहत NNA का गठन किया** है।
- NNA के **साथ, एक स्थायी समिति, प्रत्येक राज्य में छानबीन समितियां और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) में सेफगार्ड महानिदेशालय** को भी मुनाफाखोरी विरोधी उपायों के तहत स्थापित किया गया है।
- मुनाफाखोरी विरोधी उपायों को लागू करने के मामले में, NAA संबंधित आपूर्तिकर्ता/व्यवसाय को अपनी कीमतों को कम करने या उसके द्वारा लिए गए अनुचित लाभ को सेवाओं के प्राप्तकर्ता को ब्याज के साथ वापस करने के लिए आदेश दे सकता है।
- अगर अनुचित लाभ को प्राप्तकर्ता (उपभोक्ता) को वापस न किए जा सके तो इस स्थिति में इसे **उपभोक्ता कल्याण निधि** में जमा करने का आदेश दिया जा सकता है।
- चरम मामलों में, NAA दोषी व्यवसायिक इकाई पर जुर्माना लगा सकता है और यहां तक कि GST के तहत उसके पंजीकरण को रद्द करने का आदेश दे सकता है।

उपभोक्ता कल्याण कोष

- इस कोष की स्थापना **राजस्व विभाग** द्वारा की गयी है इसे **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा** द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- उपभोक्ता कल्याण कोष का उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने एवं उसके संरक्षण हेतु तथा देश में उपभोक्ता आन्दोलन को मजबूती प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

सम्बंधित मुद्दे

- यह चर्चा का एक सार्थक बिंदु हो सकता है कि क्या NAA मूल्य निर्धारण के दुरुपयोग की जांच करने के लिए सबसे उपयुक्त एजेंसी है या फिर यह कार्य किसी अतिव्यापी अधिदेश वाली पूर्ववर्ती एजेंसी को सौंप दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया ने अपना GST कानून पारित करते हुए संबंधित मूल्य निर्धारण के उल्लंघन की जांच का अधिकार अपने प्रतिस्पर्धा आयोग को प्रदान किया था।
- GST के लाभों को उपभोक्ताओं तक पहुँचाना **बाजार संरचना का कार्य** है, जो मूल्य निर्धारण करता है। उपभोक्ता हितों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन बाजार शक्तियों के स्थान पर कीमतों का सरकार के नियंत्रण में रहना और व्यवसायों को उनके मूल्य निर्धारण निर्णयों को उचित ठहराने हेतु कहना हतोत्साहित करता है।

आगे की राह

- NAA भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग से संकेत ले सकता है, बाजार में अपनी प्रभावी स्थिति के कारण अंधाधुंध कीमतें बढ़ाने वाली या मूल्य निर्धारण कार्टेल का निर्माण करने वाली फर्म पर फोकस कर सकता है।
- यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जांच लागत प्रभावी हो। इसे जांच क्षेत्र को सीमित करके और संचालन नियमों का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है।
- संक्षेप में, NAA की स्थापना GST से जुड़े मूल्य निर्धारण के दुरुपयोग से उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु सराहनीय कदम है। साथ ही, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राधिकरण की शक्तियों का पारदर्शी रूप में और केवल उपभोक्ता/सार्वजनिक हितों के मुद्दे हेतु ही उपयोग किया जाना चाहिए।

3.6. दूरसंचार क्षेत्र के लिए ट्राई की सिफारिशें

(TRAI Recommendations for the Telecom Sector)

3.6.1. नेट न्यूट्रैलिटी

(Net Neutrality)

सुर्खियों में क्यों?

- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने नेट न्यूट्रैलिटी के संबंध में अपनी अनुशंसाएं जारी की हैं।

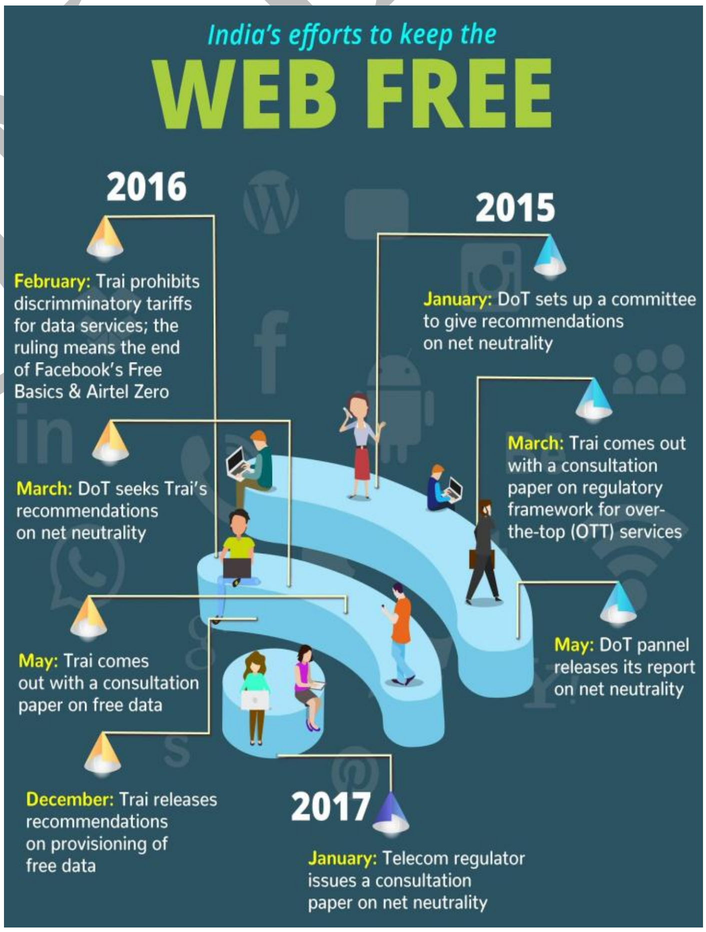

Net-Neutrality

- नेट न्यूट्रैलिटी या नेटवर्क न्यूट्रैलिटी की अवधारणा के अनुसार, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को उनके नेटवर्क पर संचारित होने वाले समस्त डेटा के सम्बन्ध में निष्पक्षता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसे डेटा का संचालन किसी विशेष एप, साइट्स या सेवा के पक्ष में अनुचित भेदभाव किए बिना करना चाहिए।

VoIP

- वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP), ऐसी तकनीक है, जिसमें वॉइस कॉल के लिए नियमित (या एनालॉग) फोन लाइन की अपेक्षा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग किया जाता है।

कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क प्लेटफॉर्म (CDN PLATFORM)

- CDN, एक्सेस प्रदाता के टर्मिनेटिंग नेटवर्क के सिरे पर (या भीतर) तैनात सर्वरों की एक प्रणाली है, जिसका उपयोग कंटेंट प्रोवाइडर अपने कंटेंट को वितरित करने के लिए कर सकते हैं।

अनुशंसाएं

गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार: यह कंटेंट के प्रेषक या प्राप्तकर्ता, प्रयुक्त प्रोटोकॉल या इन्टरनेट सेवा का उपयोग के लिए प्रयुक्त उपकरणों के आधार पर, किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। इसके अतिरिक्त, ट्राई किसी भी कंटेंट को अवरुद्ध करने, उसका निम्नीकरण करने, धीमा करने या अधिमानी व्यवहार के विरुद्ध विशिष्ट नियमों की अनुशंसा करता है।

विशिष्ट सेवा: ट्राई ने कुछ विशेषीकृत सेवाओं (जिनके संचालन के लिए न्यूनतम सुनिश्चित गुणवत्ता की आवश्यकता होती है) को न्यूट्रैलिटी फ्रेमवर्क से छूट प्रदान की है, जैसे- टेली सर्जरी, वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) और IPTV सेवाएं आदि।

कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN) प्लेटफ़ॉर्म: प्राधिकरण द्वारा अनुशंसा की गयी है कि CDNs को गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार पर आरोपित किसी भी प्रतिबंधों के दायरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जिन्हें विशेष रूप से इंटरनेट एक्सेस सेवाओं के प्रदाताओं को कवर करने के लिए निर्मित किया गया है।

उचित ट्रैफिक प्रबंधन व्यवहार (Reasonable traffic Management practices): इस संबंध में, ट्राई समय-समय पर, उपयुक्त ट्रैफिक प्रबंधन व्यवहार के कार्यक्षेत्र और मूल्यांकन के सन्दर्भ में अधिक जानकारी निर्दिष्ट करने हेतु उपयुक्त विनियमों का निर्माण कर सकता है।

विनियामक निकाय: ट्राई ने सुझाव दिया है कि दूरसंचार विभाग नेट-न्यूट्रैलिटी की निगरानी के लिए हितधाकों के मध्य सहयोगपूर्ण व्यवस्था के ढांचे के साथ बहु-हितधारक निकाय स्थापित कर सकता है।

अनुशंसाओं का महत्व

- ये अनुशंसाएं इंटरनेट के लोकतंत्र को सुरक्षा एवं प्रत्येक नागरिक की इंटरनेट तक न्यायोचित पहुँच को प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- ये भारत में नवोन्मेष और अनुकूलता हेतु IT और OTT (ओवर-द-टॉप) सेवा प्रदाता के लिए निष्पक्ष एवं संतुलित परिस्थितियां सुनिश्चित करेंगी तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रासंगिक नई सेवाओं की सीमा का निरंतर विस्तार करेंगी।
- CDN छूट से उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने वाले एकीकृत ऑपरेटरों को लाभ होने की सम्भावना है। CDN दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सार्वजनिक इंटरनेट का उपयोग किए बिना अपने नेटवर्क के अंदर कंटेंट वितरित करने के लिए सक्षम बनाता है।

अनुशंसाओं की कमियाँ

- ट्राई द्वारा नेट न्यूट्रैलिटी की ओर अत्यधिक सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है, विशेषकर उपयोगकर्ताओं को कनेक्टिविटी और कंटेंट प्रदान करने सम्बन्धी अर्थशास्त्र को शामिल न कर।
- ये अनुशंसा हैं, अभी तक नियम नहीं बने है, क्योंकि इसे सभी इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर को अभिशासित करने वाले लाइसेंस समझौतों में संशोधन द्वारा लागू किया जा सकता है।

3.6.2. स्पेक्ट्रम रिलैक्सेशन

(Spectrum Relaxation)

सुर्खियों में क्यों?

- **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India)** द्वारा स्पेक्ट्रम स्वामित्व सम्बन्धी मानदंडों में रियायतें प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।

स्पेक्ट्रम क्या है और यह कैसे कार्य करता है?

- स्पेक्ट्रम रेडियो तरंगों को संदर्भित करता है, जिनका प्रयोग मोबाइल फोन द्वारा डेटा ट्रांसमिट (संचारित) करने के लिए किया जाता है।
- स्पेक्ट्रम को डेटा के निरंतर संचरण हेतु सरकार द्वारा बैंड में विभाजित किया गया है।
- भारत में कैरियर्स द्वारा 800 मेगाहर्टज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहट्ज बैंड में एयरवेव (airwaves) का उपयोग किया जाता है।
- हालांकि, नीलामी के लिए 700 मेगाहर्टज को उपलब्ध कराया गया था। परंतु भारत में इसका वर्तमान में किसी भी कैरियर द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- सरकार ने समस्त देश में स्पेक्ट्रम का प्रबंधन करने के लिए भारत को 22 टेलीकॉम सर्किलों में विभाजित किया है।

Please refer to the October issue of the Vision IAS current affairs to know more about the telecom sector and SNT Mains 365 issue for net neutrality.

3.7. द्विपक्षीय ट्रान्सफर प्राइसिंग पालिसी में रियायत

(Relaxation on Bilateral Transfer Pricing Policy)

सुर्खियों में क्यों ?

- **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड** (CBDT) द्वारा **म्युचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर** (MAP) और **एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स** (APAs) के मानदंडों में रियायत प्रदान की गयी है।

ट्रान्सफर प्राइसिंग :
यह संबंधित संस्थाओं (जिनका समान स्वामित्व है) के अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के मूल्य निर्धारण को संदर्भित करता है।
उदाहरण के लिए: जापान स्थित ऑटोमोबाइल कंपनी भारत में अपने कर भुगतान को अधिकतम करने हेतु अपनी भारतीय सहायक कंपनी द्वारा उचित मूल्य वसूल सकती है।
दोहरा कराधान निवारण समझौता (DTAA): यह समान करदाता को दोहरे कराधान से बचाव हेतु दो देशों के मध्य कर संधि है।

यह क्या है ?

- APAs और MAP हस्तांतरण मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों में वैकल्पिक कर विवाद तंत्र हैं।
- APA करदाता और कम से कम एक कर प्राधिकरण (द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने वाले दो देशों में से कोई एक) के मध्य एक अनुबंध है, जो करदाता द्वारा अपनी संबंधित-कंपनी के लेनदेन पर लागू की जाने वाली मूल्य-निर्धारण प्रणाली को निर्दिष्ट करता है। इस पर लेनदेन होने से पहले हस्ताक्षर किया जाता है।
- MAP एक उपाय है, जिसके माध्यम से करदाता अपने देश में राहत प्राप्त कर सकता है, यदि उसे लगता है कि उस पर दोनों देशों के मध्य हुई द्विपक्षीय संधि की शर्तों के अनुसार कर नहीं लगाया जा रहा है।
- हाल ही में प्रदत्त रियायतों से पूर्व, आयकर विभाग केवल उन देशों से द्विपक्षीय APAs और MAP स्वीकृत कर सकते थे, जिनके साथ DTAA में ऐसे समायोजन हेतु उपबंध किया गया हो।
- अब संबंधित कंपनियों के साथ दोहरे कराधान निवारण समझौते (DTAA) में अनुरूप समायोजन उपबंध की अनुपस्थिति के बावजूद आयकर विभाग कंपनियों से आवेदन प्राप्त करना जारी रखेगा।
- ट्रान्सफर प्राइसिंग मामलों में 'अनुरूप समायोजन' उपबंध के अनुसार, यदि DTAA-हस्ताक्षरकर्ता देश द्वारा कंपनी पर कर की मांग में वृद्धि की गयी है, तो भारतीय राजस्व अधिकारी भारत में स्थित मूल कंपनी की कर देयता को कम कर देंगे।

OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन)
यह एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसका उद्देश्य उन नीतियों को बढ़ावा देना है, जिससे संपूर्ण विश्व के लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार हो।

प्रासंगिकता

- इस कदम ने भारत को विदेशों में सामान्य रूप से स्वीकृत ऐसे व्यवहारों के समकक्ष खड़ा कर दिया है, जिन्हें OECD द्वारा उल्लिखित किया गया है।
- यह कदम सरकार के एक गैर-प्रतिकूल कर व्यवस्था स्थापना संकल्प को मजबूती प्रदान करता है और इस प्रकार भारत की ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस संभावनाओं में भी सुधार करता है।
- यह मुकदमेबाजी में फंसे विभिन्न लंबित ट्रान्सफर प्राइसिंग मामलों के समाधान को भी संभव बनाएगा।

3.8. डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क पर श्वेत पत्र

(White Paper on Data Protection Framework)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। यह न्यायमूर्ति **बी. एन. श्रीकृष्ण के नेतृत्व में बनी विशेषज्ञ समिति** की सिफारिशों पर आधारित है।

भारत में डेटा संरक्षण की आवश्यकता

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था**: डेटा प्रेरित नवाचार एवं उद्यमिता परिवेश के विकास हेतु डेटाबेस संरक्षण फ्रेमवर्क अनिवार्य है। इससे भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की संवृद्धि भी सुनिश्चित होगी।
- **निजता का संरक्षण**: निजता को इस प्रकार समझा जा सकता है:
  - **स्थानिक निजता:** भौतिक स्थान, निकायों और वस्तुओं से संबंधित निजता;
  - **निर्णय संबंधी निजता**: कुछ महत्वपूर्ण स्व-निर्धारित (self-defining) विकल्पों की निजता और
  - **सूचना संबंधी निजता**: व्यक्तिगत सूचनाओं की निजता

हालांकि डेटा संरक्षण की अवधारणा प्राथमिक रूप से सूचना संबंधी निजता के विचार से संबंधित है, परन्तु इसका निर्णय संबंधी निजता और स्थानिक निजता पर भी प्रभाव प्रत्यक्ष है।

- **उभरती हुई तकनीकी चुनौतियां:** बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई प्रौद्योगिकियों ने आवश्यक बना दिया है कि निजता के पारंपरिक सिद्धांतों को समायोजित करते समय नवाचार और निजता के मध्य संतुलन बना रहे।

VISION IAS

- रैनसमवेयर वॉन्नाक्राय (ransomware Wannacry) जैसे **साइबर सुरक्षा संबंधी खतरों** सहित अत्यधिक हानि हो सकती है। इससे डेटा की क्षति और व्यापार में व्यवधान हो सकता है। अतः **साइबर सुरक्षा खतरों** को विधायी ढांचे की परिधि में शामिल करने की आवश्यकता है।
- निष्पक्ष प्रक्रिया और उचित वित्तीय निर्णय निर्माण हेतु, दिवालियापन संहिता के तहत स्थापित इनफॉर्मेशन यूटिलिटी द्वारा एकत्रित ऋण और डिफॉल्ट्स संबंधी **संवेदनशील वित्तीय सूचनाओं** को सुरक्षित किये जाने की आवश्यकता है।
- **संप्रभु रेटिंग:** भारत ने जिस तरह FDI उदारीकरण और सीमा-पार पूंजी प्रवाह के संबंध में वैश्विक मानदंडों का अनुपालन किया है उसी तरह आंकड़ों की निजता के वैश्विक मानदंडों का अनुपालन करना भारत के लिए अपरिहार्य हो जाता है क्योंकि डेटा की चोरी से संप्रभु रेटिंग कम हो सकती है।

समिति द्वारा दिए गए डेटा संरक्षण के लिए 7 सिद्धांत

- **प्रौद्योगिकी संशयवाद (agnosticism):** परिवर्तित प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुए कानून को लचीला होना चाहिए,
- **समग्र अनुप्रयोग:** इसे सरकार और निजी संस्थाओं दोनों पर लागू होना चाहिए,
- **सूचित सहमति:** सहमति वास्तविक, सूचित और सार्थक होनी चाहिए
- **डेटा न्यूनीकरण:** डेटा की प्रोसेसिंग न्यूनतम और केवल निर्धारण के उद्देश्य से होनी चाहिए
- **नियंत्रक जवाबदेही:** डेटा को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं को किसी भी डेटा प्रोसेसिंग के लिए जवाबदेह होना चाहिए,
- **संरचित प्रवर्तन:** डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क का प्रवर्तन उच्च-स्तरीय सांविधिक प्राधिकारी द्वारा होना चाहिए, और
- **निवारक दंड:** किसी भी अनुचित कार्य को हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त दंड होना चाहिए।

भारत में डाटा संरक्षण की स्थिति

- **न्यायिक विकास:** पुट्टास्वामी वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया कि निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अन्तर्निहित भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने 'सूचना संबंधी निजता' को निजता के अधिकार के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मान्यता प्रदान की है, जिसके लिए राज्य और गैर- राज्य अभिकर्ता के विरुद्ध दावा भी किया जा सकता है।
- **वैधानिक विकास:**
    - **सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा अभ्यास एवं प्रक्रियाएँ और संवेदनशील व्यक्तिगत आँकड़े या सूचना) नियम, 2011** संवेदनशील व्यक्तिगत आंकडों की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान करता है। परन्तु यह केवल कॉर्पोरेट सेक्टर से संबंधित मामलों को देखता है। सरकार इसकी सीमा क्षेत्र से बाहर है और यहाँ तक कि सरकारी एजेंसी के साथ सूचना साझा करने हेतु प्रदानकर्ता की सहमति की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है।
    - **आधार अधिनियम 2016** बॉयोमेट्रिक सूचना के संकलन का प्रावधान करता है और व्यक्तिगत आंकड़ों की निजता एवं सुरक्षा के लिए UIDAI की स्थापना करता है। परन्तु यह विभिन्न डेटा लीक मामलों के चलते यह अप्रभावी सिद्ध हुआ है।
    - **वित्तीय क्षेत्र:** वित्तीय सूचना, सूचना की एक अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी है और क्रेडिट इनफार्मेशन कम्पनीज रेगुलेशन, 2006 (CIC Regulations) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सर्कुलर्स के माध्यम से संरक्षित है।
    - **दूरसंचार क्षेत्र:** दूरसंचार क्षेत्र में डेटा संरक्षण मानदंड मुख्य रूप से यूनिफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट (ULA) और ट्राई के विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन ट्राई के विनियम केवल टेलीफ़ोनों के माध्यम से होने वाले संचार के मामलों में कार्यवाही करते हैं, और इनमें ईमेल एप्लीकेशन या ब्राउज़र पर दिखाई देने वाले विज्ञापनों को शामिल नहीं किया जाता हैं।
    - **स्वास्थ्य क्षेत्र:** सीमित निजता सुरक्षा उपाय और भारतीय चिकित्सा परिषद संहिता (IMCC) में एक प्रवर्तन तंत्र की अनुपस्थिति, स्वास्थ्य सूचना से संबंधित चिंताओं का समाधान करने में काफी हद तक अपर्याप्त हैं।

इस प्रकार इन सभी कानूनों और नियमों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय निजता और डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क विकसित किया जाना चाहिए।

डेटा संरक्षण के संभावित दृष्टिकोण

- समिति द्वारा यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के 'अधिकार आधारित कठोर डेटा संरक्षण मॉडल' पर विचार किया गया है, जो "राज्य के अत्यधिक विनियमन से" व्यक्ति की रक्षा करने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत जानकारी संग्रह केवल उसी स्थिति में किया जा सकता है जब व्यक्ति को इस प्रकार की जानकारी के संग्रह और उपयोग के बारे में सूचित किया गया हो।
- भारत में, निजता के अधिकार को कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन मूलभूत बनाये रखते हुए, नवाचारों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, यह भारतीय डेटा संरक्षण मॉडल को इनके मध्य किसी स्थान पर रखता है।

डेटा संरक्षण कानून में विवाद के मुद्दे:

- **संभावनाएँ और छूट:** इसमें कानून की क्षेत्रीय प्रयोजनीयता, व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा और छूट श्रेणियां शामिल हैं, ऐसे रक्षोपाय सहित, जिन्हें आंकड़ों को संसाधित करते समय सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है।
- **डेटा प्रोसेसिंग के लिए आधार, संस्थाओ पर दायित्व और व्यक्तियों के अधिकारों:** इसमें एक वैध सहमति का निर्धारण करने वाली शर्तें शामिल हैं, जो डेटा संसाधनों के आधार पर डेटा और अधिकारों को संग्रहित करने के उद्देश्य को निर्दिष्ट करती हैं, जो यूरोपीय संघ के दिशानिर्देशों पर आधारित है (OECD सिद्धांतों से प्राप्त) जैसे डेटा प्रोसेसिंग के विरोध का अधिकार, राईट टू फॉर्गाटन।

VISION IAS

* **विनियमन और प्रवर्तन**: इसमें आचार संहिता, व्यक्तिगत डेटा की चोरी//छेड़छाड़ और जुर्माना या मुआवजे के प्रावधान के मामले में प्रवर्तन मॉडल का निर्णय, मामले के अनुसार शामिल होगा।

NOTE: For details on Privacy judgment and threats to privacy Please refer Polity Main 365 Updated material for 2017.

3.9. तटीय आर्थिक क्षेत्र

(Coastal Economic Zone)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर भारत के प्रथम मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र (CEZ) की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गयी है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

* तटीय आर्थिक क्षेत्र (CEZ) नासिक, ठाणे, मुंबई, पुणे और रायगढ़ तक विस्तृत उत्तरी कोंकण क्षेत्र में विस्तारित होगा।
* यह **सागरमाला कार्यक्रम की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना** का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत 14 मेगा CEZs की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। (See Box)

सागरमाला कार्यक्रम

* यह तटीय और बंदरगाह शहर के विकास संबंधी योजना है, जहां रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से विनिर्माण इकाइयों को स्थापित किया जाएगा।
* इसका उद्देश्य देश के 7,500 किलोमीटर लम्बे समुद्र तट, 14,500 किलोमीटर नौवहन योग्य जलमार्ग तथा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों के संदर्भ में रणनीतिक अवस्थिति का लाभ उठाना है।
* सागरमाला परियोजना सरकार के सहकारी संघवाद के मूल दर्शन से प्रेरित है।

सागरमला कार्यक्रम की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perspective Plan (NPP) of the Sagarmala Programme)

* यह न्यूनतम निवेश के साथ निर्यात, आयात और घरेलू व्यापार की लागत को कम करने के सागरमाला के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के घटक;

* **बंदरगाह आधुनिकीकरण और नये बंदरगाह का विकास:** बड़े जहाजों के प्रवेश के लिए बर्थ (berths) का यंत्रीकरण और ड्राफ्ट्स को मजबूत बनाना। 5-6 नए बंदरगाहों का विकास तथा 40 बंदरगाह क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों का संचालन।
* **बंदरगाह कनेक्टिविटी संवर्धन:** 80 परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हैवी-हॉल रेल कॉरिडोर, कुशल आवागमन के माल-ढुलाई अनुकूल (freight-friendly) एक्सप्रेसवे और रणनीतिक अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास जैसी कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शामिल हैं।

* **बंदरगाह-आधारित औद्योगीकरण**: तटरेखा के किनारे 14 तटीय आर्थिक क्षेत्रों (CEZs) का विकास। इनमें ऊर्जा, थोक सामग्री (bulk materials) जैसे उद्योगों के क्लस्टर्स के साथ-साथ पृथक विनिर्माण इकाइयों की भी स्थापना होगी।

VISION IAS

- **तटीय सामुदायिक विकास**: मछुआरों के लिए अवसरों का विकास, बंदरगाह-संचालित औद्योगीकरण को समर्थन देने हेतु केंद्रित कौशल विकास पर फोकस। इस उद्देश्य के लिए पृथक तटीय सामुदायिक विकास कोष का निर्धारण किया जाएगा।
- **NPP चार रणनीतिक स्तम्भों पर आधारित है:** 1. घरेलू कार्गो की लागत को कम करने के लिए बहुआयामी परिवहन को इष्टतम बनाना, 2. निर्यात-आयात कार्गो लॉजिस्टिक्स में लगने वाले समय और लागत को कम करना, 3. थोक उद्योगों (bulk industries) को तटीय क्षेत्रों के निकट स्थापित करके उनकी लागत में कमी करना, 4. पृथक विनिर्माण समूहों को बंदरगाहों के निकट स्थापित करके निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार।

तटीय आर्थिक क्षेत्र क्या है ?

- इसकी परिकल्पना स्थानिक-आर्थिक क्षेत्र के रूप में की गई है, जिसे तटरेखा के साथ 300-500 किमी तक और तटरेखा से लगभग 200 से 300 किमी अंतर्देशीय क्षेत्रों तक विस्तारित किया जा सकता है। प्रत्येक CEZ एक राज्य के भीतर सभी तटीय जिलों का संकुलन होगा।
- यह अवधारणा चीन के शेन्ज़ेन तटीय आर्थिक क्षेत्र के विकास पर आधारित है। यह भौगोलिक सीमा प्रदान करेगा, जिसके अंतर्गत बंदरगाहों और तटीय राज्यों के लिए एक समान नीति के तहत बंदरगाह संचालित औद्योगीकरण को विकसित किया जाएगा।
- विज़ाग-चेन्नई औद्योगिक गलियारा और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा जैसे नियोजित औद्योगिक गलियारों की क्षमता का लाभ प्राप्त करने हेतु तटीय आर्थिक क्षेत्रों की परिकल्पना की गई है।
- CEZ के तहत, निवेशकों को ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस सहित व्यवसाय के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्राप्त होगा, विशेषकर निर्यात एवं आयात में सरलता, त्वरित पर्यावरणीय अनुमोदन आदि।

सागरमाला परियोजना के बारे में अन्य जानकारी

- नौवहन के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सागरमाला सर्वोच्च समिति (NSAC) को समग्र नीति के मार्गदर्शन और उच्च स्तरीय समन्वय के लिए परिकल्पित किया गया है। योजना और परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करना भी इसका कार्य है।
- राज्य स्तर/क्षेत्रीय स्तर पर स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) की सहायता हेतु सागरमाला विकास कंपनी (SDC) को नौवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत शामिल किया गया है।
- SDC, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों और बहु-पक्षीय एवं द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों से धन जुटाएगी।
- अंतिम मील कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और मुख्य बंदरगाहों की आंतरिक रेल परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) - **इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन (IPRC)** को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो शिपिंग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।

CEZs के लाभ

- **रोजगार:** नीति आयोग ने स्पष्ट किया है कि रोज़गार में निम्न वृद्धि को निर्यात संचालित तटीय अर्थव्यवस्था द्वारा बढ़ाया जा सकता है, जो वस्त्र, जूते, इलेक्ट्रानिक और इलेक्ट्रिकल उत्पादों और अन्य हल्के विनिर्माण जैसे श्रम गहन क्षेत्रों पर आधारित हो।
- **निर्यात प्रोत्साहन**: सहायक फर्म द्वारा सहायता प्राप्त, बड़ी विनिर्माण फर्म मजबूत निर्यात संचालित तटीय पारितंत्र प्रदान करेंगी।
- **विदेशी पूंजी**: यह बड़ी विदेशी कंपनियों को आकर्षित करेगा। विदेशी कंपनियों के आगमन से प्रौद्योगिकी, पूंजी, उचित प्रबंधन और विश्व बाजारों से संपर्क सुधार होगा।
- **क्लस्टर-डेवलपमेंट:** यह उनके आस-पास एक ऐसे पारितंत्र का विकास करेगा, जिसमें उत्पादक क्लस्टर छोटी एवं मध्यम कंपनियां उभरेंगी और विकसित होंगी।

चुनौतियाँ

- **भूमि संसाधन**: अधिग्रहण और मुआवजे की अत्यधिक लागत तथा राज्यों के पास भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हो रहा है।
- **अवसंरचना का अभाव-** प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो को निकालने के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव, उप-इष्टतम परिवहन मोडल मिश्रण, तटीय और अंतर्देशीय नौवहन की कम पहुंच तथा बंदरगाहों की कम गहराई के साथ निम्न भार वहन क्षमता ने CRZ के विकास को अवरुद्ध किया है।
- **विखंडित दृष्टिकोण (Fragmented approach)-** विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी, देश भर में औद्योगीकरण, व्यापार, पर्यटन और परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना के विकास में विखंडित दृष्टिकोण का कारण बन सकती है।

Note: For more information on Sagarmal Programme refer August CA 2017.

3.10. परिधान क्षेत्र

(Garment Sector)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में, सरकार ने **रिबेट ऑफ़ स्टेट लेविस ऑन गारमेंट्स एक्सपोर्ट (ROSL योजना) योजना** के तहत कस्टम ड्यूटी में छूट की घोषणा की है।

भारत में गारमेंट सेक्टर

- यह कुल औद्योगिक उत्पादन का 14% योगदान करने वाले वस्त्र उद्योग का उप-क्षेत्र है।
- वस्त्र और परिधान क्षेत्र दोनों दूसरे सबसे बड़े रोजगार प्रदाता क्षेत्र हैं। यह लगभग 51 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 68 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है (2015 -2016 में)।
- 2014-15 में 16.8 अरब डॉलर की तुलना में वर्ष 2016 -17 में परिधान का निर्यात 17.5 अरब डॉलर तक बढ़ गया।

ROSL योजना के बारे में

- यह योजना 2016 में, वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में शुरू की गयी।
- योजना के अंतर्गत, केंद्रीय लेवी में ड्राबैक योजना के माध्यम से छूट प्रदान की गयी।
- यह कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसरण में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन करने वाले निर्यातकों पर लागू होगा।
- यह विद्यमान पूर्ववर्ती अग्रिम प्राधिकृति (Advance Authorisation Scheme) योजना के तहत किए गए निर्यातों पर लागू नहीं होता है (आगतों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करने हेतु, जो भौतिक रूप से निर्यात उत्पाद में शामिल हैं)।

इस योजना का लाभ

- भारतीय परिधान निर्माता वैश्विक प्रतियोगियों के समक्ष प्रतिस्पर्धा में सक्षम होंगे।
- यह श्रम गहन, वस्त्र और परिधान क्षेत्र में निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।

परिधान उद्योग के लिए चुनौतियां

- **कारखानों का आकार**: 2015 तक, परिधान क्षेत्र MSMEs के लिए आरक्षित था। जिस कारण भारतीय वस्त्र कारखाने का औसत आकार बहुत छोटा था। इस क्षेत्र में सामान्यतया 150 लोग और लगभग 80 मशीन हैं, जबकि बांग्लादेश के कारखाने में औसतन 600 व्यक्ति कार्यरत हैं।
- **नई विपणन रणनीति की आवश्यकता** : सामाजिक विकास के कारण उपभोक्ताओं की जीवन शैली में काफी बदलाव आया है। साथ ही जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण विभिन्न मांगों और आवश्यकताओं वाले उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है।
- **मल्टीपल टैक्स**: कई अवरुद्ध इनपुट टैक्स जैसे ट्रांसपोर्ट फ्यूल ,बिजली, अचल संपत्ति पर स्टांप शुल्क, कराधान संरचना और अपंजीकृत डीलर जैसी समस्याएं विद्यमान हैं।
- **अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा: ये** क्षेत्र बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से मजबूत प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS):** MEIS योजना के तहत सरकार द्वारा आठ माह की समयावधि के लिए वस्त्रों और मेड-अप एक्सपोर्टर के लिए प्रोत्साहन दर को दोगुना कर दिया गया है।
- **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (SITP):** टेक्सटाइल पार्क के बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटित करना।
- **एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (IPDS)** - भारतीय वस्त्रों को अधिक प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **एकीकृत कौशल विकास योजना (ISDS)** - 1.5 मिलियन लोगों को प्रशिक्षण एवं अपेक्षित कौशल अन्तराल को समाप्त करने हेतु योजनाएं, जिसके लिए सरकार ने 300 मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं।
- **अमेंडेड टेक्नोलोजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री (ATUFS)** - यह प्रोद्योगिकीयों के उन्नयन के लिए उद्यमियों और व्यापारियो को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। ATUFS सुविधाओं के कारण देश में 15 अरब अमरीकी डालर के निवेश की प्राप्ति और 3 मिलियन रोजगार सृजन की संभावना है।
- **'फाइबर-तटस्थता प्रभाव' को बनाए रखा गया-** GST की शुरूआत के साथ ही सभी मानव निर्मित और प्राकृतिक फाइबर को कराधान की दृष्टि से एक जैसा माना जाएगा।

VISION IAS

ड्यूटी ड्राबैक स्कीम

- यह योजना सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के वापसी के संबंध में है, जो निर्यातित वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त आयातित और स्वदेशी सामग्री पर आरोपित की जाती है।
- यह 2 प्रकार का होता है;
  - **ऑल इंडस्ट्री रेट (AIR):** आगतों और शुल्क (उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क दोनों) की औसत मात्रा एवं मूल्य आधारित एक औसत दर
  - **ड्यूटी ड्राबैक की ब्रांड रेट:** उन मामलों में निर्यात की अनुमति है जहां निर्यात उत्पाद में ड्यूटी ड्राबैक पर कोई AIR नहीं लगाई गई है या निर्यातित वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों पर अदा किये गए शुल्क के 4/5 भाग से कम राशि को वह निष्प्रभावी कर देता है।

कुछ अन्य सुझाव

- उदाहरण के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड सपोर्ट सिस्टम के बीच निकट संबंध की स्थापना जैसेकि स्पिनिंग यार्न और रेडीमेड कपड़ों के निर्माण को जोड़ा जाना चाहिए।
- वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र को चिन्हित करना ताकि उत्पादन लागत को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके।
- साझी सहकार्यता जैसी पहलों का विस्तार; जैसे नए कपड़े को लॉन्च करने हेतु रेमंड की खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ साझेदारी।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2015 में उल्लिखित भूविज्ञान, भूगोल, और "जीन्स" (निम्न कौशल विनिर्माण कोड) की अवधारणा इस क्षेत्र में प्रभावी ढंग से प्रयुक्त की जा सकती है।

3.11. नए प्रत्यक्ष कर कानून मसौदा हेतु टास्क फोर्स

(Task Force to Draft New Direct Tax Law)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- सरकार ने वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर एक नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा निर्माण हेतु अरबिंद मोदी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय पैनल का गठन किया है।

प्रत्यक्ष कर

- वह कर जिसमें कराघात और करापात एक ही इकाई पर होता है।
- यह एक प्रगतिशील कर है, क्योंकि टैक्स देयता का अनुपात एक व्यक्ति या इकाई की आय में वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है।
- यह विभिन्न प्रकार के होते हैं; आय कर, निगम कर, लाभांश वितरण कर, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और संपत्ति कर।
- आयकर अधिनियम 1961 (ITA) में आयकर, निगम कर, संपत्ति कर आदि के प्रावधान हैं।

आवश्यकता

- वर्तमान आयकर अधिनियम अत्यंत जटिल एवं इसमें अनेक अस्पष्टताएं व्याप्त हैं। जिससे मुकदमेबाजी अत्यधिक बढ़ जाती है।
- वर्तमान कानून प्रशासनिक विवेकाधिकार प्रदान करता है जो प्रायः भ्रष्टाचार का स्रोत रहा है और कभी कभी कर आतंकवाद को भी बढावा देता है।
- अनुपालन की उच्च लागत विशेष रूप से कम आय वाले लोगों के लिए परेशानी उत्पन्न करता है और यह अंततः राजस्व हानि के लिए भी उत्तरदायी है।
- प्रत्यक्ष कर प्रणाली में कई विकृतियां विद्यमान हैं जो अर्थव्यवस्था में प्रतिभागियों के निर्णय को विकृत कर आबंटन दक्षता को क्षति पहुंचाते हैं।

अपेक्षित लाभ (Intended Benefits)

- **प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था:** सरलीकृत और स्पष्ट प्रत्यक्ष कर संहिता भारतीय अर्थव्यवस्था को कर स्थिरता, न्यूनतम छूट और आवंटन दक्षता पर फोकस करने के माध्यम से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक होगा।
- **कर आधार** : आय कर का भुगतान करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि कर इसे बदला जा सकता है।
- **निम्न अप्रत्यक्ष कर:** उच्च प्रत्यक्ष कर संग्रहण द्वारा राजकोषीय विस्तार किया जा सकता है जिससे GST की निम्न दरों के साथ गरीबों पर कर के बोझ को कम किया जा सके।

प्रत्यक्ष कर के लिए संबंधित पहल

- **भारत द्वारा बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का (BEPS) का समर्थन** - यह कर अपवंचन सबंधित रणनीतियों को दर्शाता है।जो कर नियमों में व्याप्त अन्तराल एवं असमानताओं का लाभ उठाकर कृत्रिम तरीके से कर सम्बन्धी लाभों को टैक्स हैवेन देशों में स्थान्तरित करते हैं।
- **सरकार द्वारा जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल (GARR) को स्वीकृति -** इसका लक्ष्य लेनदेन / व्यवस्था / योजनाओं पर टैक्स लगाने का है, जहां एकमात्र उद्देश्य ITA में विद्यमान कमियों का लाभ उठाकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर लाभ प्राप्त करना रहा है।
- **सरकार द्वारा निरंतर एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का विस्तार:** यह करदाता और कर प्राधिकरण के मध्य एक समझौता है, जिसके अंतर्गत भविष्य के वर्षों में करदाता के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की प्राइसिंग हेतु ट्रांसफर प्राइसिंग पद्धति का निर्धारण किया जाता है।

VISION IAS

3.12. लॉजिस्टिक क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा

(Logistic Sector Gets Infrastructure Status)

सुर्खियों में क्यों ?

- हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने अवसंरचना के उप-क्षेत्रों की श्रेणी का "परिवहन और लॉजिस्टिक्स" के रूप में विस्तार करते हुए लॉजिस्टिक क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया।

अवसरंचनात्मक दर्जे से लाभ

- इस क्षेत्र को बेहतर शर्तों के साथ आसानी से अवसंरचनात्मक ऋण उपलब्ध होगा, साथ ही दीर्घकालिक ऋण तक पहुंच, एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्रोविंग रूट का लाभ और प्रतिस्पर्धी दरों पर मौजूदा ऋण का पुनर्वित्तियन शामिल हैं।
- इस क्षेत्र को बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों से अधिक धनराशि प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

लॉजिस्टिक अवसंरचना के बारे में

- इसमें सामग्री संचालन, वेयरहाउसिंग, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, शिपिंग सुरक्षा, इन्वेंट्री मेनेजमेंट और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, खरीद और कस्टम सर्विस शामिल है।
- सरकार **लॉजिस्टिक को निम्न** प्रकार से परिभाषित करती है;
    - एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जिसमें न्यूनतम 50 करोड़ का निवेश और न्यूनतम 10 एकड़ भूमि के साथ एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD) सम्मलित हो।
    - 15 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश और न्यूनतम 20,000 वर्गफुट क्षेत्रफल वाले शीतगृह श्रृंखला की सुविधा और 25 करोड़ रुपए के न्यूनतम निवेश और 100,000 वर्ग फीट के एक न्यूनतम क्षेत्रफल वाले वेयर हाउस की सुविधा होगी।

अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुसंगत सूची

- यह अवसंरचना हेतु सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों के मध्य एक समन्वित दृष्टिकोण की सुविधा है, और इस प्रकार अवसंरचना विकास को इष्टतम तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा।
- केवल प्रोजनीयता के आँकलन पश्चात् किसी विशेष एजेंसी द्वारा प्रस्तावित नए उप-क्षेत्रों का समावेश-
    - अवसंरचना क्षेत्र की छह विशेषताएं (अर्थात् प्राकृतिक एकाधिकार, उच्च डूब लागत (high sunk costs) और परिसंपत्ति विशिष्टता, उत्पादन की गैर-परंपरागतता, खपत में प्रतिद्वंद्विता, मूल्य बहिष्करण की संभावना और बाह्य कारकों की उपस्थिति और
    - तीन मापदंडों में से एक या अधिक (अर्थात् आर्थिक विकास की योजना के लिए इसका महत्व, मानव पूंजी में योगदान करने की क्षमता और विशिष्ट परिस्थितियों जिसके तहत इसे भारत में विकसित किया गया है)

वर्तमान में, परिवहन और लॉजिस्टिक, ऊर्जा, जल एवं स्वच्छता, संचार और सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना पांच व्यापक श्रेणियों में शामिल हैं।

लॉजिस्टिक क्षेत्र का महत्व

- **रोजगार:** यह उद्योग 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और इसमें 15% की दर से वृद्धि हो रही है, कुछ उप-क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 30 से 40% तक की वृद्धि हो रही है।
- **सकल घरेलू उत्पाद (GDP):** भारत लॉजिस्टिक्स और परिवहन पर अपने GDP का लगभग 14.4% व्यय करता है।
- **विनिर्माण क्षेत्र प्रतिस्पर्धा:** लॉजिस्टिक्स वस्तुओं का कुशल और लागत प्रभावी प्रवाह प्रदान करता है जिस पर अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र निर्भर करते हैं।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां

- परंपरागत रूप से श्रम बल द्वारा संचालित और असंगठित एवं विखंडित उद्योग संरचना के कारण इसका पूर्णरुपेण लाभ नही उठाया जाता हैं।
- **परिवहन**: रेलवे नेटवर्क उच्च माल टैरिफ, निम्न टर्मिनल गुणवत्ता और विभिन्न प्रकार के उत्पादों के आवागमन में लचीलापन निम्न है।
    - **सड़क पर:** ट्रकिंग इंडस्ट्री के विखंडन का उच्च स्तर, अत्यधिक चेक पॉइंट (समय की हानि और प्रशासनिक बाधाएं)
    - **बंदरगाह पर:** जहाज पर से माल उतारने और लादने की क्रिया की उच्च बारंबारता, बंदरगाहों की अपर्याप्त गहराई के कारण बड़े जहाजों को आकर्षित करने में असमर्थ रहे हैं।
- **भंडारण अवसंरचना**: गोदाम का अपर्याप्त आकार, वांछित स्थान पर जमीन पाने में कठिनाई, और आधिकांश वेयरहाउस लीक प्रूफ नहीं है।
- **प्रौद्योगिकी**: स्वचालित भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली, ऑनलाइन कार्गो समाधान, GPS कार्गो ट्रैक आदि जैसे प्रौद्योगिकी के संदर्भ में वृहद् परिवर्तन की आवश्यकता है।
- **कर**: एक जटिल कर प्रणाली कई चुनौतियों को उत्पन्न करती है, जैसे- भंडारगृह स्थल के पारगमन और विखंडन में विभिन्न राज्य और केन्द्रीय करों के भुगतान से महत्वपूर्ण समय की हानि होती है।

VISION IAS

चुनौतियों का प्रभाव

- भारत में लॉजिस्टिक्स की कुल उत्पाद लागत का प्रतिशत, विकसित देशों की तुलना में 4-5 गुना अधिक है। यह उस समय है जब प्रदत्त लॉजिस्टिक्स सेवाओं की गुणवत्ता उच्चतम मानक वाले नहीं है।
- अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स के उच्च लागत स्तर के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- यह प्रत्येक नागरिकों के वित्तीय कल्याण को भी प्रभावित करता है क्योंकि अपर्याप्त लॉजिस्टिक के कारण उत्पादन लागत में अतिरिक्त वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है।

सरकारी पहल

- **डीजल का डी-रेगुलेशन** : डीजल की कीमत अंतरराष्ट्रीय ईंधन की कीमतों के साथ सम्बंधित होने से लॉजिस्टिक्स की लागत अधिक सटीक हो गई है। यह हमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए बाध्य करता है।
- **लॉजिस्टिक्स दक्षता संवर्धन कार्यक्रम (LEEP)**: लॉजिस्टिक पार्कों के प्रबंधन और विकास एवं लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने हेतु लॉन्च किया गया था ।
- **प्रौद्योगिकी पहल**: रियल टाइम ट्रैकिंग हेतु भंडारगृहों एवं परिवहन में ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम (ASRS), बार कोड के स्थान पर रेडियो फ्रीक्वेंशी आइडेनटीफिकेशन (RFID), और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS)।
- **GST**: लॉजिस्टिक्स के लिए जटिल कर संरचना को हल करना महत्वपूर्ण है, जिससे लॉजिस्टिक्स-मांग, आपूर्ति, उपभोक्ता से जुड़ाव, आउटसोर्सिंग, परिवहन लागत और इन्वेंट्री की लागतों के बारे में रसद फर्मों द्वारा कुशल निर्णयन का मार्ग प्रशस्त होगा।

उठाये जाने वाले कदम

- **बुनियादी ढांचे के नियोजन में समन्वय**; अर्थव्यवस्था में प्रचलित उच्च लेन देन लागत को कम करने में सहायक करेगा।
- **शहरी नियोजन में सुधार:** सड़क और परिधीय अवसंरचना के मामले में शहरो में ट्रैफिक मुक्त अवसंरचना निर्माण जिससे यातायात से जुडे प्रतिबंध न उत्पन्न हो।
- **सभी हितधारकों की सहभागिता**: कुछ हितधारकों जैसे सरकार और बड़े उद्योगों द्वारा ब्ल्यूप्रिंट और पॉलिसी विनियम कार्य किया जाता है। इस कारण नीतियों में उचित परीक्षण एवं त्रुटियों पर पर्याप्त विचार-विमर्श नही हो पाता है।
- **मूल्य संवर्धन में निवेश**: अभी भी भारत में भंडारण स्थल पर डस्ट-प्रूफिंग (dust-proofing) को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता है, और इसके परिणामस्वरूप, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता ऐसे प्रावधानों में निवेश नहीं करते हैं।

3.13. राष्ट्रीय ऊर्जा पोर्टल

(National Power Portal)

सुर्खियों में क्यों ?

सरकार ने हाल ही में नेशनल पावर पोर्टल (NPP) लांच किया है।

इसके बारे में

- यह भारत में विद्युत् उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की जानकारी (GIS सक्षम नेविगेशन और विज़ुअलाइज़ेशन चार्ट विंडो के माध्यम से) के संकलन और प्रसार हेतु एक केंद्रीकृत मंच है।
- NPP डैशबोर्ड सरकार द्वारा लॉन्च किए गये सभी पावर सेक्टर ऐप जैसे TARANG, UJALA, VIDYUT PRAVAH, GARV, URJA और MERIT इत्यादि के लिए सिंगल पॉइंट इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा।
- **महत्व:** यह सरकार और जनता के लिए विश्लेषण, नियोजन और निगरानी के उद्देश्य से विद्युत् क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने हेतु एक प्रामाणिक स्रोत के रूप में कार्य करेगा।
- NPP के प्रमुख हितधारक ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (IPDS) के लिए विद्युत वित्त निगम (PFC), दीन दयान उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) हैं।
- केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (CEA), NPP कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी है।

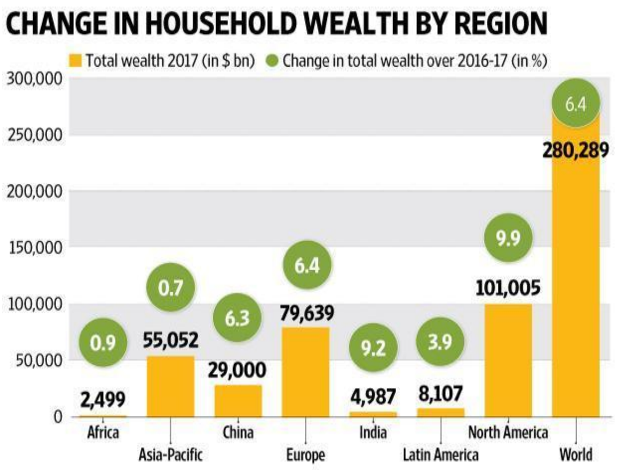

3.14. ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट

(Global Wealth Report)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में, क्रेडिट सुइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2017 जारी की गई है।

VISION IAS

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

वैश्विक रुझान

- कुल वैश्विक संपदा, 6.4% की दर से बढ़ी, 2012 के बाद से सबसे तेज़ गति से वृद्धि हुई और 2017 में यह 280 ट्रिलियन तक पहुंच गई।
- इसके अनुसार, कुल वैश्विक संपत्ति का आधा हिस्सा 1% सर्वाधिक अमीर लोगों के पास है।
- यह इक्विटी मार्केट से प्राप्त व्यापक लाभ और वैश्विक स्तर पर गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि को दर्शाता है।
- इसके अनुसार, संपति की वृद्धि का भौगोलिक कवरेज इस शताब्दी के प्रथम वर्ष में पहले से कहीं अधिक व्यापक था। इससे समाज के सभी स्तरों को लाभ हुआ।

भारतीय रुझान

- भारत की कुल घरेलू संपदा 5 ट्रिलियन डॉलर है। भारत में 2,45,000 करोड़पति रहते हैं।
- भारत सम्पदा में वृद्धि करने वाला 8 वां सबसे बड़ा देश है। वर्ष 2000 के बाद से भारत में संपत्ति में प्रतिवर्ष 9.2% की दर से वृद्धि हुई जो 6% के वैश्विक औसत वृद्धि से भी अधिक है।
- **संपदा गुणवत्ता**: भारत में निजी संपत्ति पर प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का वर्चस्व है, जो अनुमानित घरेलू परिसंपत्तियों का 86% है।

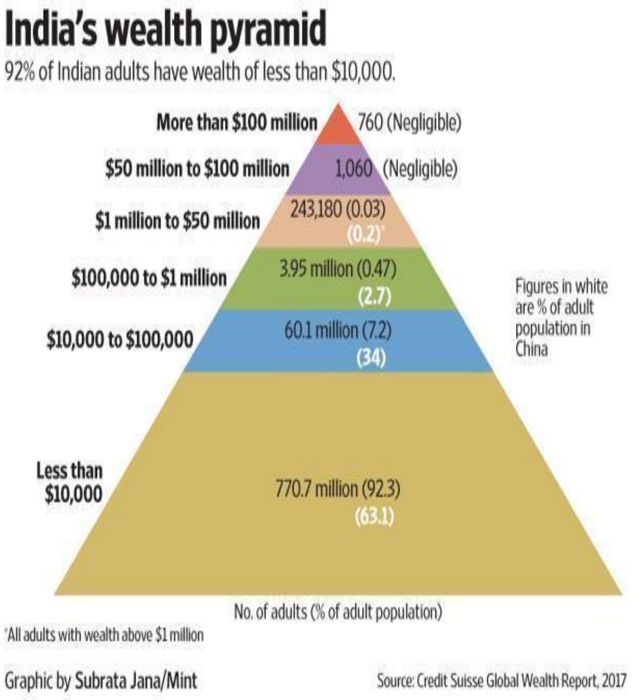

- **ऋण स्थिति**: सकल परिसंपत्तियों का केवल 9% व्यक्तिगत ऋण के रूप में होने का अनुमान है। भारत में परिसंपत्ति के अनुपात में समग्र घरेलू ऋण कई विकसित देशों की तुलना में बहुत है।
- **दीर्घस्थायी असमानता**: भारत में गहन आर्थिक अपवंचना व्याप्त है। यह इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि वयस्क जनसंख्या का 92% प्रतिवर्ष 10,000 डॉलर से कम धन अर्जित करता है।

3.15. RKVY-रफ़्तार

(RKVY-Raftaar)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कृषि और संबद्ध क्षेत्र पुनार्रुद्धार लाभकारी दृष्टिकोण (RKVY-रफ्तार) के रूप में 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्ष की समयावधि हेतु जारी रखने की मंजूरी प्रदान की हैं।

RKVY-रफ़्तार उप-योजनाएं

- पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (BGREI)
- फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP)
- मृदा से सम्बंधित समस्या का समाधान (RPS)
- खुरपका और मुंह पका रोग - नियंत्रण कार्यक्रम (FMD-CP)
- केसर मिशन
- त्वरित चारा विकास कार्यक्रम (AFDP)

RKVY-रफ़्तार के बारे में

उद्देश्य: कृषि को **लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाने हेतु** किसानों के प्रयास का सुदृधिकरण, **जोखिम न्यूनीकरण** एवं कृषि में व्यवसायिक उद्यमिता को प्रोत्साहन ।

अनुदान: केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 अनुदान (उत्तर-पूर्व राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) के रूप में धन आबंटित करना।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के बारे में

- यह **2007 में राष्ट्रीय विकास परिषद** की अनुशंषा पर प्रारंभ की गयी थी।
- **लक्ष्य:** कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक संवृद्धि प्राप्त करना।
- यह राज्यों के प्रोत्साहन हेतु एक विशेष अतिरिक्त केंद्रीय सहायता योजना है, ताकि राज्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अपने निवेश को बढ़ाएं।

- इसने कृषि-जलवायविक परिस्थितियों तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी व प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जिला कृषि योजना (DAP) और राज्य कृषि योजना (SAP) के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए विकेंद्रीकृत नियोजन को प्रोत्साहित किया है। जिससे कि स्थानीय आवश्यकताओं, फसल प्रतिरूप तथा अन्य प्राथमिकताओं को समायोजित किया जा सके।
- **RKVY का प्रभाव:** अपने कार्यान्वयन के दौरान कृषि राज्य घरेलू उत्पाद (AGSDP) को बढ़ाने में सफल रहा। पोस्ट RKVY अवधि में लगभग सभी राज्यों के द्वारा कृषि और संबद्ध गतिविधियों के आगतों में उच्च वृद्धि दर्ज की गयी।

धन आवंटन :

- राज्यों को उत्पादन में वृद्धि, बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों पर परिव्यय का 70 % व्यय किया जाएगा क्योंकि निम्नलिखित गतिविधियों के आधार पर ही अनुदान आबंटित किये जाएंगे:
- 50% - अवसंरचना एवं परिसंपत्ति
- 30% - वैल्यू एडिशन लिंक प्रोडक्शन प्रोजेक्ट
- 20% - फ्लेक्सी फंड जिसे राज्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी परियोजना के समर्थन में उपयोग कर सकते हैं।
- परिव्यय का 20% राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाली **RKVY-रफ़्तार विशेष उप-योजनाओं** हेतु ।
- परिव्यय का 10% एंड-टू-एंड सोल्यूशन प्रदान करने और कौशल विकास प्रोत्साहन के द्वारा **नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास हेतु**।

महत्व

- यह **कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के धन आवंटन में वृद्धि हेतु** राज्यों को प्रोत्साहित करेगा।
- इससे संपूर्ण देश में फसल कटाई पश्चात अवसंरचना निर्माण और कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
- यह कृषि अवसंरचना के निर्माण में किसानों के प्रयासों का सुदृढीकरण करता है जिससे गुणवत्तापूर्ण आगतों और बाजार आवश्कताओं की आपूर्ति में सहायता मिलेगी।
- यह विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से **कृषि क्षेत्र में युवाओं के समावेशन पर** बल देता है। जिससे ग्रामीण रोजगार में वृद्धि और 2022 तक किसानों की आय दुगूनी करने के लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायता मिलेगी।

3.16. ड्रोन के लिए ड्राफ्ट मानदंड

(Draft Norms for Drones)

सुर्खियों में क्यों?

नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) के द्वारा भारत में सिविल रिमोटली पाइलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) या ड्रोन के संचालन हेतु नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (CAR) जारी की गयीं।

पृष्ठभूमि

- DGCA ने अक्टूबर 2014 में नागरिकों द्वारा ड्रोन और मानव रहित विमान व्यवस्था (unmanned aircraft system) का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया था।
- वर्तमान विमानन नियमों में, नागरिक उद्देश्यों के लिए ड्रोन का प्रयोग एवं साथ ही उनकी बिक्री और खरीद सम्मिलित नहीं है।
- इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ड्रोन को हवाई क्षेत्र के लिए खतरे के रूप में संदर्भित किया है और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अधिक हितधारकों के जुड़ाव और उचित विनियमन के लिए कहा है।

विनियमन के तहत प्रावधान

- **परिभाषा:** रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट (RPA) एक मानव रहित विमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे रिमोट स्टेशन से संचालित किया जाता है।
- DGCA के द्वारा ड्रोन को उनके **अधिकतम टेक-ऑफ वेट** (MTOW) के आधार पर पांच श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
    - **नैनो:** 250 ग्राम से कम या बराबर
    - **माइक्रो:** 250 ग्राम से अधिक और 2 किलो के बराबर या उससे कम।
    - **मिनी:** 2 किलो से अधिक और 25 किलो से कम या उसके बराबर।
    - **स्माल:** 25 किलो से अधिक और 150 किलोग्राम से कम या उससे कम
    - **लार्ज:** 150 किलोग्राम से अधिक

ड्रोन के संचालन के लिए एक यूनिक आईडेटिफिकेशन नम्बर और **रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग** अनिवार्य आवश्यकता होगी।

छूट: नैनो श्रेणी में 250 ग्राम तक वजन ढ़ोने वाले ड्रोन और सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित ड्रोन के लिए किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

पायलट: किसी भी ड्रोन के लिए कम से कम 18 वर्ष का दूरस्थ पायलट होना चाहिए और उसे निर्धारित प्रशिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना होगा।

नो ड्रोन ज़ोन

- ड्रोन को हवाई अड्डे के 5 किमी एवं अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के भीतर संचालित करने से रोका जाता है। साथ ही समुद्र तट के साथ-साथ समुद्र में 500 मीटर (क्षैतिज) संचालित होने से रोका जाता है।
- ड्रोन के संचालन को विजय चौक (राष्ट्रीय राजधानी में) से 5 किमी की त्रिज्या के भीतर, राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र और मोबाइल प्लेटफार्म जैसे चालित वाहनों, जहाज या विमान से भी अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ड्रोन को सघन आबादी वाले क्षेत्रों में या सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले क्षेत्र के निकट या आपातकालीन आपरेशन वाले क्षेत्रों में संचालित करने से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
- **दंड:** नियमों का उल्लंघन होने पर भारतीय दंड संहिता के तहत आर्थिक दंड सहित दंडनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

महत्व

- भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होनें नागरिक अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन के प्रयोग की अनुमति प्रदान की है।
- यह अपेक्षित है कि ड्रोन का प्रयोग विविध गतिविधियों जैसे कृषि और औद्योगिक अनुप्रयोगों, हवाई फोटोग्राफी, मनोरंजक ड्रोन रेसिंग, मानवीय सहायता, सर्वेक्षण और वस्तुओं की डोर स्टेप डिलीवरी में बढ़ाया जाएगा।

चिंता

- वर्तमान में USA में मनोरंजनात्मक या शौक प्रयोजनों के लिए मानव रहित विमान संचालन के लिए कोई फ्रेमवर्क विद्यमान नहीं है।
- **जटिल प्रक्रिया:** जब भी ड्रोन को संचालित किया जाता है, संचालक को एक हवाई रक्षा मंजूरी और प्रासंगिक फ्लाइट इन्फोर्मेशन सेंटर से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- दुष्ट ड्रोनों (ROGUE DRONES) (दुष्ट ड्रोन जो बिना अनुमति के या परमिटेड क्षेत्र से बाहर संचालित होते हैं) को नियंत्रित करने वाली प्रौद्योगिकी का अभाव है।

3.17. भौगोलिक संकेतक

(Geographical Indication)

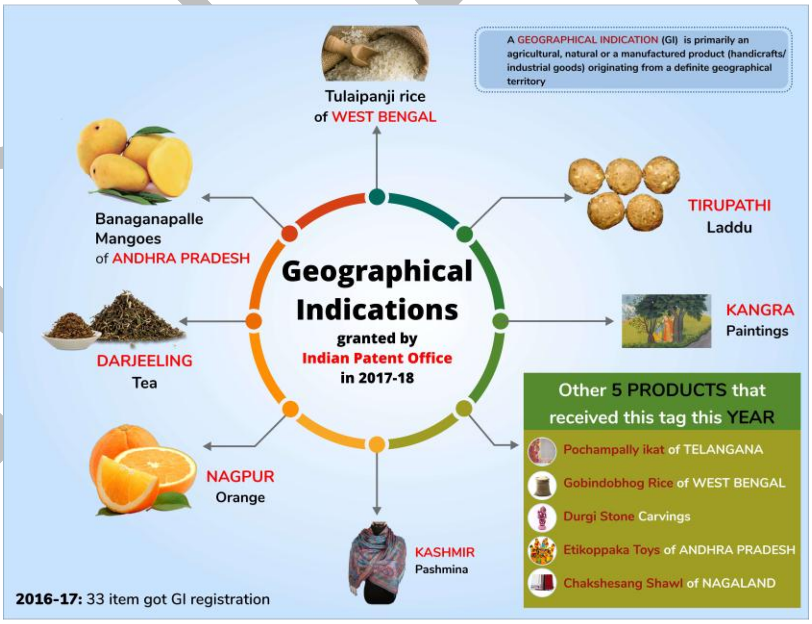

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में, भौगोलिक संकेतक (GI) रजिस्ट्री ने निम्नलिखित को GI टैग प्रदान किया :

- मामल्लपुरम की शैल मूर्तियां
- एटिकोप्पका खिलौने
- बंगला रोसोगुल्ला (पश्चिम बंगाल)

मामल्लपुरम की शैल मूर्तियों के बारे में

- पल्लवों के शासनकाल के दौरान 7 वीं शताब्दी की शुरुआत से ही महाबलिपुरम / महाबलीपुरम में प्रदर्शित उत्कृष्ट शिलोत्कीर्ण तकनीक विद्यमान है।
- इसमें गुफा वास्तुकला, शैल वास्तुकला, संरचनात्मक मंदिरों, स्वतंत्र मूर्तियां, उभरी नक्काशी की मूर्तियां और चित्रकला / चित्रकला मूर्तियां शामिल हैं।
- इसमें एक विस्तृत ललाट, नुकीले नाक, बड़ी आंखें, लटकते कान और सामान्यता दोहरे ठुड्डी (Double chins) युक्त अंडाकार चेहरा होता है।
- पुरुष और स्त्री मूर्तियां दिखने में पतली और सुडौल हैं और सौन्दर्यात्मक परिपूर्णता का प्रतीक हैं।
- अभी भी मामल्लपुरम मूर्तिकार नक्काशी के लिए हथौड़ा और छेनी तकनीक का प्रयोग करते हैं। विभिन्न शिल्प शास्त्रों में वर्णित बहुत अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया का पालन करते हैं।
- सातवीं सदी के मध्य में नरसिंहवर्मन पल्लव के प्रसिद्ध खिताब पर मामल्लपुरम का नाम रखा गया था।

एटिकोप्पका खिलौने (एटिकोप्पका बोम्मालु) के बारे में

- ये खिलौने **आंध्र प्रदेश के एटिकोप्पका क्षेत्र में** बनते हैं और लाख के रंग से बनाये जाते हैं।
- खिलौने अपने आकार और प्रयुक्त सामग्री के मामले में अद्वितीय है।
- वे अंकुड़ीकरा (राइटिया टिन्क्टरिया) पेड़ की नरम लकड़ी से बनाए जाते हैं।
- खिलौने प्राकृतिक रंगों के साथ चित्रित किये जाते हैं, जो बीज, लाह, छाल, जड़ और पत्तियों से तैयार किये जाते हैं। ये रंजक गैर विषैले हैं।
- इस तरह के खिलौने निर्माण की कला को टर्न्ड वुड लाकर क्राफ्ट (Turned Wood Lacquer Craft) के रूप में जाना जाता है। कारीगरों के अनुसार, यह कला 400 वर्ष से अधिक प्राचीन है और उन्हें कई पीढ़ियों से परंपरागत रूप से उनके पूर्वजों द्वारा सौंपा गया है।

भारत में GI प्रावधान से संबंधित मुद्दे

- **यह दस्तावेजी साक्ष्यों पर अत्यधिक निर्भर है:** भारत में GI पंजीकृत करने के लिए उत्पति का साक्ष्य एक अनिवार्य मानदंड हैं, जबकि भारत के कई हिस्सों (विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों) में, उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य लिखित रूप से उपलब्ध नहीं है बल्कि वे केवल मौखिक रूप से चर्चा में होते हैं। अतः GI टैग प्राप्त करने के लिए उत्पति के दस्तावेजी साक्ष्य को एकत्रित करना अत्यधिक कठिन होता है।
- **यह केवल नाम या संकेत की सुरक्षा करता है:** GI अधिनियम ज्ञान या उत्पादन की तकनीक को संरक्षित नहीं करता है। जिसका अर्थ है कि एक उत्पाद को दूसरे नाम से पुनः उत्पादित किया जा सकता है जिससे इस अधिनियम के संपूर्ण उद्देश्य को विफल किया जा सकता है।
- **परिभाषा में अस्पष्टता:** अधिनियम असली निर्माता, फुटकर विक्रेता या डीलर के मध्य विभेद नहीं करता है। परिणामस्वरूप, पंजीकरण का लाभ वास्तविक निर्माता तक नहीं पहुंच पाता है।
- GI आवेदनकर्ता समूह द्वारा **घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में GI उत्पाद की वाणिज्यिक संभावना के** बारे में उचित आंकलन नहीं किया जाता है। इसके साथ ही उत्पादों के पंजीकरण से इसकी आपूर्ति श्रृंखला में सम्मिलित समुदायों पर पड़ने वाले सामाजिक-आर्थिक प्रभाव तथा विकास में इसके योगदानके बारे में पर्याप्त आंकलन नहीं किया जाता है।

ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स (रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन) एक्ट, 1999

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) का सदस्य होने के नाते, भारत के द्वारा ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स समझौते **(TRIPS)** का पालन करने हेतु इसे अधिनियमित किया गया है।
- GI को पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी (IPR) के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार के घटक के रूप में समाहित किया गया है।·
- इस अधिनियम को **कंट्रोलर जनरल पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेड मार्क** द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो भौगोलिक संकेतकों के रजिस्ट्रार भी हैं।

GI कैसे सुरक्षित है?

- **सुई जेनरीस सिस्टम** (अर्थात् सुरक्षा की विशेष व्यवस्था)
- सामूहिक या प्रमाणन का प्रयोग ; तथा
- प्रशासनिक उत्पाद अनुमोदन योजना सहित व्यावसायिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली पद्धतियाँ।

GI टैग क्या है?

- यह विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निर्दिष्ट संकेत है। इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक और विनिर्मित वस्तुएं जिनकी एक विशिष्ट गुणवत्ता और स्थापित प्रतिष्ठा होती है।
- किसी उत्पाद को GI टैग प्राप्त करने के लिए, उसका संबंधित क्षेत्र में उत्पादन या प्रसंस्करण या निर्माण आवश्यक है।
- एक GI **पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध** है। जिसके बाद इसे नवीनीकृत करना आवश्यक है।
- GI **स्थानीय उत्पादन को समर्थन प्रदान करता** है। यह ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपकरण है।
- GI एक **सामूहिक अधिकार** है। उत्पादक, सामूहिक GI संकेतक का प्रयोग कर उत्पाद का व्यावसायिक रूप से लाभ उठा सकते हैं।

आगे की राह

- **नियमों में लचीलापन:** उदाहरण के लिए किसी विशेष मामले में, GI रजिस्ट्री के द्वारा उत्पत्ति के साक्ष्य (proof of origin) की स्थापना हेतु शब्द-व्युपत्ति (etymology) पर भी विचार किया जा सकता है।
- **उत्पाद की वैधता** स्थापित करने के लिए स्पष्ट भौगोलिक सीमाओं को परिभाषित करना।
- **उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त उत्पाद** और उत्पादकों को सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान करने हेतु सभी हितधारकों के मध्य संचार का उचित चैनल विकसित करने की आवश्यकता है।

3.18. वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट

(Global Financial Development Report)

सुर्खियों में क्यों ?

- हाल ही में, विश्व बैंक के द्वारा वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट जारी की गयी।

रिपोर्ट से संबंधित अन्य तथ्य

- 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने बैंक ग्लोबलाइजेशन के संभावित लाभों और लागतों का पुनर्मूल्यांकन करने हेतु प्रेरित किया। क्योंकि कई समीक्षकों का मानना था कि हालिया वित्तीय संकट के दौरान वैश्विक बैंक ही संकट के प्रसार के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे।
- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्वारा आरोपित प्रतिबंधों से कंपनियों और परिवारों को अत्यंत आवश्यक वित्त प्रवाह सीमित हो जाती है जिससे विकास की संभावनाएं कम हो जाती हैं।

VISION IAS

यह तीन महत्वपूर्ण विकास क्रम पर केंद्रित है। जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग को आकार प्रदान कर रहे हैं:

दक्षिण-दक्षिण बैंकिंग का उदय -

- वैश्विक वित्तीय लेन-देन में विकासशील देशों की बढ़ती भागीदारी ने इन अर्थव्यवस्थाओं को अपने निवेश में विविधता लाने और उपलब्ध वित्त पोषण विकल्पों को विस्तारित करने हेतु प्रेरित किया है।
- उत्तरी क्षेत्रों के बैंको के सापेक्ष, दक्षिण-दक्षिण बैंक अपने ही क्षेत्र के देशों में निवेश करते हैं और मेजबान देश के सांस्कृतिक, भाषायी, विधिक और संस्थागत वातावरण से अधिक परिचित होने का प्रयास करते हैं।
- हालांकि, क्षेत्रीयकरण से जोखिम का साझा सीमित हो जाएगा, इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या विदेशी बैंकों की प्रविष्टियों में क्षेत्रीय बैंक के साथ-साथ ग्लोबल बैंकों के एक संतुलित मिक्स को अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, ताकि संभावित लाभों को अधिकतम किया जा सके।

वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोतों की ओर स्थानांतरण

- वित्तीय संकट के दौरान जब बैंकिंग कार्यप्रणाली कमजोर हो गई थी, उस समय पूंजी बाजार ने सार्वजनिक सूचीबद्ध फर्मों हेतु बाह्य वित्त और बेहतर जानकारी के अतिरिक्त वैकल्पिक स्रोत की भूमिका निभाई थी।
- विभिन्न देशों के द्वारा वित्तीय स्रोतों के विविधीकरण और संभवतया, इक्विटी मार्केट सहित अधिक पूर्णता बाजार क्षेत्रों में निवेश कर संक्रामक जोखिम को कम कर सकते हैं। उसके साथ-साथ, विभिन्न प्रकार के वित्तपोषण प्रक्रिया का संयुक्त रूप से विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

फिनटेक का उदय

- प्रौद्योगिकी के अभिगम्यता, दक्षता और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता के लिए प्रमुख निहितार्थ हो सकते हैं। हालांकि, सर्वप्रथम, फिनटेक ने वित्तीय संस्थानों को न्यून लागत पर लेन-देन में तीव्रता लाने में सहायता की। हालिया प्रौद्योगिकियों में डेटा सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन, मोबाइल बैंकिंग और वैकल्पिक मुद्राओं जैसी विभिन्न सेवाओं को शामिल किया गया है।
- नीति निर्माताओं को एक सतत निगरानी और उचित विनियामक ढांचे की आवश्यकता है जो वित्तीय नवाचारों में होने वाले परिवर्तनों की गति से तालमेल बनाए रख सके।

निष्कर्ष

- उचित प्रक्रियाओं के द्वारा विदेशी बैंकों के प्रवेश से दक्षता और संवृद्धि को प्रोत्साहन मिल सकता है। हालांकि, समग्र विकास के प्रोत्साहन हेतु, नीति निर्माताओं को संकेन्द्रण से बचने के साथ-साथ व्यापक व प्रभावी वित्तीय समावेशन हेतु पर्याप्त विनियम और नीतियों का निर्माण करना चाहिए।
- हालांकि अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संस्थानों का प्रवेश वित्तीय स्थिरता की गारंटी नहीं है। विदेशी वित्तीय कंपनियों के माध्यम से वित्तीय नवाचार और परिष्कृत वित्तीय साधनों की उपलब्धता की संभावना है। विदेशी निवेश के प्रवाह से घरेलू वित्तीय बाजारों में गहराई या स्थिरता आ सकती है जबकि प्रतिस्पर्धा में वृद्धि से घरेलू बैंकिंग क्षेत्र में अधिक दक्षता आ सकती है।

3.19. सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं

(Public Utilities Services)

सुर्खियों में क्यों ?

- हाल ही में, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने **एल्यूमिना और एल्युमिनियम के विनिर्माण और 'बॉक्साइट के खनन'** की सार्वजनिक उपयोगिता सेवा (PUS) दर्जे की अवधि को 6 माह तक विस्तृत कर दिया है।

सार्वजनिक उपयोगिता सेवा (PUS)

- इसे **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947** के तहत हड़तालों और तालाबंदी **से बचाव** हेतु निर्दिष्ट किया गया है।
- PUS को व्यापक रूप से जन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक सुविधाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए परिवहन (सड़क परिवहन के अतिरिक्त), रक्षा प्रतिष्ठान, कॉटन सर्विसेस, विभिन्न खनन और खनिज उद्योग इत्यादि।
- यदि किसी सेवा को PUS के तहत सूचीबद्ध किया गया है, तो कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा एक दूसरे को क्रमशः हड़ताल और तालाबंदी के मामले में 6 हफ्ते का नोटिस देना अनिवार्य होगा।

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त, किसी भी सेवा/**उद्योग पर PUS की घोषणा अवधि पहले चरण में 6 माह से अधिक नहीं** होगी। हालांकि, इसे समय-समय पर किसी भी ऐसी अवधि के लिए, जो 6 माह से अधिक नहीं हो तक बढ़ाया जा सकता

संबंधित जानकारी

- हड़ताल से तात्पर्य किसी उद्योग के कर्मचारियों द्वारा कार्य बंदी है जबकि, तालाबंदी नियोक्ता द्वारा की गयी कार्य बंदी है।
- व्यापार विवाद अधिनियम,1929 की कमियों को दूर के उद्देश्य से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को अधिनियमित किया गया था। व्यापार विवाद अधिनियम,1929 में कर्मचारियों और नियोक्ता के मध्य विवाद या असहमति के समाधान हेतु संस्थागत ढांचे का अभाव था।
- इसी प्रकार एसेंशियल सर्विसेस मैन्टनन्स एक्ट, **1968** के तहत, सूचीबद्ध आवश्यक सेवाओं के मामले में हड़ताल और तालाबंदी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

3.20. भारतीय विमानन क्षेत्र की लेखापरीक्षा

(Audit of Aviation Sector in India)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) ने भारत में विमानन क्षेत्र की लेखापरीक्षा संपन्न की। इस लेखापरीक्षा में विनियामक तंत्र को 'संतोषजनक' स्तर का बताया गया है।

यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम (USOAP) का विवरण

- विमानन क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं यथा वायुमार्ग, हवाई नेविगेशन, एयरोड्रोम, संगठनात्मक संरचना आदि का अध्ययन करने हेतु ICAO द्वारा लेखा परीक्षण किया गया था।
- चूँकि भारतीय विमानन क्षेत्र भारत में तेजी से उभर रहे उद्योंगों में से एक है एवं 2026 तक भारत, का ब्रिटेन को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने की संभावना है। अतः भारत के लिए यह लेखापरीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
- वर्तमान लेखापरीक्षा के फीडबैक में विनियामक तंत्र को 'संतोषजनक' स्तर का बताया गया है। भारत के द्वारा इस लेखापरीक्षा हेतु विभिन्न प्रारंभिक तैयारियाँ की गईं, जैसे फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर की नियुक्ति, ICAO मानकों के अनुसार नियमों का संरेखण, फ्लाइट इग्ज़ैमनर का प्रमाणीकरण आदि।
- ICAO द्वारा 2012 के लेखा परीक्षण में भारत को 13 सबसे खराब प्रदर्शनकारी देशों की श्रेणी में रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स को नए मार्गों को शामिल करने की अनुमति नहीं दी गयी थी ।

इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गेनाइजेशन

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी है। जिसे 1944 में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन (शिकागो कन्वेंशन) के प्रशासन और शासन का प्रबंधन करने हेतु स्थापित किया गया था।
- शिकागो कन्वेंशन, अवसर की समानता पर आधारित इंटरनेशनल सिविल एविएशन कन्वेंशन है। यह अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन सेवाओं की सुरक्षित और व्यवस्थित विकास से संबंधित है।

यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम

- USOAP को 1999 में ICAO सदस्य देशों की सुरक्षा निगरानी प्रणाली (सेफ्टी ओवरसाइट सिस्टम) के नियमित और अनिवार्य लेखापरीक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। इस लेखापरीक्षा में, राज्य द्वारा अपनाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन कर सुरक्षा निगरानी प्रदान करने में राज्य की क्षमता पर फोकस किया जाता है।

VISION IAS

4. सुरक्षा

(SECURITY)

4.1. द्वीप विकास एजेंसी

(Island Development Agency)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्री ने द्वीप विकास एजेंसी (IDA) के तत्वावधान में नौ द्वीपों के लिए विकास योजनाओं की समीक्षा की।

विषय सम्बन्धी अतिरिक्त जानकारी

- IDA का गठन जून 2017 में द्वीपों के समग्र विकास के उद्देश्य से किया गया था। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के सचिव शामिल होते हैं तथा इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है।
- IDA द्वारा विकास हेतु 10 द्वीपों की पहचान की गयी है। इसके अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पाँच द्वीप (स्मिथ, रॉस, लॉन्ग, एविस तथा लिटिल अंडमान) तथा लक्षद्वीप समूह के पाँच द्वीप (मिनिकॉय, बंगारम, थिन्नकारा, चेरयम तथा सुहेली) सम्मिलित हैं।
- इसके द्वारा परियोजना हेतु चयनित द्वीपों की विशिष्ट सामुद्रिक एवं क्षेत्रीय जैवविविधता का समुचित ध्यान रखते हुए इनके समग्र विकास पर कार्य किया जाएगा।
- इसके साथ ही परियोजना हेतु चयनित द्वीपों में आजीविका के विकल्पों को बढ़ाने एवं इन द्वीपों की समुद्री अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने हेतु संधारणीय दृष्टिकोण के निर्माण की परिकल्पना की गयी है। टूना मत्स्यन उद्योग तथा समुदाय आधारित पर्यटन को बढ़ावा देकर इस दिशा में प्रयास किया जाएगा।

भारतीय द्वीपों के सम्बन्ध में प्रमुख तथ्य

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

- इसमें 572 द्वीप सम्मिलित हैं। इन्हें 'पूर्व के लिए भारत का प्रवेश द्वार (India's Gateway to the East) कहा जाता है क्योंकि ये इंडोनेशिया से मात्र 75 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित हैं।
- डंकन जलसन्धि 'साउथ अंडमान से लिटिल अंडमान' को पृथक करती है तथा दक्षिण में '10 डिग्री चैनल' ग्रेट अंडमान को निकोबार समूह से अलग करता है।

लक्षद्वीप समूह

- इसके अंतर्गत लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अरब सागर में अमिनदिवी आर्किपेलागो प्रवाल द्वीपसमूह सम्मिलित हैं।
- इस द्वीपसमूह में 12 एटॉल, 3 भित्तियाँ तथा 5 निमग्न तट सम्मिलित हैं। इसके 36 द्वीपों में से केवल 10 ही द्वीप आबाद हैं।

द्वीपों के विकास का भारत के लिए महत्त्व

- **सामरिक समुद्री भूमिका:** भारत, हिन्द महासागरीय क्षेत्र में सबसे बड़ी सामुद्रिक शक्ति है। इस प्रकार इसका यह दायित्व बनता है कि विश्व की व्यापार तथा ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु "सी लाइन्स ऑफ़ कम्युनिकेशन (SLOCs)" की सुरक्षा के लिए सहयोग प्रदान करे। '10 डिग्री चैनल' तथा मलक्का की खाड़ी, होरमुज़ की खाड़ी एवं बॉब अल मंदेब जलसंधि से होकर गुजरने वाली SLOCs की सुरक्षा के संदर्भ में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के महत्त्वपूर्ण तत्व हैं। इसके साथ ही ये अन्य देशों के साथ नौसैनिक अभ्यास, मानवतावादी राहतकार्य तथा आपदा संबंधी विकास के माध्यम से रक्षा संबंधों के निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, मिलाप अभ्यास, मालाबार सैन्य अभ्यास, HADR इत्यादि।
- **आर्थिक महत्त्व:** भारतीय द्वीपों में उचित निवेश के माध्यम से रिफाइनरियों और पर्यटन के विकास की क्षमता है। इसके अलावा ये भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र को भी विस्तृत करते हैं तथा विभिन्न लाभदायक प्राकृतिक और समुद्री संसाधनों को उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं।
- **क्षेत्रीय संपर्क तथा व्यापार:** भारतीय द्वीपों में गहरे जल के बंदरगाहों का निर्माण तथा जहाजों के लंगर डालने के लिए बड़े स्थान उपलब्ध कराये जा सकते हैं। यह व्यापार में वृद्धि, आवास उपलब्धता, अवैध शिकार में कमी तथा गैर-राज्य कारकों द्वारा घुसपैठ में कमी लाने में सहायक हो सकते हैं।
- **ब्लू इकॉनमी:** द्वीपीय विकास भारत के ब्लू इकॉनमी विज़न में मुख्य भूमिका निभा सकता है। ब्लू इकॉनमी के अंतर्गत ग्रीन इकोनॉमी (हरित अर्थव्यवस्था) अथवा पर्यावरणीय संधारणीयता तथा तटीय अर्थव्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार यह तटीय राज्यों तथा द्वीपीय विकास के मध्य पूरकता प्रदान करती है जोकि 'महासागरों तथा सामुद्रिक संसाधनों के संधारणीय उपयोग" (SDG 14) की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

VISION IAS

चुनौतियाँ

- **प्राकृतिक आपदाएँ:** ये द्वीपसमूह चक्रवातों (यथा लक्षद्वीप में ओखी), बाढ़ों, तूफ़ानों तथा सुनामी के लिए सुभेद्य हैं। इनके चलते यहाँ जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है तथा क्षेत्र के पर्यावरण को क्षति पहुँचती है।
- **जलवायुवीय खतरे:** ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र के स्तर में वृद्धि, द्वीपों के डूबने तथा उनके भूक्षेत्र में कमी का कारण बन रही है। इसके साथ ही समुद्र के अम्लीकरण के कारण हिन्द महासागरीय क्षेत्रों में क्लोरल ब्लीचिंग की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।
- **पर्यावरणीय तथा जनजातीय विकास से सम्बंधित चुनौतियाँ:** अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ग्रेट अंडमानीज़, ओंगे, जारवा तथा सेन्टिनली जनजातीय समूहों के निवास स्थल हैं। ये जनजातियाँ मुख्यतः क्षेत्र के पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील स्थलों में निवास करती हैं।
- स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स, जिबूती में सैन्य अड्डे के निर्माण तथा पनडुब्बी की नियमित तैनाती के माध्यम से चीन ने हिन्द महासागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाया है। **चीनी प्रभुत्त्व के बढ़ने से** भारत के लिए सुरक्षा सम्बन्धी बड़े खतरे उत्पन्न हुए हैं। चीन के प्रभाव का बढ़ना द्वीप समूहों के लिए अधिक संकटपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुभेद्य हैं।
- **मूलभूत सेवाएं:** द्वीपों की स्थिति में सुधार हेतु विद्युत तथा जल आपूर्ति सुलभ करवाने के लिए अभी भी व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है।
- **लॉजिस्टिकल मुद्दे:** सड़क निर्माण, हवाई पट्टी का निर्माण तथा जेटी के निर्माण भी धीमी गति से हो रहे हैं।
- **गैर-पारम्परिक खतरे:** खुले समुद्र में समुद्री डकैती, बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों से अवैध आप्रवासन, समुद्री एवं वन संसाधनों की तस्करी तथा निर्जन द्वीपों से हथियारों व मादक पदार्थों की तस्करी इत्यादि भी द्वीपीय क्षेत्रों के लिए खतरे उत्पन्न करते हैं।

भारत द्वारा उठाये गए कदम

- आतंकवाद एवं समुद्री डकैती के खतरों से निपटने के लिए भारत ने एक सुदूर पूर्वी नौसेना कमान और एक **त्रि-सेवा अंडमान एवं निकोबार सेना कमान** की स्थापना की है।
- सुनामी और चक्रवात हेतु पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना की गयी है।
- **सागरमाला पहल** के अंतर्गत न केवल तटों अपितु द्वीपों में भी बंदरगाह आधुनिकीकरण और दक्षता में सुधार की परिकल्पना की गई है।
- ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से डिजिटल संपर्क तथा सड़कों, रेल और पुलों के माध्यम से भौतिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 2015 में 10000 करोड़ के **वित्तीय पैकेज** को मंजूरी दी गयी। इसके अलावा शिबपुर और कैंपबेल खाड़ी में नौसेनिक हवाई अड्डों की स्थापना तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में जहाज-निर्माण और जहाज-मरम्मत सुविधाओं की स्थापना की भी योजना निर्मित की गयी है।
- 2016 में भारत तथा जापान द्वारा "स्मार्ट द्वीपों के विकास" हेतु द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति व्यक्त की गयी है।
- नीति आयोग द्वारा सार्वजनिक-निजी-भागीदारी परियोजनाओं के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने तथा इस प्रकार द्वीपीय विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने हेतु दिशा-निर्देशों का निर्माण किया जा रहा है।

4.2. बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा में वृद्धि

(Enhancing Security of Bay of Bengal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल द्वारा बंगाल की खाड़ी में 'सागर कवच अभ्यास' का आयोजन किया गया।

हिन्द महासागर में बंगाल की खाड़ी का महत्व

- **क्षेत्रीय भू-राजनीति:** बंगाल की खाड़ी विश्व के सबसे बड़े तथा व्यस्ततम चोकप्वॉइंट (अवरोधन बिंदुओं) में से एक है। यह हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित देशों में विश्व की लगभग 22 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है तथा यह दो महत्वपूर्ण आर्थिक समूहों SAARC एवं ASEAN के केन्द्र में स्थित है।

  इसके साथ ही यह क्षेत्र चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भी चर्चा में रहता है। विश्व की व्यापारिक वस्तुओं का लगभग एक-चौथाई तथा चीन, दक्षिण कोरिया एवं जापान की ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 80% मलक्का जलसन्धि से होकर गुजरता है।
- **संसाधनों का अन्वेषण:** यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों जैसे- पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स, भारी धातुओं के प्लेसर निक्षेप आदि से समृद्ध है। यह अंडमान-निकोबार सागर तथा मलक्का जलसन्धि से जुड़ा हुआ है। मलक्का जलसन्धि दक्षिण-पूर्व तथा दक्षिण एशिया को आपस में जोड़ती है।

VISION IAS

- **संरक्षण -** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पाक जलडमरूमध्य आदि उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक हैं तथा जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैन्ग्रोव (ब्लू कार्बन) की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र में कार्बन पृथक्करण की उच्च संभाव्यता है।
- **सामुद्रिक सुरक्षा-** सुरक्षा कार्यक्रमों के सन्दर्भ में यह क्षेत्र हाल ही में अत्यधिक सक्रिय रहा है, उदाहरणार्थ: मालाबार अभ्यास। इसके साथ ही मानव तस्करी तथा आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए भी बंगाल की खाड़ी महत्वपूर्ण है।
- **विकास तथा आर्थिक एकीकरण-** बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्यों में ज्यादातर विकासशील राष्ट्र हैं जो आर्थिक एकीकरण के निम्नतम स्तर पर हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र में 2% से भी कम वैश्विक व्यापार और अत्यल्प निवेश होता है।
- **आपदा प्रबंधन-** यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं यथा चक्रवातों के लिए अत्यधिक प्रवण होता है। यह निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से **आपदा जोखिम में कमी** के लिए रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके साथ ही यह **बिम्सटेक DMEx 2017** जैसे क्षेत्रीय अभ्यासों के माध्यम से अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करता है।

सागर कवच अभ्यास का विवरण

- इस अभ्यास का उद्देश्य 630 किमी लंबी तट रेखा पर भारतीय नौसेना, समुद्री पुलिस बल और भारतीय तटरक्षक आदि जैसी विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियों की रियल टाइम क्षमताओं तथा प्रभावशीलता का आकलन करना है।
- यह पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच पहला संयुक्त अभ्यास होगा जिसमें छद्म आतंकवादी हमले तथा सुरक्षा जैसे विभिन्न अभ्यास (ड्रिल) किए जाएंगे।
- ड्रिल का मुख्य उद्देश्य मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तंत्रों का पुनः मूल्यांकन करना है।

बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा में पूर्वी राज्यों की भूमिका

- पश्चिमी नौसेना कमान की उपस्थिति के बाद भी मुंबई में समुद्री मार्ग के माध्यम से हुए आतंकवादी हमले (2011) ने भविष्य में ऐसे किसी भी संकट के खिलाफ **समुद्री संचार रेखा (सी लाइन ऑफ़ कम्युनिकेशन) को सुरक्षित करना** आवश्यक बना दिया है।
- वर्तमान में पूर्वी तट रेखा में **पर्याप्त नौसैनिक उपस्थिति** केवल **विशाखापट्टनम और चेन्नई** में है तथा उसके आगे उत्तर की ओर शेष तटवर्ती क्षेत्र हमलों के प्रति सुभेद्य हैं। उदाहरण के लिए, 2015 से ओडिशा में दिखने वाली आतंकवाद संबंधी गतिविधियाँ यह दर्शाती हैं कि ओडिशा वैश्विक आतंकवादी समूहों की नजर में है।
- बंगाल की खाड़ी को कवर करने वाली विस्तृत दृष्टिरेखा (लाइन ऑफ साइट) ओडिशा को तटीय निगरानी व सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। इसके साथ-साथ वर्ष भर आदर्श तापमान और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण यहाँ निगरानी व सुरक्षा बलों की तैनाती की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं।
- ये राज्य पोर्टब्लेयर के लिए एक छोटा हवाई मार्ग भी प्रदान करते हैं। इस क्षेत्र में एक समर्पित सैन्य बल, राष्ट्रीय संपत्तियों के लिए विशिष्ट सुरक्षा प्रदान कर पड़ोसी देशों में हमारे राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करेगा।

आगे की राह

- **नौसेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस** के बीच सहयोग को बढ़ाना चाहिए तथा बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में एक सक्रिय **त्वरित कार्यवाही बल** की स्थापना की जानी चाहिए।
- इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में **समुद्री सुरक्षा घेरे को** मौजूदा क्षेत्रों से परे म्यांमार, थाईलैंड और मलक्का जलसन्धि तक **बढ़ाना** आवश्यक है।

4.3. ब्रह्मोस

(Brahmos)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **भारतीय वायुसेना (IAF)** के एक संशोधित **Su-30MKI लड़ाकू विमान** से प्रथम बार **ब्रह्मोस के वायु-प्रक्षेपित संस्करण (air-launched version)** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

परिचय

- यह **भारत के DRDO और रूस के NPO माशीनोस्ट्रायनिया (NPOM)** के मध्य एक संयुक्त उद्यम है। इसका नाम **ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदियों के नाम पर** रखा गया है।

VISION IAS

- प्रणाली का प्रथम चरण मिसाइल को सुपरसोनिक गति प्रदान करता है तथा द्वितीय चरण लिक्विड रैमजेट के साथ इसकी गति को 2.8 मैक तक बढ़ा देता है।
- **ब्रह्मोस ALCM (एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल)**, भारत के **SU-30 पर** तैनात किया जाने वाला **सबसे भारी अस्त्र** है।
- ब्रह्मोस के स्थलीय तथा समुद्री संस्करण, सेना एवं नौसेना के साथ पहले से ही कार्यरत हैं।

महत्व

- इस परीक्षण के साथ ही भारत, एक मल्टी-प्लेटफॉर्म अस्त्र धारण करने की क्षमता रखने वाला प्रथम देश बन गया है।
- यह भारत की हवाई हमले की क्षमता में महत्त्वपूर्ण रूप से वृद्धि करती है। इसके द्वारा भारत किसी टर्मिनल वेपन सिस्टम के लीथल इंगेजमेंट जोन के बाहर से भी आक्रमण करने में सक्षम हो सकेगा।
- यह बहु-मिशन भूमिकाओं के लिए प्रयोग में लायी जा सकती है जिनके अंतर्गत सीमापारीय आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमले तथा साथ ही हिंद महासागर में उच्च महत्व वाले नौसैनिक लक्ष्य भी शामिल हैं।

- **क्रूज मिसाइल:** क्रूज मिसाइल एक मानव रहित स्वतः प्रणोदित निर्देशित वाहन (unmanned self-propelled guided vehicle) है जो अपने अधिकांश उड़ान मार्ग में एयरोडायनामिक लिफ्ट के माध्यम से उड़ान को बनाए रखती है। ये पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरती है तथा जेट इंजन प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है।
- **रैमजेट:** टर्बोजेट इंजन के विपरीत रैमजेट इंजन में किसी भी प्रकार की टरबाइन नहीं होती है। इसमें मिसाइल की फॉरवर्ड स्पीड के माध्यम से अंदर आने वाली वायु को संपीडित किया जाता है।
- **फायर एंड फॉरगेट:** इसका अर्थ है कि मिसाइल के लॉन्च के बाद इसे दिशा-निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह लान्चर के लक्ष्य की दृष्टिरेखा (लाइन-ऑफ-साइट) में न होने पर भी लक्ष्य भेदन में समर्थ होती है।

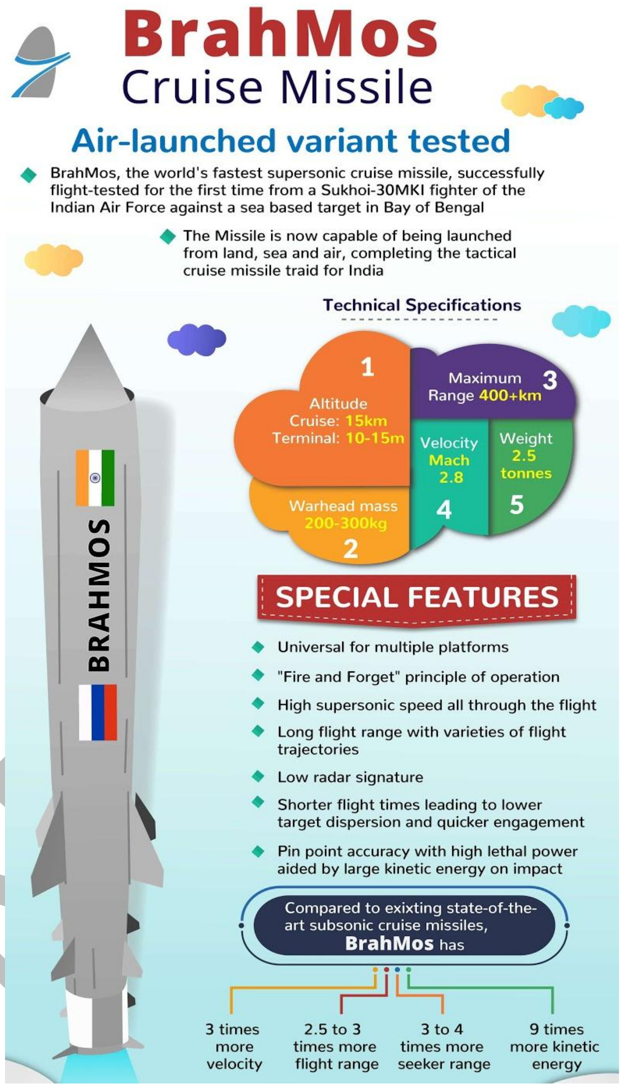

4.4. संप्रीति 2017

(Sampriti 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में संप्रीति (SAMPRITI) 2017 का आयोजन मिजोरम में किया गया।

संप्रीति अभ्यास 2017

- यह **भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य** संपन्न एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। इसका उद्देश्य भारत तथा बांग्लादेश के मध्य **अंतर-व्यवहार्यता और सहयोग** के पहलुओं को **सदृढ़ करना तथा उनमें वृद्धि करना है।**
- यह इस श्रेणी का **सातवाँ** अभ्यास था। इसके **दो** प्रमुख घटक थे- **कमांड पोस्ट एक्सरसाइज़ (CPX) तथा फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ (FTX)**।
- दोनों देशों के मध्य लगातार जारी अभ्यास निरंतर **परिपक्व होते संबंधों** का प्रतीक है। इसके साथ ही यह दोनों सेनाओं के मध्य **आपसी विश्वास का द्योतक है।**

4.5. निर्भय सब-सोनिक क्रूज मिसाइल

(NIRBHAY Sub-sonic Cruise Missile)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में DRDO ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

मिसाइल के विषय में

- **निर्भय** भारत की पहली स्वदेश निर्मित **लम्बी रेंज वाली सब-सोनिक** क्रूज मिसाइल है। इसका विकास एवं डिज़ाइन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा किया गया है।
- यह लगभग 1500 किग्रा प्रक्षेपण भार के साथ 0.6 से 0.7 मैक की गति पर 200 से 300 किग्रा तक वॉरहेड ले जा सकती है।
- यह 100 मी तक की निम्न ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में समर्थ है अतः इसका पता लगाया जाना कठिन है।

VISION

- यह ठोस रॉकेट मोटर बूस्टर द्वारा संचालित होती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है।
- इसके सफल विकास द्वारा **सशस्त्र बलों, स्वदेशी रक्षा उद्योग और सामरिक महत्व के घातक हथियारों को डिजाइन और विकसित करने की भारत की क्षमता** में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।
- निर्भय के सफल प्रक्षेपण के साथ, भारत सब-सोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की क्षमता रखने वाले चुनिन्दा राष्ट्रों के समूह में शामिल हो गया है I

4.6. अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास

(International Multilateral Maritime Search and Rescue Exercise : IMMSAREX)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में बांग्लादेश में सर्वप्रथम IMMSAREX का आयोजन किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास (IMMSAREX)

- यह इन्डियन ओशन नेवल सिम्पोजियम (**Indian Ocean Naval Symposium**) के तत्वावधान में आयोजित प्रथम समुद्री अभ्यास है। वर्तमान में इस सिम्पोजियम की अध्यक्षता बांग्लादेश द्वारा की जा रही है। इसके अंतर्गत बंगाल की खाड़ी में स्थित हिंद महासागर के तटीय देश सम्मिलित हैं।
- IMMSAREX महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत के साथ-साथ चीन ने भी इस अभ्यास में भाग लिया। यह चीन द्वारा जिबूती में सैन्यअड्डे के निर्माण तथा हिन्द महासागर में उसकी गतिविधियों को लेकर उठी चिंताओं के क्रम में महत्त्वपूर्ण है।

इन्डियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम (Indian Ocean Naval Symposium)

- यह एक स्वैच्छिक पहल है जो क्षेत्रीय प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा हेतु एक खुला और समावेशी मंच प्रदान कर हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र-तटीय राष्ट्रों की नौसेनाओं के मध्य समुद्री सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करता है।
- IONS का शुभारम्भ 2008 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में किया गया था।

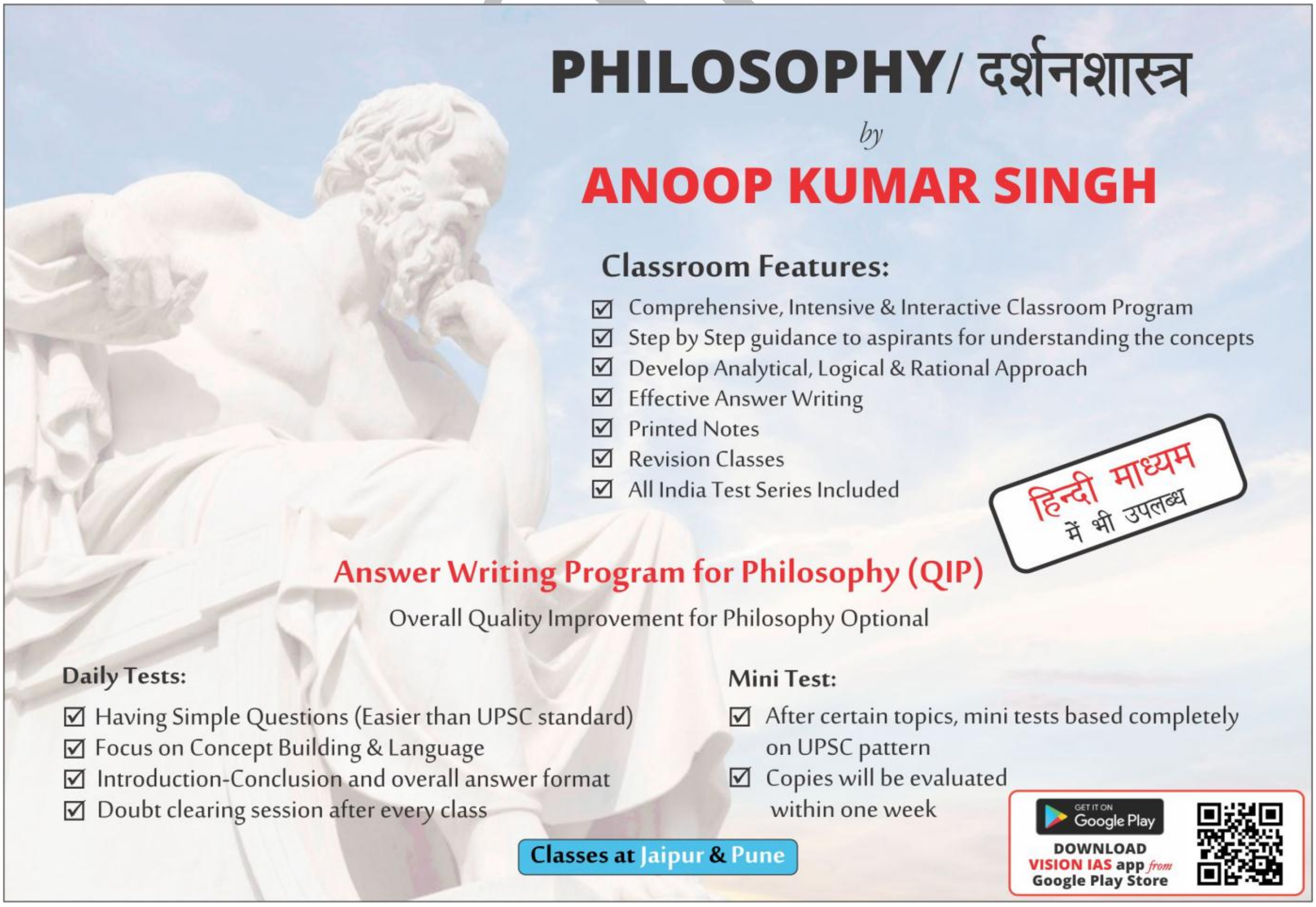

5. पर्यावरण

(ENVIRONMENT)

5.1.प्रतिपूरक वनीकरण पर नए दिशा-निर्देश

(New Guidelines on Compensatory Afforestation)

सुर्ख़ियों में क्यों

- हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने **दिशा-निर्देश जारी किए** हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत प्रतिपूरक वनीकरण (CA) के लिए भूमि बैंक की उपयुक्तता तथा पहचान के मापदंडों को स्पष्ट किया गया है।

प्रतिपूरक वनीकरण

- प्रतिपूरक वनीकरण से आशय ग़ैर-वानिकी उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त वन भूमि की क्षतिपूर्ति के तौर पर संपन्न की जाने वाली वनीकरण और पुनरुत्पादन की गतिविधियों से है।
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 प्रावधान करता है कि जब भी वन भूमि को ग़ैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाए तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए उसके समतुल्य भूमि को चिह्नित किया जाना चाहिए। साथ ही प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कोष भी स्थापित किया जाना चाहिए।
- इस अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक है कि:
  - जहाँ तक संभव हो CA के लिए चिह्नित की गयी ग़ैर-वानिकी भूमि, संरक्षित वन या आरक्षित वन की सीमा के साथ लगी हुई हो या उसके निकट हो।
  - यदि CA के लिए ग़ैर-वानिकी भूमि उसी जिले में उपलब्ध नहीं है, तो यह ग़ैर-वानिकी भूमि उस राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में कहीं भी चिह्नित की जा सकती है।
  - यदि उस सम्पूर्ण राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में ग़ैर-वानिकी भूमि उपलब्ध ही नहीं है, तो प्रयोगकर्ता एजेंसी ने जितनी वन भूमि ली है, उससे दोगुनी भूमि पर वन लगाने के लिए आवश्यक धनराशि राज्य के वन विभाग द्वारा नियत दरों के आधार पर दिए जाने की आवश्यकता होगी।

प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016

- इस अधिनियम ने भारत के सार्वजनिक खाते के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि (NCAF) और राज्यों के सार्वजनिक खातों के अंतर्गत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (SCAF) की स्थापना की।
- इन निधियों में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए धनराशि दी जाएगी:
  - प्रतिपूरक वनीकरण,
  - वन का निवल वर्तमान मूल्य (NPV),
  - अन्य परियोजना विशिष्ट भुगतान
- राष्ट्रीय निधि को इनमें से 10% राशि एवं राज्य निधियों को शेष 90% राशि प्राप्त होगी।
- ये निधियाँ व्यपगत नहीं होंगी और इन पर केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर नियत दर से ब्याज दिया जाएगा।
- यह अधिनियम, दो तदर्थ संस्थानों को वैधानिक स्थिति प्रदान करता है, जो हैं;
  - NCAF के प्रबंधन और उपयोग हेतु **राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA)**
  - राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि का उपयोग करने के लिए **राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण।**
- यह अधिनियम इन निधियों द्वारा संचालित गतिविधियों की निगरानी के लिए एक बहु-विषयक निगरानी समूह के गठन का प्रावधान भी करता है।
- यह अधिनियम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा का भी प्रावधान करता है।

नए दिशा-निर्देश

- इसके अंतर्गत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि बैंक बनाना आवश्यक बनाया गया है ताकि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन स्वीकृति प्रस्तावों का त्वरित निपटान किया जा सके।
- राज्यों को एक व्यवस्थित तरीके से भूमि बैंकों के निर्माण में तेजी लाने के लिए वनों के प्रिंसिपल चीफ कंज़र्वेटर, चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन और राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों की एक समिति भी स्थापित करनी होगी।
- राज्य सरकारें मृदा और आर्द्रता संरक्षण, पुनरुत्पादन, स्वच्छता, वन-वर्धन (*सिल्वीकल्चर*) जैसी गतिविधियों को शामिल करते हुए प्रतिपूरक वनीकरण योजना बनाएँगी। साथ ही आवश्यकतानुसार 7 से 10 वर्षों के लिए इन वृक्षारोपणों का रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा।

- यह प्रावधान करता है कि प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत संबंधित भूमि पर लगाए जाने वाले पौधों की संख्या कम से कम 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। हालांकि यदि प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत चिन्हित ग़ैर-वानिकी भूमि पर प्रति हेक्टेयर 1000 पौधे न लग पाएँ तो बाकी बचे पौधों को निम्नीकृत वन भूमि पर लगाकर इसे संतुलित किया जा सकता है।

नोट: भूमि बैंक के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अक्टूबर CA 2017 का अंक देखें।

5.2. बाँस अब वृक्ष की श्रेणी में नहीं

(Bamboo Is No Longer A Tree)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, राष्ट्रपति ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करने वाले एक अध्यादेश को मंज़ूरी दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से **ग़ैर-वन क्षेत्रों में उगे बाँस को वृक्ष की परिभाषा से बाहर** कर दिया गया है।

इससे सम्बंधित अन्य तथ्य

- इस संशोधन का लक्ष्य है कि ग़ैर-वन क्षेत्रों में उगे बाँस को वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया जाए। इससे इसके आर्थिक उपयोग हेतु कटाई/ पारगमन परमिट की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- बाँस, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार घास की श्रेणी में आता है। किन्तु भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत इसे वृक्ष के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है कि वनों के साथ-साथ ग़ैर-वन भूमि पर उगे बाँस को आर्थिक प्रयोग हेतु काटने व दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। यह ग़ैर-वन भूमि पर बाँस की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी बाधा थी।
- हालांकि, वन क्षेत्रों में उगे बाँस पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधान ही लागू रहेंगे।

राष्ट्रीय कृषि-वानिकी और बाँस मिशन (NABM)

- इसके अंतर्गत क्षेत्र-आधारित व क्षेत्रीय रूप से विभेदीकृत रणनीति अपनाकर बाँस क्षेत्रक की समग्र वृद्धि को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गयी है। साथ ही बाँस की कृषि एवं उसके विपणन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल को बढ़ाने की भी परिकल्पना की गयी है।
- नई नर्सरियों की स्थापना और वर्तमान नर्सरियों के सुदृढीकरण को सहायता प्रदान कर गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने संबंधी कदम उठाए गए हैं।
- अग्र समेकन (forward integration) पर ध्यान देने के लिए यह मिशन बाँस के उत्पादों, विशेष रूप से हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन को बढ़ावा देने संबंधी कदम उठा रहा है।
- इसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIHH) के तहत एक उप-योजना के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग (DAC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

संशोधन के लाभ

- यह ग़ैर-वन क्षेत्रों में बाँस की खेती को बढ़ावा देकर **किसानों (विशेष रूप से उत्तर-पूर्व और मध्य भारत के किसान) की आय में वृद्धि** तथा **देश के हरित आवरण को बढ़ाने** के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करेगा।
- यह किसानों और निजी व्यक्तियों के समक्ष आ रही **कानूनी और नियामकीय कठिनाइयों को दूर करके** 12.6 मिलियन हेक्टेयर जुताई योग्य ऊसर भूमि पर कृषि का एक व्यवहार्य विकल्प उपलब्ध कराएगा।
- यह संशोधन बाँस का उपयोग मृदा-नमी संरक्षण हेतु, भूस्खलन रोकथाम व पुनर्वास में, वन्यजीव पर्यावासों का संरक्षण करने में , जैव-पदार्थों के स्रोतों में वृद्धि करने तथा लकड़ी के स्थानापन्न के रूप में किये जाने जैसे **पारिस्थितिकीय लाभ** प्रदान करेगा। इसके साथ-साथ यह बाँस के संदर्भ में **ग्रामीण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था** के लिए भावी संभावनाओं के द्वार खोलेगा।
- यह **कृषि वानिकी मिशन के अंतर्गत किसानों** और अन्य व्यक्तियों को कृषि भूमि एवं अन्य निजी भूमियों पर वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करेगा। इसके अतिरिक्त निम्नीकृत भूमि पर बाँस की उपयुक्त प्रजातियों की रोपाई/ ब्लॉक रोपाई करने हेतु भी **प्रोत्साहित करेगा।**
- यह ग्रामीण भारत के पारंपरिक शिल्पियों, बाँस आधारित कागज व लुगदी उद्योगों, कुटीर उद्योगों आदि को **कच्चे माल की आपूर्ति में वृद्धि** करेगा।
- काष्ठ स्थानापन्न और पैनल्स, फ्लोरिंग, फर्नीचर और बाँस के पर्दे/ चटाइयों जैसे **बाँस के मुख्य उपयोगों** को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह खाद्य उत्पादों (बैंबू शूट्स), निर्माण और आवास, बाँस चारकोल आदि में संलग्न उद्योगों की भी सहायता करेगा।
- यह **घरेलू माँग को पूरा करने और आयातों को घटाने में मदद** करेगा। यद्यपि वैश्विक स्तर पर बाँस की कृषि के तहत आने वाले कुल कृषि क्षेत्रफल का 19% हिस्सा भारत में है (भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाँस उत्पादक देश है), तथापि इस क्षेत्र में हमारी बाजार हिस्सेदारी मात्र 6% है। 2015 में, भारत ने लगभग 18.01 मिलियन क्यूबिक मीटर काष्ठ और संबद्ध उत्पादों का आयात किया, जिनका मूल्य 43000 करोड़ रुपये था।
- यह संशोधन **राष्ट्रीय कृषि-वानिकी और बाँस मिशन (NABM)** के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा।

VISION IAS

5.3. क्लाइमेट चेंज परफॉरमेंस इंडेक्स (CCPI)

(Climate Change Performance Index : CCPI)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में जारी किये गए ***क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स*** **(CCPI) में भारत को 14वें स्थान पर** रखा गया है।

इस इंडेक्स के मुख्य बिंदु

- भारत ने ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जनों को कम करके और ऊर्जा के अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ स्रोतों को अपनाकर अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। वर्ष 2017 में भारत 20 वें स्थान पर था तथा वर्ष 2018 में यह 14 वें स्थान पर आ गया है।
- इसमें बताया गया कि **प्रति व्यक्ति कम उत्सर्जनों** के साथ, भारत के उत्सर्जनों का स्तर 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से काफी नीचे है। हालांकि **कुल उत्सर्जनों** में पिछले वर्ष के दौरान सापेक्षिक रूप से अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे इंडेक्स में भारत की स्थिति में आगे और सुधार होने में बाधा आ सकती है।
- इंडेक्स के शीर्ष तीन स्थानों पर अभी भी **कोई देश स्थान प्राप्त नहीं** कर पाया है क्योंकि कोई भी देश वर्तमान में पेरिस जलवायु समझौते के अनुकूल मार्ग पर अग्रसर नहीं है।
- **सकारात्मक पक्ष:** इंडेक्स का यह दावा है कि वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के कारण विश्व भर में CO_2 उत्सर्जनों की वृद्धि दरों में गिरावट आ रही है।

क्लाइमेट चेंज परफॉरमेंस इंडेक्स **(CCPI)**

- यह इंडेक्स *जर्मनवाच, द न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट* और *क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क* द्वारा जारी किया जाता है।
- यह जलवायु नीति के क्षेत्र में देशों के लक्ष्यों और प्रगति का मूल्यांकन करता है।
- यह रिपोर्ट **56 देशों और यूरोपीय संघ** को रैंक प्रदान करती है। ये देश एवं यूरोपीय संघ सम्मिलित रूप से वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों के 90% के लिए जिम्मेदार हैं।
- देशों को **चार श्रेणियों** में रैंकिंग दी जाती है- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति।**

- **चिंता:** वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की बढ़ती खपत कोयले के उपयोग में आई कमी की तुलना में अभी भी उच्च है तथा मूल्यांकित देशों के मध्यावधिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों में भी काफी अंतर है।

5.4. भारत में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन

(Susulphur Dioxide Emissions In India)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार, भारत विश्व में सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले देशों में से एक है।

मुख्य बिंदु

- **SO_2 का बढ़ता अनुपात:** विगत 10 वर्षों में, भारत के SO_2 उत्सर्जनों में 50% की वृद्धि हुई है। ऐसी संभावना है कि भारत भविष्य में इस विषैले वायु प्रदूषक का विश्व में सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता होगा।
- **नागरिकों के लिए खतरा:** लगभग 33 मिलियन भारतीय सल्फर डाइऑक्साइड के अत्यधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहते हैं। यह संख्या 2013 के बाद से दोगुनी हो गयी है। ऊर्जा की बढ़ती माँग से इस संख्या में और भी वृद्धि हो सकती है।
- **प्रमुख कारण:** यह हानिकारक प्रदूषक भारत में विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले कोयले (जिसमें सल्फर की मात्रा 3% है) के दहन के फलस्वरूप वायुमंडल में मुक्त हो रहा है। भारत अपनी विद्युत का 70% भाग कोयले से ही उत्पादित करता है।

SO_2 पर सरकारी कार्यवाही

- SO_2 उन प्रदूषकों में से एक है, जिनका मापन **वायु गुणवत्ता सूचकांक** (AQI) के तहत किया जाता है ।
- **कोयला उत्पादन पर उपकर** (cess) बढ़ाकर 400 रुपये प्रति टन किया जाना।
- भारत स्टेज मानकों का कार्यान्वयन
- **ताप विद्युत् संयंत्र के लिए उत्सर्जन मानदंड (2015):** इसके अंतर्गत इन संयंत्रों को PM 10, SO_2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्सर्जन कम करने का निर्देश दिया गया है।

सल्फर डाई-ऑक्साइड (SO_2) के विषय में

- यह एक रंगहीन, प्रतिक्रियाशील गैसीय वायु प्रदूषक है। इसकी गंध तीक्ष्ण होती है।
- यह दृश्यता को प्रभावित करती है और कुहरे का कारण बनती है।

VISIONIAS

- **प्राकृतिक स्रोत**: ज्वालामुखियों द्वारा प्राकृतिक रूप से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।
- **मानव निर्मित स्रोत**: सल्फर युक्त कोयला, तेल एवं गैसों आदि ईंधनों के दहन से, ताँबा, जस्ता, सीसा और निकेल जैसी धातुओं के प्रगलन तथा मोटर वाहन उत्सर्जन।

प्रभाव

- **अम्ल वर्षा:** जब सल्फर डाइऑक्साइड का जल और वायु के साथ संयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है। यह अम्ल वर्षा **निर्वनीकरण** का कारण बन सकती है; **जलस्रोतों की अम्लीयता** में इस प्रकार वृद्धि कर सकती है जिससे जलीय जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए; **निर्माण सामग्री व पेंट आदि का क्षरण** कर सकती है।
- **स्वास्थ्य पर:** यह मानव श्वसन प्रणाली को प्रभावित कर श्वास संबंधी समस्याएँ उत्पन्न कर सकती है। बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा से पीड़ित लोग, SO_2 के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं।
- **स्वास्थ्य पर पड़ने वाले अन्य प्रभावों में** आंखों में जलन, खाँसी, श्लेष्मा स्राव और बार-बार होने वाला श्वासनली-दाह (chronic bronchitis) शामिल हैं।

आगे की राह

- **चीन से सीखने की आवश्यकता:** चीन ने विगत 10 वर्षों में कुशल बिजली संयंत्रों और उत्सर्जन में कमी के कठोर मानकों के फलस्वरूप SO_2 उत्सर्जन को 75% तक कम कर दिया है।
- **अन्य कदम:** देशव्यापी उत्सर्जन-निगरानी स्टेशन स्थापित करना, ऊर्जा के अन्य स्रोतों के प्रयोग की ओर मुड़ना व ताप विद्युत् संयंत्रों में प्रदूषण कम करने वाले उपकरणों जैसे *फ्ल्यू-गैस पार्टिकुलेट कलेक्टर, फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन* (FGD) प्रणाली और *नाइट्रोजन ऑक्साइड कण्ट्रोल डिवाइस* की स्थापना।

5.5. UN एमिशन गैप रिपोर्ट 2017

(UN Emission GAP Report 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में, **UN एमिशन गैप रिपोर्ट** के आठवें संस्करण का अनावरण किया गया था।

मुख्य बिंदु

- **मामूली प्रतिबद्धता:** देशों द्वारा सौंपी गयी INDC (Intended Nationally Determined Contribution) प्रतिबद्धताएँ, जो कि वर्तमान उत्सर्जनों को कम करने संबंध में सौंपी जाती हैं, तापमान में विनाशकारी वृद्धि रोकने के लिए जितनी आवश्यक हैं, उसका लगभग एक-तिहाई ही हैं। यदि प्रभावी उपाय नहीं किये गये तो सम्भावना है कि वर्ष 2100 तक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तरों के तापमान से कम से कम 3° सेल्सियस अधिक के विनाशकारी स्तर तक बढ़ जाएगा।
- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:** यद्यपि कुल वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जारी है फिर भी विगत कुछ वर्षों में वृद्धि की दर में कमी आई है।
  - जीवाश्म ईंधन के उपयोग और सीमेंट उत्पादन से होने वाला वैश्विक CO_2 उत्सर्जन 2016 में लगातार दूसरे वर्ष स्थिर बना रहा।
  - मुख्य रूप से चीन में एवं तत्पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका में 2011 के बाद से कोयले के उपयोग में अपेक्षाकृत कम वृद्धि के चलते वैश्विक CO_2 उत्सर्जन की वृद्धि धीमी हुई है।
- **अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक (*शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स*: SLCP) का प्रभाव:** SLCP में विभिन्न प्रकार की गैसें शामिल हैं। इन गैसों का तापन प्रभाव

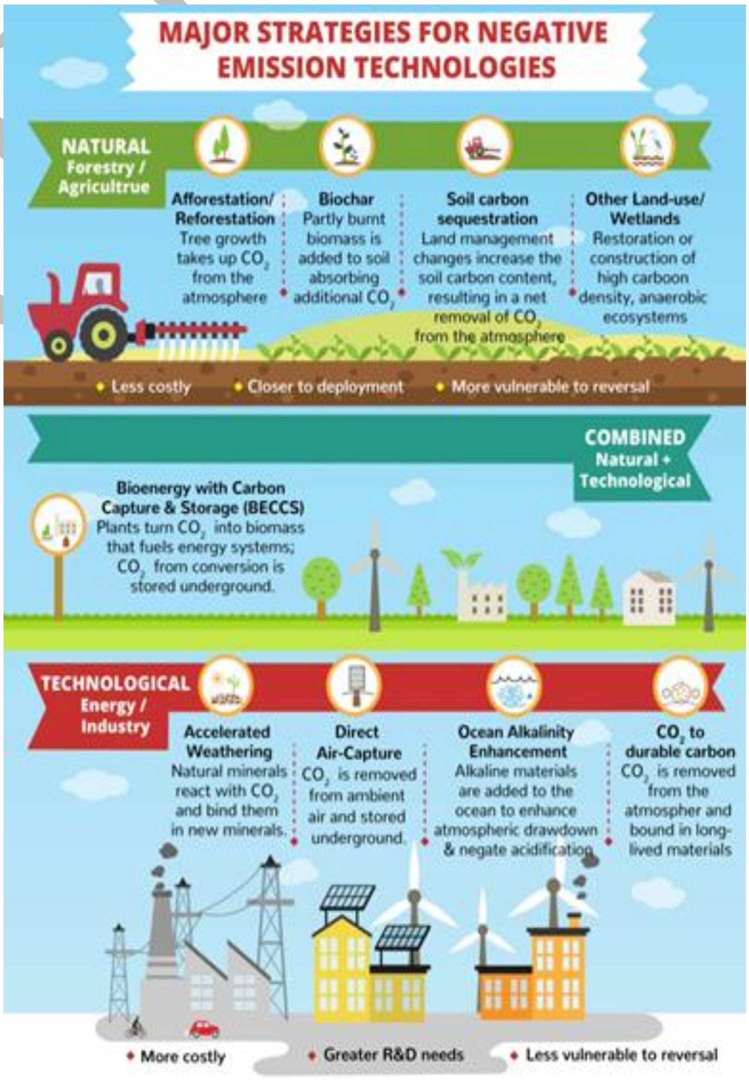

VISION IAS

यद्यपि अल्पकालिक होता है किंतु यह प्रायः CO_2 से कहीं अधिक होता है। हालाँकि, ये गैसें लंबे समय तक वायुमंडल में नहीं बनी रहतीं। इनमें मीथेन, HFCs, ब्लैक कार्बन (कालिख), क्षोभमण्डल में उपस्थित ओज़ोन इत्यादि शामिल हैं।

- यह अनुमान लगाया गया है कि SLCP शमन में इतनी क्षमताएँ मौजूद हैं कि सदी के मध्य तक 0.6° सेल्सियस जितने तापन को होने से रोक दे। जबकि यदि आक्रामक ढंग से उसी प्रकार CO_2 का शमन किया जाए तब इससे लगभग आधे जितना तापन ही अल्पकाल के लिए कम किया जा सकता है।

एमिशन गैप रिपोर्ट

- यह न्यूनतम लागत पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक उत्सर्जन कटौती और *नेशनली डिटरमाइंड कॉंट्रिब्यूशंस* (NDCs) के पूर्ण कार्यान्वयन से उत्सर्जन में होने वाली संभावित कटौती के बीच के "अंतराल" (gap) पर केंद्रित है। यही बात पेरिस समझौते की नींव भी है।
- इस रिपोर्ट को **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** द्वारा तैयार किया गया है।

- **"*नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजीज़*" को आजमाना**: यह पहली बार है कि रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के शमन हेतु पारंपरिक रणनीतियों के साथ-साथ एक अतिरिक्त उपाय के रूप में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के विकल्प पर विचार कर रही है। (इन्फोग्राफिक देखें)
- **कुछ निश्चित क्षेत्रों पर बल:** 6 क्षेत्रों यथा - कृषि, वानिकी, भवन, ऊर्जा, उद्योग और परिवहन में लागत प्रभावी उपायों को अपनाकर 2030 तक प्रतिवर्ष 36 $GtCO_2e$ जितनी उत्सर्जन की मात्रा को कम किया जा सकता है।
- **G-20 देशों की ओर से समर्पित कार्यवाही:** वे सामूहिक रूप से GHG उत्सर्जनों में लगभग 75% का योगदान करते हैं। अतः उनकी NDC प्रतिज्ञाओं को कार्यान्वित करने में सफलता (या उससे अधिक) का, वैश्विक तापमान लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा।
- रिपोर्ट के अनुसार G-20 के तीन सदस्य - चीन, यूरोपीय संघ और भारत अपनी कानकुन जलवायु प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं (2011 में कानकुन, मैक्सिको में देशों ने 2020 से पहले GHG उत्सर्जन में कटौती करने के लिए सहमति व्यक्त की थी)।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विश्व के कोयला भंडारों का 80% भाग, तेल भंडारों का लगभग 35% भाग और गैस भंडारों का 50% भाग भूमि में ही रहने दिया जाना चाहिए अर्थात उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- **ग़ैर-राज्य कर्ताओं (non-state actor) की भूमिका को मान्यता:** यह उत्सर्जन तीव्रता को कम करने में शहरों, राज्यों या प्रांतों के अतिरिक्त ग़ैर-राज्य कर्ताओं, जैसे निगमों द्वारा निभायी जाने वाली भूमिका को भी मान्यता देता है।

5.6. दिल्ली में स्मॉग

(Delhi Smog)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में, दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आधार पर **"गंभीर *(सिवियर)*"** स्तर तक पहुँच गया था।

मुख्य बिन्दु

- नई दिल्ली में PM 2.5 की सांद्रता 1,200 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक हो गयी थी। यह सांद्रता विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित दिशानिर्देशित मानकों से 48 गुना अधिक थी।
- *इंडियन मेडिकल एसोसिएशन* ने इसे **"*मेडिकल इमरजेंसी*"** घोषित कर दिया था। ऐसे वातावरण में श्वास लेना एक दिन में 50 सिगरेट का धूम्रपान करने के समान है।

दिल्ली वायु प्रदूषण के कारण:

- दिल्ली में सर्दियों के मौसम के दौरान दो प्रकार की पवनों - एक पंजाब में जलाये गए कृषि अवशिष्टों से निर्मित प्रदूषकों को लाने वाली एवं दूसरी उत्तर प्रदेश से आर्द्रता धारण करने वाली पवनों के परस्पर सम्मिश्रण से स्मॉग (धूम्र कोहरा) का निर्माण होता है।
- दिल्ली में वस्तुतः ओज़ोन और PM 2.5, स्मॉग के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ***सिस्टम ऑफ़ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च* - SAFAR (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नियंत्रणाधीन) एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार इराक़, कुवैत और सऊदी अरब में आये "*मल्टी डे डस्ट स्टॉर्म*"(धूल भरी आँधियाँ) ही 6 से 14 नवंबर के मध्य दिल्ली में व्याप्त स्मॉग का मुख्य कारण थे। इन देशों में आये *मल्टी डे डस्ट स्टॉर्म* को **'*गल्फ़ डस्ट*'** भी कहा जाता है।
- **पंजाब और हरियाणा में धान के अवशिष्टों को जलाना:** इन राज्यों में किसानों द्वारा लगभग 3.5 करोड़ टन फसल अवशिष्ट या पराली जलाये जाते हैं। फसल अवशिष्टों की इस मात्रा में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है।
- **दिल्ली में वृहद पैमाने पर विनिर्माण गतिविधियाँ -** ये निर्माण गतिविधियाँ NCR क्षेत्र की वायु में धूल कणों का प्रमुख स्रोत हैं।
- **अन्य प्रमुख कारणों में शामिल हैं:** वाहनों द्वारा उत्सर्जित विषैली गैसें, औद्योगिक प्रदूषण, कचरे के ढेर आदि।

VISION IAS

स्मॉग के सम्बन्ध में:

यह सूर्य के प्रकाश की वायुमंडल में निर्मुक्त प्रदूषकों के साथ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है।

यह विभिन्न **कारकों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता** है, यथा: भौगोलिक अवस्थिति, सूर्य का प्रभाव, वायु का शांत होना, ईंट भट्टों से निर्मुक्त प्रदूषण, वाहनों द्वारा एवं औद्योगिक गतिविधियों से उत्सर्जित प्रदूषण।

धुंध: उच्च प्रदूषण की स्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और धूलकण, सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया कर भू-स्तर के ओज़ोन का निर्माण करते हैं, जो धुंध के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- **ऐसा माना जाता है कि उच्च प्रदूषण** शिशु के समय से पूर्व जन्म लेने, गर्भ में ही शिशु की मृत्यु तथा गर्भाशय में भ्रूण का अल्प विकास जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है।
- **लैंसेट द्वारा किये गए एक** अध्ययन के अनुसार *पार्टिकुलेट मैटर* (PM) 2.5 कणों के कारण 2015 में 5 लाख भारतीयों की असामयिक मृत्यु हो गयी।
- **अन्य प्रभाव:** श्वास सम्बन्धी कठिनाइयाँ, आँख और नाक से पानी निकलना, आँखों में जलन, खाँसी, चक्कर आना, सिरदर्द, सुस्ती, गले से सम्बंधित समस्याएँ एवं गठिया से लेकर स्ट्रोक तक होने का खतरा बढ़ जाता है।
- एक अध्ययन के अनुसार यदि दिल्ली के वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय मानक के अनुसार कम किया जाए तो यहाँ के निवासियों की जीवन प्रत्याशा 6 वर्ष तक बढ़ जाएगी।

Air Quality Index (AQI)

Is a number used by government agencies to characterize the quality of the air at a given location.

Air Quality Index Values When the AQI is in this range...	Levels of Health Concern ...air quality conditions are...	Colors ...as symbolized by this color
0 to 50	Good	Green
50 to 100	Moderate	Yellow
101 to 150	Unhealthy for Sensitive Groups	Orange
151 to 200	Unhealthy	Red
201 to 300	Very Unhealthy	Purple
301 to 500	Hazardous	Maroon

उठाए गए कदम:

- वाणिज्यिक वाहनों द्वारा सम्पीडित प्राकृतिक गैस (CNG) का उपयोग किया जाना।
- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत 2015 में पर्यावरण मंत्रालय ने आदेश दिया कि दिल्ली की सड़कों के किनारों तथा खुली जगहों में व्यापक तौर पर वृक्षारोपण किया जाए।
- भारत स्टेज-6 के मानदंडों को पूर्णतया लागू करने के लिए अप्रैल 2020 तक की समय-सीमा दी गयी थी, उसे घटा कर अप्रैल 2018 करना।
- ईंट भट्टों को बंद करने तथा सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु पार्किंग शुल्क में वृद्धि।
- हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा दिल्ली में चल रही निर्माण प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया जाना।
- NCR में एवं NCR के निकटवर्ती क्षेत्रों में *पेट्रोलियम कोक* और *फर्नेस ऑयल* पर प्रतिबंध, ऑड-इवेन नियमों का अनुपालन, पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध आदि।

आगे की राह

- **अंतर्राज्यीय सहयोग:** व्यापक समाधान के लिए आवश्यक है कि जलाए जा रहे कृषि अवशेषों एवं निर्माण कार्य के कारण उत्पन्न धूल/प्रदूषण को चिन्हित करते हुए इसकी रोकथाम हेतु केंद्र के दिशा-निर्देशन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा प्रयास किए जाएँ।
- **सुगम एवं विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन:** इसके परिणामस्वरुप भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सूक्ष्म कणों में कमी आएगी और निवासियों हेतु स्थानीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- **सर्वोत्तम तरीकों का उपयोग:** सिंगापुर के उदाहरण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सड़कों पर अनुमति प्राप्त कारों की संख्या की सीमा को निर्धारित किया जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्याय मित्र ने परामर्श दिया है कि कुछ मशीनों का प्रयोग कर फसल अवशिष्ट की खेतों में वापस जुताई (Till) की जानी चाहिए अथवा इथेनॉल के उत्पादन हेतु गेहूँ तथा धान की भूसी एवं गन्ने की खोई (गन्ने के अवशेष) के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **अधिकांशतः विद्युत वाहनों का** प्रयोग करना विकास और पर्यावरण की दृष्टि से निर्णायक सिद्ध हो सकता है।

5.7. प्रदूषणकारी ईंधनों पर प्रतिबंध

(Ban on Polluting Fuels)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में *फर्नेस ऑयल* तथा *पेट्रोलियम-कोक* के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

VISION

_पेट्रोलियम-कोक_ के सम्बंध में

- *पेट्रोलियम कोक* या *पेट कोक*, तेल शोधन द्वारा प्राप्त एक ठोस कार्बन समृद्ध (90% कार्बन और 3% से 6% सल्फर) उत्पाद है।
- इसे "*बॉटम ऑफ़ द बैरल*" ईंधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- यह कोयले की अपेक्षा पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक है तथा कोयले से 11% अधिक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है।
- भारत, पेट्रोलियम कोक का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में ग़ैर अनुमोदित ईंधन है।

फर्नेस ऑयल के संबंध में

- यह एक गाढ़ा, चिपचिपा अवशिष्ट ईंधन है जो मुख्य रूप से अपरिष्कृत आसवन इकाइयों से प्राप्त भारी संघटकों, निर्वात अवशिष्ट (*शार्ट रेसिड्*) एवं *कैटलिटिक क्रैकर यूनिट* से प्राप्त शुद्ध तेल के परस्पर सम्मिश्रण से प्राप्त किया जाता है।
- यह उपलब्ध सर्वाधिक सस्ते ईंधनों में से एक है। इसका उपयोग उद्योगों में बॉयलर एवं टरबाइन आदि को चलाने हेतु आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु किया जाता है।

इस सन्दर्भ में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:

- **पर्यावरण संरक्षण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA)** ने अप्रैल 2017 में NCR क्षेत्र में फर्नेस ऑयल और पेट-कोक को प्रतिबंधित करने हेतु आदेश पारित किया था।
- सल्फर-युक्त पेट-कोक और अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों जैसे कि फर्नेस ऑयल का सीमेंट कारखानों, रंगाई उद्योगों, पेपर मिल्स, ईंट के भट्टों और सिरेमिक व्यवसायों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- वर्तमान में भारत, अमेरिका के पेट-कोक का एक डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। अमेरिका ने प्रदूषण के कारण वहाँ पेट-कोक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

पेट-कोक और फर्नेस ऑयल के बढ़ते उपयोग के कारण:

- **सस्ता विकल्प:** पेट-कोक द्वारा प्रति यूनिट उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कोयले की तुलना में अत्यधिक सस्ती है। फलत: यह खरीदारों हेतु आकर्षक बनी हुई है।
- **अनुकूल कर-व्यवस्था:** हालाँकि इन दोनों ईंधनों पर GST के तहत 18% कर लगाया जाता है, किन्तु विनिर्माण हेतु इन ईंधनों का उपयोग करने वाले उद्योगों को ईंधन पर आरोपित सम्पूर्ण कर वापस कर दिया जाता है। दूसरी ओर प्राकृतिक गैस (जिसे GST में शामिल नहीं किया गया है) पर कुछ राज्यों में 26 प्रतिशत तक VAT है।
- कोयले पर 400 रुपये प्रति टन **स्वच्छ ऊर्जा उपकर** लगाया गया है, जिससे पेट-कोक के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।
- पेट-कोक में राख का अंश नहीं होता जबकि कोयले में राख का अंश अधिक होता है। अतः पेट-कोक कोयले की अपेक्षा एक तुलनात्मक लाभ की स्थिति में है। इसके फलस्वरूप सीमेंट कंपनियाँ निम्न श्रेणी के चूना पत्थर का भी उपयोग कर सकती हैं। यह एक लाभदायक स्थिति है क्योंकि भारत का लगभग 60 प्रतिशत चूना पत्थर निम्न श्रेणी का है।

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

- इस अधिनियम के अनुसार, सरकारें ऐसे ईंधनों के उपयोग पर रोक लगा सकती हैं जिनसे वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में वायु के प्रदूषित होने की संभावना हो।
- यह अधिनियम राज्य बोर्ड को किसी भी ईंधन को 'अनुमोदित ईंधन' घोषित करने का अधिकार भी प्रदान करता है।

प्रतिबंध पर चिंता

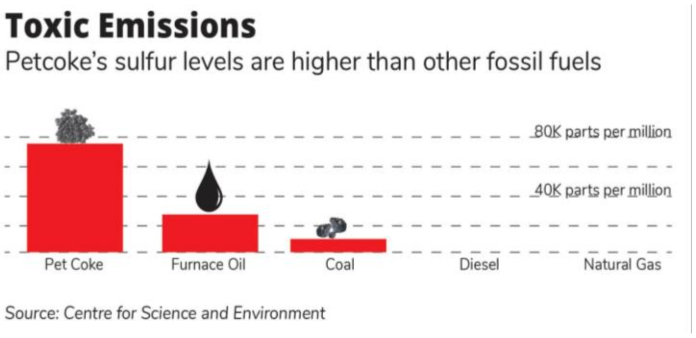

- भारत, एशिया में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा शोधनकर्ता है। भारत ने 2016-2017 में 13.94 मिलियन टन पेट-कोक का उत्पादन किया है। भारत में पेट-कोक का उत्पादन निकट भविष्य में जारी रहेगा, अतः पर्यावरणीय रूप से अनुकूल ढंग से इसका निस्तारण करना अत्यधिक आवश्यक है। निस्तारण के इस परिप्रेक्ष्य में सीमेंट भट्टे सर्वोत्तम विकल्प हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियों ने इस ईंधन की बढ़ती माँग को देखते हुए बड़ी राशि ख़र्च कर पेट-कोक क्षमता का निर्माण किया है। अतः प्रतिबंध से इन कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- घरेलू कोयले की खरीद के सन्दर्भ में चुनौतियाँ बनी हुई हैं क्योंकि सीमेंट उद्योग के लिए लिंकेज उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध कोयला निम्न स्तर का है, जिसे केवल निष्क्रिय विद्युत् संयंत्रों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये ईंट भट्ठे में प्रयोग हेतु भी उपयोगी नहीं है।

VISION IAS

- प्रतिबंध से लगभग 1,000 इकाइयाँ प्रत्यक्ष तौर पर तथा लगभग 10,000 संबद्ध इकाइयाँ अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हो सकती हैं और साथ ही 25 लाख से अधिक श्रमिक बेरोजगार हो सकते हैं।

आगे की राह :

- इस सन्दर्भ में एक स्पष्ट नीति तैयार करने का समय आ गया है। यह नीति निर्धारित करे कि पेट-कोक के उपयोग/आयात के लिए पात्रता क्या हो एवं किस प्रकार के कठोर उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन किया जाना चाहिए।
- *नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल* ने ईंधन पर प्रतिबंध लगाने के स्थान पर ,राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य सर्वप्रथम यह निर्णय लें कि पेट-कोक, अनुमोदित ईंधन है या नहीं'। ट्रिब्यूनल ने राज्यों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उपयोगकर्ताओं द्वारा सल्फर उत्सर्जन को कम करने की दिशा में आवश्यक वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जाए।
- **EPCA की अनुशंसा के अनुसार वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करना:**
- चूर्णित कोयला (pulverized coal) या लाइट डीज़ल ऑयल का उपयोग, जिससे उद्योग द्वारा प्रयुक्त बर्नर में किसी भी प्रकार का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- प्राकृतिक गैस जैसे अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधनों का उपयोग। इसके फलस्वरूप बर्नर को परिवर्तित कर प्राकृतिक गैस हेतु उपयुक्त बनाने के लिए प्रारंभिक लागत में वृद्धि होगी।
- भट्टियों को इलेक्ट्रिक बनाना।

5.8. बॉन क्लाइमेट चेंज कांफ्रेंस

(Bonn Climate Change Conference)

सुर्खियों में क्यों

- हाल ही में, *यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज* (UNFCCC) के *कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज* (COP-23) की 23वीं बैठक **बॉन,** जर्मनी में संपन्न हुई।
- अमेरिका द्वारा पेरिस समझौते से अपना नाम वापस लेने के बाद यह वार्ता का प्रथम प्रयास है।

- ***पोस्ट 2020 एक्शन,*** 2015 के पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धताओं (*नेशनली डिटरमिंड कॉन्ट्रीब्यूशंस*:NDCs) के अनुसार सभी देशों के लिए मान्य हैं।
- **प्री 2020 एक्शन,** क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शमन कार्रवाई करने हेतु समृद्ध और विकसित देशों के छोटे समूह के मौजूदा दायित्वों को दर्शाते हैं।
- ***लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर* (COP -2014):** इसका लक्ष्य सभी वार्ताओं के दौरान लैंगिक रूप से अनुक्रियात्मक जलवायु नीतियों और अधिदेशों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना है।
- ***वर्साय इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज* (COP -19):** इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से सुभेद्य विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से होने वाले नुकसान एवं क्षति (Loss and damage) से निपटना है। इसमें चरम घटनाएँ एवं धीमी गति से क्रमिक रूप से घटित होने वाली घटनाएँ सम्मिलित हैं।

पेरिस समझौता (PA)

- यह समझौता यह सुनिश्चित करने हेतु किया गया था कि पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में सम्पूर्ण विश्व के औसत तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि न हो।
- इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, सदस्य देशों ने पेरिस समझौते के तहत INDCs को स्वीकार किया था। INDCs के तहत ये सदस्य देश ग्लोबल वार्मिंग की मौजूदा दर को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार की स्व-निर्धारित कार्यवाहियों का अनुपालन करेंगे।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- **कार्यान्वयन के लिए फ़िजी मोमेंटम को अपनाना:** इस बैठक ने 2018 में समझौता वार्ता का मार्ग प्रशस्त किया। इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित से संबंधित हैं:
    - **पेरिस समझौते की कार्य योजना को पूर्ण करना:** पार्टियों ने सचिवालय को विभिन्न हितधारकों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे पेरिस समझौते की कार्य योजना की समीक्षा हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफार्म विकसित करने का अनुरोध किया है।
    - **तालानोवा वार्ता:** तालानोवा वार्ता एक *फैसिलिटेटिव डायलाग* है। इसका शुभारम्भ 2018 में संपन्न होने वाले COP-23 में किया गया। इस वार्ता का उद्देश्य पेरिस समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्रगति के संबंध में पार्टियों के सामूहिक प्रयासों की समीक्षा करना तथा *नेशनली डिटरमाइंड कॉंट्रिब्यूशंस* (NDCs) की तैयारियों के सम्बन्ध में सभी को सूचित करना है।
- **प्री-2020 का कार्यान्वयन एवं महत्वाकांक्षा:** पार्टियों ने सहमति व्यक्त की है कि 2020 में पेरिस समझौते के संचालित होने से पहले, प्री-2020 प्रतिबद्धताओं पर चर्चा करने हेतु 2018 और 2019 में दो स्टॉक-टेक (stock-take) अर्थात् तैयारियों की क्रमबद्ध जाँच के सम्मेलन आयोजित किये जाएँगे।

VISION IAS

- **कृषि:** 6 वर्षों की लम्बी प्रतीक्षा के बाद कृषि पर जलवायु के प्रभाव से निपटने के लिए एक निर्णय लिया गया। पार्टियों द्वारा निम्नलिखित को प्रस्तुत करना आवश्यक है; कृषि क्षेत्र में जलवायु कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग; मृदा-स्वास्थ्य में सुधार, मृदा कार्बन और मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुकूलन मूल्यांकन विधियों का उपयोग और साथ ही पोषक तत्वों के उपयोग और खाद प्रबंधन में सुधार के उपाय; तथा सामाजिक-आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा आयामों की रिपोर्टिंग इत्यादि।
- ***जेंडर एक्शन प्लान:*** UNFCCC के तहत *जेंडर एक्शन प्लान* सर्वप्रथम COP-23 (इससे पहले जलवायु कार्यवाहियों में लैंगिक भूमिका को **लीमा कार्यक्रम** में शामिल किया गया था) में अपनाया गया था। इसमें निम्नलिखित पाँच प्राथमिकताएँ शामिल हैं:
- क्षमता निर्माण
- ज्ञान को साझा करना एवं संचार
- लैंगिक संतुलन और महिलाओं द्वारा नेतृत्व
- कन्वेंशन तथा पेरिस समझौते का लैंगिक रूप से अनुक्रियात्मक कार्यान्वयन
- **लोकल कम्युनिटीज़ एंड इंडीजेनस पीपल्स प्लेटफॉर्म (स्थानीय समुदायों और मूल निवासियों का मंच):** यह पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में मूल निवासियों की माँगो को शामिल करने हेतु एक नया मंच है। यह मंच लोगों को शिक्षित करने, क्षमता में वृद्धि करने तथा अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना में विविध प्रकार की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का समावेश करने की सुविधा प्रदान करेगा। यह अप्रैल-मई 2018 से पूर्णतया कार्य करना प्रारम्भ कर देगा।
- **हानि एवं क्षति:** वार्ता में हानि और क्षति के मुद्दे पर संबंधित पार्टियों के मध्य वित्तीय प्रतिबद्धताओं पर सहमति नहीं बन पायी है।

COP-23 के दौरान अन्य पहलों को आरम्भ किया जाना

- **कोयला सम्बन्धी पूर्व संधियों को सशक्त बनाना:** इसे ब्रिटेन और कनाडा द्वारा आरम्भ किया गया है। 2030 तक कोयला आधारित विद्युत् के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने हेतु 15 देश संधियों/समझौतों में शामिल हुए हैं।
- ***बिलो 50 इनिशिएटिव:*** इसे *वर्ल्ड बैंक कौंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट* (WBCAD) द्वारा आरम्भ किया गया था। इसका लक्ष्य ऐसे ईंधन के लिए माँग और बाजार का निर्माण करना है जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में 50% कम CO_2 का उत्सर्जन करते हैं।

5.9.पर्माकल्चर

(Permaculture)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में हैदराबाद में 13वीं *इंटरनेशनल पर्माकल्चर कन्वर्जेंस* (IPC) का आयोजन किया गया था।

***पर्माकल्चर* क्या है?**

- यह कृषि की दृष्टि से उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों का सशक्त डिज़ाइन एवं रख-रखाव है। इन उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता, स्थायित्व एवं प्रतिरोधकता सम्मिलित हैं।
- यह भू-परिदृश्य और लोगों का सामंजस्यपूर्ण एकीकरण है। यह एकीकरण लोगों को संधारणीय तरीके से भोजन, ऊर्जा, आश्रय एवं अन्य सामग्री तथा ग़ैर-भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
- इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1978 में बिल मॉलिसन द्वारा किया गया था।

IPC के सम्बन्ध में

- IPC की पहली बैठक 1984 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गयी थी।
- ये आयोजन रणनीति, शिक्षा मानक, शोध तथा पर्माकल्चर सम्बन्धी क्षेत्रीय एवं वैश्विक विकास के सम्बन्ध में चर्चा करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करते हैं।

पर्माकल्चर का महत्व:

- **पर्यावरण के अनुकूल:** यह रसायनों और कीटनाशकों के प्रयोग को हतोत्साहित करता है तथा मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु पर्यावरण के अनुकूल साधनों के उपयोग को बढ़ावा देता है।

- **ग्लोबल वार्मिंग को कम करना:** वर्तमान में पर्माकल्चर के अंतर्गत 108 मिलियन एकड़ क्षेत्र सम्मिलित है। 2050 तक पर्माकल्चर क्षेत्र 108 मिलियन एकड़ से बढ़कर 1 बिलियन एकड़ हो जाने से सीक्वेस्ट्रेशन (प्रदूषक को पर्यावरण से ज़ब्त करना) और उत्सर्जन में कमी, दोनों के सम्मिलित परिणाम से कुल CO_2 उत्सर्जन में 23.2 गीगाटन की कमी हो सकती है।
- **पारंपरिक तौर-तरीकों को बढ़ावा देना:** इसमें कुशल प्रणालियों के विकास हेतु आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान के साथ पारंपरिक कृषि पद्धतियों को शामिल किया जाता है। यह जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों की उपलब्धता हेतु किसानों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भरता को भी कम कर सकता है।
- **आय में सुधार:** पर्माकल्चर, एकल कृषि (*मोनोकल्चर*) के स्थान पर बहु-कृषि (*पॉलीकल्चर*) का उपयोग करता है। बहु-कृषि के अंतर्गत विविध प्रकार की वनस्पतियों और जंतुओं का उपयोग किया जाता है ताकि एक आत्मनिर्भर तंत्र विकसित किया जा सके।

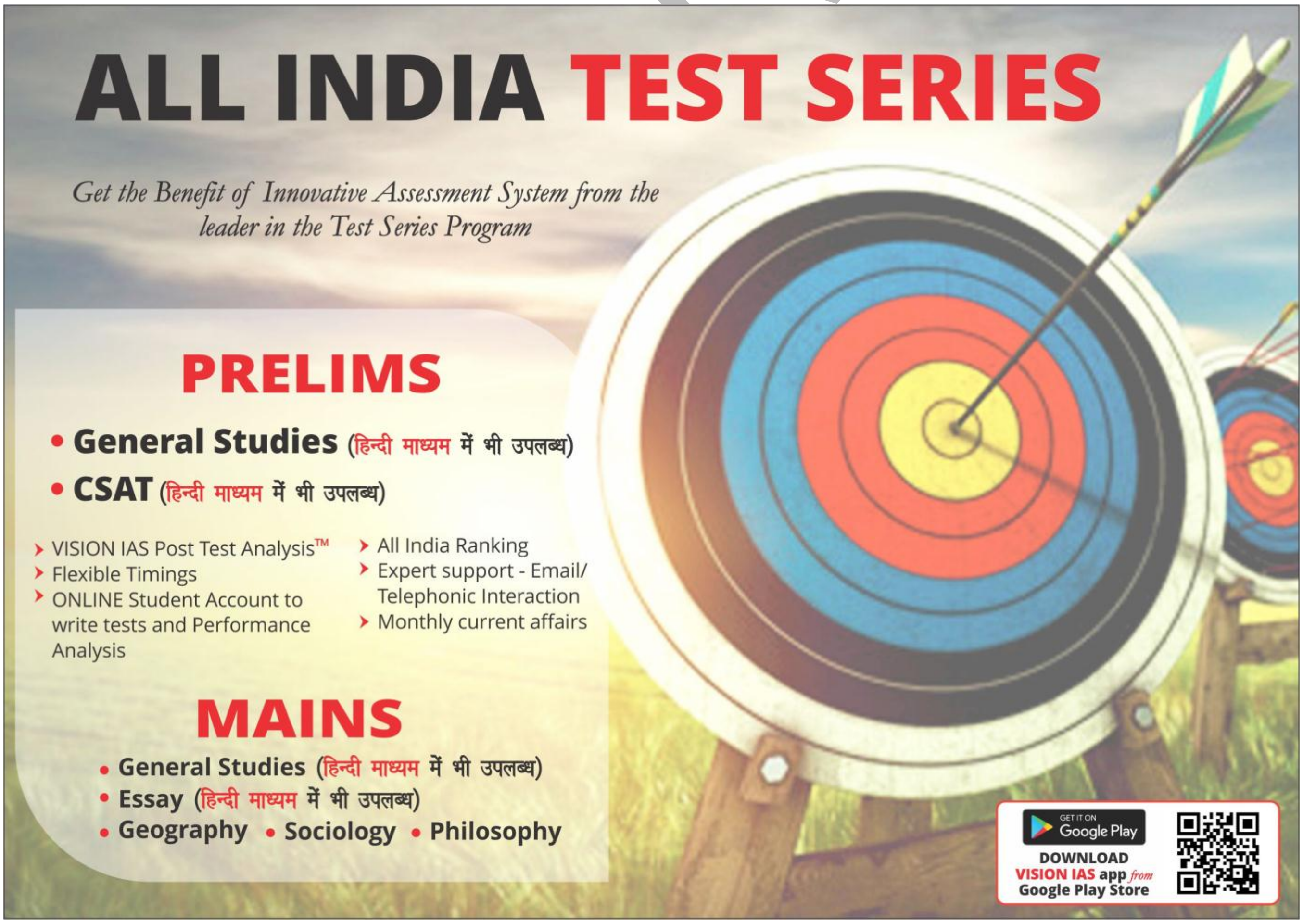

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

6.1. अन्तरिक्ष गतिविधि विधेयक, 2017

(Space Activities Bill, 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक, 2017 के मसौदे को प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक अंतरिक्ष क्षेत्र (स्पेस सेक्टर) को विनियमित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- अंतरिक्ष विभाग (*डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पेस:* DoS) भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों (*स्पेस एक्टिविटीज*) हेतु केन्द्रीय एजेंसी है। इन गतिविधियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - **अंतरिक्ष अवसंरचना:** विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु अंतरिक्षयान तथा सम्बद्ध धरातलीय अवसंरचना;
  - **अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली:** विभिन्न श्रेणियों के प्रक्षेपण यान तथा सम्बद्ध धरातलीय अवसंरचना;
  - **अंतरिक्ष अनुप्रयोग:** आवश्यक धरातलीय अवसंरचना तथा समन्वय क्रियाविधि की स्थापना के माध्यम से राष्ट्र की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु।
- अभी तक भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों को उपग्रह संचार नीति, 2000 (जिसके माध्यम से भारत में संचार उपग्रहों को संचालित करने हेतु निजी क्षेत्र को लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा लागू की गयी थी) तथा रिमोट सेंसिंग डेटा नीति, 2011 के द्वारा शासित किया जाता था।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियाँ सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रासंगिक प्रावधानों तथा UN *कमिटी ऑन पीसफुल यूसेज ऑफ़ आउटर स्पेस* (UNCOPUOS) के अधीन विकसित संयुक्त राष्ट्र (UN) संधियों तथा सिद्धांतों द्वारा शासित होती हैं।

अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता

- वर्तमान समय में अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की रूचि बढ़ी है तथा टीम इंडस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस तथा एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज जैसे स्टार्टअप अपने अंतरिक्ष-आधारित उत्पादों एवं सेवाओं के उत्पादन के सम्बन्ध में योजनाएँ तैयार कर रहे हैं।
- उभरते हुए निजी क्षेत्र का इसमें संलग्न होना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ISRO की वर्तमान श्रमशक्ति उपग्रह प्रक्षेपण की बढ़ती माँगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- ISRO देश में निजी औद्योगिक क्षमता के निर्माण का प्रयास कर रहा है, जिससे उसे अपनी अंतरिक्ष सम्बन्धी गतिविधियों में सहायता प्राप्त हो सके। हाल ही में, इसने प्रतिवर्ष 18 अंतरिक्षयानों के निर्माण हेतु निजी भागीदारों की ओर से एकल अथवा संयुक्त निविदाएँ आमंत्रित की हैं।
- उपग्रह संचार तथा रिमोट सेंसिंग नीति के अतिरिक्त, भारत में इस प्रकार का कोई औपचारिक कानून नहीं है जो एक निजी अंतरिक्ष उद्यम के सृजन के लिए कोई रूपरेखा प्रदान कर सके।
- प्रस्तावित विधेयक, अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से, सरकार के मार्गदर्शन तथा प्रमाणन के अंतर्गत, भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की एजेंसियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

मसौदे के मुख्य बिंदु

- प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधान भारत के सभी नागरिकों तथा उन सभी क्षेत्रों पर लागू होंगे जो भारत में अथवा भारत के बाहर किसी भी प्रकार की अंतरिक्ष गतिविधि में संलग्न हों।
- एक प्राधिकृत निकाय के माध्यम से वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधि में संलग्न व्यक्तियों को गैर-हस्तान्तरणीय लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।
- सरकार सभी *स्पेस ऑब्जेक्ट्स* का एक रजिस्टर रखेगी। इनमें पृथ्वी से प्रक्षेपित किए गए अथवा भविष्य में प्रक्षेपित की जाने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स सम्मिलित होंगे।
- सरकार वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधि हेतु व्यावसायिक तथा तकनीकी समर्थन भी उपलब्ध कराएगी तथा एक विनियामक संस्था द्वारा अंतरिक्ष गतिविधि के संचालन एवं परिचालन के लिए प्रक्रियाओं का नियमन भी करेगी।
- यदि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति अंतरिक्ष गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे दंडस्वरूप 3 वर्ष का कारावास अथवा 1 करोड़ रुपये का जुर्माना अथवा दोनों भुगतना पड़ सकता है।

आलोचनाएँ

- **अंतरिक्ष गतिविधि की त्रुटिपूर्ण व्याख्या-** विधेयक में दी गयी अंतरिक्ष गतिविधि की परिभाषा के अनुसार, सैटेलाइट इमेजरी का संचालन करने वाली डेटा कपनियों या अपने माइक्रोसैटेलाइट हेतु स्थलीय सुविधाओं का संचालन करने वाले विश्वविद्यालयों को भी लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। यह हार्डवेयर और इंटरनेट कंपनियों के संचालन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
- **स्वतंत्र नियामक का उल्लेख नहीं-** विधेयक में अंतरिक्ष क्षेत्र हेतु किसी स्वतंत्र नियामक को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। DoS को नियामक बनाने से हितों में टकराव होगा, क्योंकि DoS, इसरो के माध्यम से एक सेवा प्रदाता और साथ ही साथ एंट्रिक्स के माध्यम से एक वाणिज्यिक संचालक भी है।

VISION IAS

- **सभी अन्तरिक्ष संबंधी क्रियाकलापों हेतु एक ही व्यापक कानून (One Blanket Law) -** अंतरिक्ष गतिविधियों को पृथक नहीं किया गया है और उन्हें एक ही लाइसेंस प्रणाली (one blanket licence) के अंतर्गत लाना, उनकी कुशल कार्य पद्धति को बाधित कर सकता है।
- **उत्तरदायित्वों का गैर-विशिष्टीकरण-** अन्तरिक्षीय संचालन और प्रक्षेपण जैसी अपस्ट्रीम गतिविधियों और धरातल पर अंतरिक्ष-आधारित उत्पादों/सेवाओं जैसी डाउनस्ट्रीम गतिविधियों के उत्तरदायित्व भिन्न हैं। फिर भी, इन्हें अलग-अलग परिभाषित नहीं किया गया है और इन्हें सम्बद्ध अभिकर्ताओं (players) की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है।
- **प्रदूषण पर अस्पष्टता -** खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष में होने वाले प्रदूषण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

6.2. स्कोपिंग रिपोर्ट ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन इंडिया

(Scoping Report on Antimicrobial Resistance in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ***स्कोपिंग रिपोर्ट ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन इंडिया*** (भारत में जीवाणुरोधी प्रतिरोधक क्षमता पर स्कोपिंग रिपोर्ट) जारी की है।

इस रिपोर्ट के मुख्य अंश

- 2014 में भारत एंटीबायोटिक दवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता था, जिसके बाद क्रमशः चीन तथा अमेरिका का स्थान था। किन्तु कई अन्य उच्च आय वाले देशों की तुलना में भारत में एंटीबायोटिक दवाओं की प्रति व्यक्ति खपत अत्यंत कम है।
- भारत में समुदायों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में संक्रमण फैलाने वाले कुछ प्रमुख जीवाणुओं (बैक्टीरिया) में एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोध की सर्वाधिक उच्च दरें पायी जाती है।
- रिपोर्ट में यह भी इंगित किया गया है कि कई जीवाणुओं में *कार्बापेनेम* श्रेणी की एंटीबायोटिक दवाओं (जो मानव में गंभीर बैक्टीरियल संक्रमणों के उपचार हेतु अन्तिम उपायों में से एक हैं) के प्रति अत्यधिक उच्च प्रतिरोधक क्षमता पायी गयी है।
- नवजात शिशुओं में भी एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरियल संक्रमण में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की गयी है।

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR)

- AMR बैक्टीरिया, कवक, विषाणु (वायरस) तथा परजीवी जैसे सूक्ष्मजीव स्वयं को इस प्रकार परिवर्तित कर लेते हैं कि उनके संक्रमण के उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाली दवाएँ कार्य करने में अक्षम हो जाती हैं और फलस्वरूप रोग के उपचार में अप्रभावी हो जाती हैं।
- यह विभिन्न सूक्ष्मजीवियों में प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) के लिए प्रयुक्त एक व्यापक शब्द है तथा इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीपैरासिटिक तथा एंटीफंगल दवाओं के प्रति प्रतिरोध सम्मिलित है।
- सामान्य तौर पर यह प्रतिरोध **प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता** है किन्तु दवाओं का अनुचित ढंग से प्रयोग किये जाने पर भी सूक्ष्मजीवियों में ऐसा प्रतिरोध विकसित हो जाता है।
- जो सूक्ष्मजीवी अधिकांश एंटीमाइक्रोबियल दवाओं लिए प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, उन्हें *"सुपरबग्स"* कहा जाता है।
- यह अंग प्रत्यारोपण, कैंसर कीमोथेरेपी, सर्जरी इत्यादि जैसी कई चिकित्सीय प्रक्रियाओं में बाधक होता है तथा उन्हें अत्यधिक जोखिमपूर्ण बना देता है।

अंतर्राष्ट्रीय पहलें

- ***'वन हेल्थ'* दृष्टिकोण:** विभिन्न कार्यक्रमों, नीतियों, कानूनों तथा शोधों को डिज़ाइन तथा क्रियान्वित करने के लिए *'वन हेल्थ'* दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके तहत विभिन्न क्षेत्र परस्पर संपर्क बनाते हुए, एक साथ कार्य कर सकें। इससे खाद्य सुरक्षा, ज़ूनोसेस (पशुओं तथा मानव के बीच फैल सकने वाले रोग यथा फ्लू, रेबीज आदि), *एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस* इत्यादि के विरुद्ध बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त किया जा सकता है।
- *वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक*
- *द ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस सिस्टम*
- *इंटरएजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस*

भारत में एंटीबायोटिक प्रतिरोध के लिए उत्तरदायी कारक

- **एंटीबायोटिक उपभोग :** वर्तमान समय में *ब्रॉड-स्पेक्ट्रम* एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग व्यापक तौर पर किया जा रहा है। जबकि इनका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत में *नैरो-स्पेक्ट्रम* (प्राथमिक स्तर की) एंटीबायोटिक दवाएँ उपलब्ध नहीं हैं, जिससे स्वास्थ्य-सेवा प्रणाली के अन्दर चिकित्सकों द्वारा दिए जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन (चिकित्सक द्वारा रोगी के लिए दवाओं का निर्धारण) के चलन में परिवर्तन आया है।
- **सामाजिक कारक:** जनसामान्य तथा औपचारिक स्वास्थ्य प्रदाताओं द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं का अनुपयुक्त तरीके से प्रयोग आदि सामाजिक कारक।
- **जन सामान्य:** उदाहरण के लिए स्व-उपचार (आर्थिक भार से बचने के लिए), बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक दवाओं तक पहुँच (परिवार के किसी सदस्य की बची हुई दवा), स्वास्थ्य सेवा हेतु दवा-विक्रेताओं अथवा अनौपचारिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से सहायता लेना।

VISION IAS

- **स्वास्थ्य-सेवा प्रदाता:** अनुपयुक्त रूप से एंटीबायोटिक के प्रिस्क्रिप्शन से कई कारक जुड़े हुए हैं, जैसे :
    - संभवतः चिकित्सक यह समझते हैं कि मरीज़ को एंटीबायोटिक देना आवश्यक है क्योंकि वह तत्काल आराम प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके पास आया है।
    - दवा कम्पनियाँ चिकित्सकों तथा दवा विक्रेताओं पर दबाव बनाती हैं कि वे प्रिस्क्रिप्शन में नयी एंटीबायोटिक दवाएँ लिखें। इसके बदले उन्हें कुछ लाभ प्रदान किया जाता है।
    - सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त *माइक्रोबायोलॉजी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी* (सूक्ष्म-जीवविज्ञान नैदानिक प्रयोगशाला) सेवाएँ उपलब्ध नहीं है। निजी प्रयोगशालाओं के खर्च को वहन करने में अक्षमता तथा रोग के निदान *(डायग्नोसिस)* में अनिश्चितता के कारण चिकित्सक प्रिस्क्रिप्शन में एंटीबायोटिक दवाएँ लिखने के लिए विवश हो जाते हैं।
- **सांस्कृतिक गतिविधियाँ:** इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया का संभावित संक्रमण तथा प्रसार धार्मिक समारोह के दौरान नदियों में सामूहिक स्नान से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए वर्ष के किसी अन्य समय की तुलना में तीर्थ के समय गंगा नदी में blaNDM-1 जीन (*कार्बापेनेम* श्रेणी की *एंटीमाइक्रोबियल* दवाओं के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान करने वाला जीन) 20 गुना अधिक पाया गया था।
- **भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाले पशुओं में एंटीबायोटिक का उपयोग:** खाद्य-पशुओं तथा पोल्ट्री में एंटीबायोटिक दवाओं का वृद्धि प्रवर्तक *(ग्रोथ प्रमोटर)* के रूप में प्रयोग सामान्य बात है। आय में वृद्धि तथा आहार संबंधी आदतों में बदलाव के कारण पशु प्रोटीन की माँग बढ़ी है। इस माँग के कारण एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग में तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है तथा भारत 2030 तक खाद्य-पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा।
- **दवा उद्योग द्वारा प्रदूषण:** ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सम्पूर्ण विश्व में बिकने वाली एंटीबायोटिक दवाओं में से 80 प्रतिशत दवाओं का निर्माण भारत तथा चीन में होता है। एंटीबायोटिक विनिर्माण इकाइयों से उत्सर्जित प्रवाह में अत्यधिक मात्रा में एंटीबायोटिक होते हैं, जिससे भारत की नदियाँ तथा झीलें प्रदूषित हो जाती हैं।
- **स्वच्छता का अभाव :** मलजल का एक बड़ा हिस्सा अशोधित रूप में जलनिकायों में प्रवाहित कर दिया जाता है जिससे नदियाँ एंटीबायोटिक अवशिष्ट तथा एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी जीवों से दूषित हो जाती हैं।
- **स्वास्थ्यसेवा में संक्रमण नियंत्रण सुविधाएँ (Infection Control Facilities):** भारतीय अस्पतालों में विभिन्न स्वास्थ्य-सेवा सम्बन्धी संक्रमण (*हेल्थकेयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन्स:* HAIs) 11% से 83% तक हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर HAI केवल 7% से 12% तक हैं।

सरकार की नीतियाँ/पहलें

- **AMR की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय नीति 2011:** इस नीति में मानव तथा पशुओं हेतु चिकित्सकीय उपयोग के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के नियामक प्रावधानों को लागू करने के साथ ही एंटीबायोटिक प्रतिरोध की निगरानी के लिए एक अस्पताल आधारित निरीक्षण प्रणाली की भी परिकल्पना की गयी है।
- *ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल,*1945 को 2013 में संशोधित करके एक नई अनुसूची H1 को सम्मिलित किया गया है ताकि इन दवाओं की बिक्री पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
- **भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)** ने मछली और शहद जैसे खाद्य उत्पादों में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को सीमित करने के लिये निश्चित दिशा-निर्देशों को निर्धारित किया है।
- **एंटीबायोटिक दवाओं पर रेड लाइन अभियान, 2016** को सामान्य जनता द्वारा स्व-उपचार में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को सीमित करने एवं इन दवाओं के तर्कसंगत प्रयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रारंभ किया गया था।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017** AMR के विरुद्ध एक समग्र रूपरेखा तैयार करती है।
- ***नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस* (NAP-AMR) 2017** द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और पशुधन से जुड़ी कई सरकारी एजेंसियों को समन्वित कार्य सौंपे गए हैं ताकि प्रिस्क्रिप्शन कार्यप्रणाली एवं उपभोक्ता व्यवहार को परिवर्तित कर, संक्रमण नियंत्रण और एंटीमाइक्रोबियल निगरानी को बढ़ाया जा सके।
    - NAP-AMR के रणनीतिक उद्देश्य WHO के *ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन AMR (GAP-AMR)* के अनुरूप हैं।
    - NAP-AMR के अंतर्गत निम्नलिखित छः रणनीतिक प्राथमिकताओं की पहचान की गयी है:

जागरुकता में वृद्धि	निगरानी के माध्यम से ज्ञान और प्रमाणों में वृद्धि	एंटीमाइक्रोबियल कारकों का अनुकूलतम उपयोग
निवेश, अनुसंधान और नवाचारों को प्रोत्साहन	AMR की मामलों में कमी लाना	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से AMR से निपटने हेतु सशक्त नेतृत्व

आगे की राह

- विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को एक दूसरे से पृथक दृष्टिकोण से कार्य करने के बजाय संयुक्त रूप से अधिक संरेखित और एकीकृत प्रयास करने चाहिए।
- AMR में कई हितधारक जैसे फार्मास्युटिकल कंपनियाँ, चिकित्सक, रोगी आदि सम्मिलित हैं। अतः, अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिये सभी हितधारकों को साथ लेकर व्यापक प्रयास करने होंगे।

6.3. आदित्य L1

(Aditya L1)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- भारत ने 2019 में अपने प्रथम सौर अभियान आदित्य-L1 के प्रक्षेपण के लिए आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण कर ली हैं।

आदित्य-L1 के बारे में

- आदित्य-L1 को अंतरिक्ष में L1 *लेग्रांजी पॉइंट* नामक प्रेक्षण बिंदु के आस-पास *हैलो ऑर्बिट* में स्थापित किया जाएगा।
- L1 पॉइंट पर अवस्थिति का लाभ यह होता है कि यहाँ से बिना किसी आच्छादन/ग्रहण के निरंतर सूर्य का प्रेक्षण किया जा सकता है।
- मिशन में ***विज़िबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (VLEC)*** सहित सात पेलोड होंगे। **VLEC** इसका मुख्य पेलोड है।

- **हैलो ऑर्बिट:** यह एक नियतकालिक (periodic), *थ्री डायमेंशनल ऑर्बिट* है जो एक त्रि-पिंड प्रणाली (*थ्री बॉडी सिस्टम*) में L1, L2 और L3 *लेग्रांजी पॉइंट* के निकट स्थित है।
- **लेग्रांजी पॉइंट:** यह वह बिंदु है जहाँ दो विशाल पिंडों का संयुक्त गुरुत्वीय बल तीसरे अपेक्षाकृत छोटे पिंड पर लगने वाले अपकेंद्री बल के समान होता है। एक द्विपिंड प्रणाली *(टू बॉडी सिस्टम)* में इस प्रकार के लगभग 5 बिंदु होते हैं।
- **कोरोना:** *डिस्क (फोटोस्फीयर)* के ऊपर हज़ारों किलोमीटर तक विस्तृत सूर्य की बाह्य परतों को *कोरोना* कहा जाता है। इसका तापमान दस लाख डिग्री केल्विन से भी अधिक होता है जो सोलर डिस्क तापमान (6000K) से कहीं अधिक है।

- आदित्य L1 सूर्य के प्रभामंडल या कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह है।
- आदित्य L1 से यह अध्ययन करने में सहायता प्राप्त होगी कि *कोरोना* का तापमान *फोटोस्फीयर* (जो अपेक्षाकृत अधिक भीतरी स्तर है) के तापमान से अधिक क्यों होता है।
- यह उन पहलुओं का भी अध्ययन करेगा, जो अंतरिक्ष में मौसम (*स्पेसवेदर*), सौर पवन आयनों (ions) की उत्पत्ति, *कोरोनल मास इजेक्शन* के प्रति उनकी प्रतिक्रिया तथा *हेलिओस्फेयर* (सूर्य के चारों ओर प्लूटो तक विस्तृत क्षेत्र) में इनके वितरण आदि को प्रभावित करते हैं।

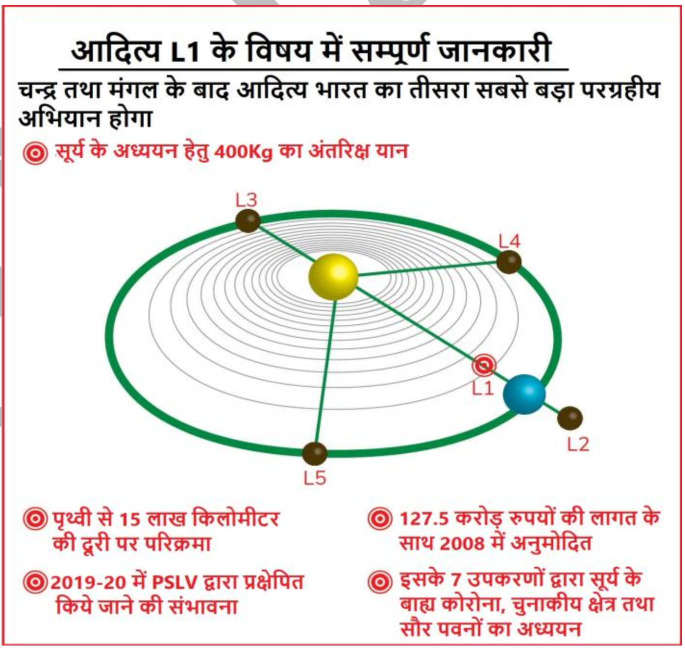

6.4. प्राचीनतम सर्पिल आकाशगंगा की खोज

(Most Ancient Spiral Galaxy Found)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में प्राचीनतम सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 11 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी।

गुरुत्वीय लेंस *(ग्रेविटेशनल लेन्सेज़)*

यह एक परिघटना है जिसमें किसी भारी द्रव्यमान वाले पिंड (जैसे- कोई आकाशगंगा अथवा आकाशगंगाओं का समूह) के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पिंड से दूर स्थित किसी अन्य पिंड से आने वाले प्रकाश को मोड़ कर उसका विस्तार कर दिया जाता है।

इस सन्दर्भ में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- इसकी खोज *ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनीवर्सिटी (ANU)* एवं *स्विनबर्न यूनीवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी* के शोधकर्ताओं द्वारा की गयी। इसके लिए शोधकर्ताओं द्वारा *नियर-इन्फ्रारेड इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ* (NIFS) को गुरुत्वीय लेंसिंग के साथ संयुक्त करने वाली एक तकनीक का प्रयोग किया गया था।
- A1689B11 नामक आकाशगंगा की उत्पत्ति लगभग 2.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, तब ब्रह्मांड की आयु वर्तमान आयु की 1/5 थी।
- सर्पिल आकाशगंगा में, तारे, गैस और धूल सर्पिलाकार रूप में एकत्रित होते हैं, जो आकाशगंगा के केंद्र से बाहर की ओर फैले हुए होते हैं।
- सर्पिल आकाशगंगाएँ ब्रह्मांड के निर्माण के प्रारंभिक चरणों में अत्यधिक दुर्लभ हैं। इस खोज से यह जानकारी मिलेगी कि आकाशगंगाएँ कैसे अत्यधिक अव्यवस्थित तथा अशांत *डिस्क* से हमारी आकाश गंगा *मिल्की वे* के समान सुस्थिर एवं शांत *डिस्क* में परिवर्तित हुईं।

VISION IAS

6.5. नए परजीवी पादप की खोज

(New Parasitic Plant Discovered)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने परजीवी पादप की एक नई प्रजाति की खोज की है और नागा जनजाति कोन्याक के नाम पर इसका नाम *ग्लीडोविया कोन्याकियानोरम* (*Gleadovia konyakianorum*) रखा है।

परजीवी (पैरासाइट्स)

- परजीवी वो जीव हैं जो अन्य जीवों पर या उनके अंदर निवास करते हैं तथा मेजबान जीव से पोषक तत्व प्राप्त कर जीवित रहते हैं।

परजीवियों के प्रकार:

- ***होलोपैरासाइट-*** वे जीव जो अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए पूर्णरूपेण अपने होस्ट या मेजबान जीव पर निर्भर करते हैं।
- ***हेमिपैरासाइट-*** ये परजीवी होने के साथ-साथ प्रकाश संश्लेषण करने में भी सक्षम होते हैं।

नए पादप के बारे में

- यह समुद्र तल से 1500-1600 मी. की ऊँचाई पर स्थित **नागालैंड के अर्द्ध सदाबहार वनों** में पाया गया है।
- इसके पत्ते **पीले रंग** के तथा **फूल सफेद** होते हैं। यह 10 सेमी. की ऊँचाई तक बढ़ता है।
- यह एक *होलोपैरासाइट* है, जिसमें पर्णहरित (*क्लोरोफिल*) तो नहीं पाए जाते, किन्तु एक सुविकसित संवहन प्रणाली *(वैस्कुलर सिस्टम)* विद्यमान होती है।
- यह ***हौस्टोरियम*** (एक विशेष संरचना जिसके माध्यम से परजीवी स्वयं को मेज़बान पौधे के ऊतकों से संलग्न कर पोषण प्राप्त करता है) की सहायता से नदी के किनारे विकसित होने वाले कुरिंजी *(स्ट्रॉबिलैंथिस)* पौधों से पोषण प्राप्त करता है।
- वृक्षों की अवैध कटाई के कारण इन परजीवी पौधों के **पर्यावास का विनाश** इनकी प्रजातियों के लिए मुख्य खतरा है।
- *इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन* ने इसकी पहचान *डेटा डेफिशियेंट (अर्थात जिसके विषय में पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध न हो)* के रूप में की है क्योंकि यह प्रजाति कहीं और नहीं पायी गयी।
- *ग्लीडोविया* (***Gleadovia***) वंश की अन्य तीन प्रजातियाँ मणिपुर, उत्तराखंड और चीन में पायी जाती हैं।

Register @ www.visionias.in/opentest
Besides appearing for All India Open Tests you can also attempt previous year's UPSC Civil Services Prelims papers on VisionIAS Open Test Platform

7. सामजिक मुद्दे

(SOCIAL)

7.1. बाल यौन शोषण के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देश

(WHO Guidelines on Responding to Child Sex Abuse)

बाल यौन शोषण (CSA) क्या है?

बाल यौन शोषण रोकथाम पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श, 1999 के अनुसार, "बाल यौन शोषण का अर्थ किसी बच्चे के ऐसी यौन गतिविधि में संलिप्त होने से है;

- जिसके प्रति उसमें पूरी समझ विकसित नहीं हुई है,अथवा
- जिसके प्रति वह सूचित सहमति देने में असमर्थ है, या
- जिसके लिए बच्चा/बच्ची अपनी विकासात्मक अवस्था के अनुसार तैयार नहीं है तथा सहमति प्रदान नहीं कर सकता/सकती, अथवा
- जो कानूनों या सामाजिक वर्जनाओं का उल्लंघन करती है।"

सुर्खियों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में यौन शोषण का सामना करने वाले बच्चों और किशोरों से सम्बंधित चुनौतियों से निपटने हेतु नैदानिक दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

दिशा-निर्देशों के विषय में

- इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत **अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सम्बन्ध में कुछ अनुशंसाएँ प्रदान की** गयी हैं क्योंकि ये यौन शोषण से पीड़ित व्यक्तियों के संपर्क में सबसे पहले आते हैं। इसके अतिरिक्त ये ही सर्वप्रथम निदान एवं उपचार के दौरान यौन शोषण की पहचान कर सकते हैं।
- ये **अनुशंसाएँ** बच्चे द्वारा किए गए प्रकटीकरण, चिकित्सा रिकॉर्ड प्राप्त करने एवं शारीरिक परीक्षणों तथा फोरेंसिक जाँच से सम्बंधित हैं। इसके साथ ही इनके तहत जांचों का प्रलेखन, HIV संक्रमण की जानकारी होने पर निवारक उपचार की प्रस्तुति एवं गर्भावस्था की रोकथाम भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त ये अनुशंसाएँ यौन संचारित रोगों तथा मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मध्यस्थता के सन्दर्भ में भी दिशा-निर्देश प्रस्तुत करती हैं।
- इनके अंतर्गत यह रेखांकित किया गया है कि बाल यौन-शोषण के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक प्रभाव पड़ते हैं।
- ये दिशा-निर्देश इसलिए भी महत्त्वपूर्ण हैं ताकि परीक्षण के दौरान की जाने वाली ऐसी विभिन्न त्रुटियों में कमी लायी जा सके जिनसे पीड़ित को पुनः मानसिक आघात पहुँचता है।
- इन दिशा-निर्देशों में बाल दुराचार पुनरावृत्ति को रोकने से सम्बंधित अनुशंसाएँ भी प्रदान की गयी हैं।

भारत में बाल यौन शोषण (CSA) कानून

- भारत सरकार द्वारा 1992 में यूनिसेफ के **बाल अधिकारों पर हुए अभिसमय (कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड)** को अभिस्वीकृति प्रदान की गयी थी।
- 2012 से पहले तक भारत में बच्चों के प्रति किये अपराधों पर कोई समुचित विधान नहीं था। अतः ऐसे मामलों में निर्णय भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354, 375, 377 तथा 509 के अधीन किया जाता रहा है।
- अंततः वर्ष 2012 में संसद द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के यौन शोषण पीड़ितों हेतु **लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम (Protection of Children against Sexual Offences Act :POCSO), 2012** पारित किया गया।
- बच्चों को प्रभावित करने वाले पॉर्नोग्राफ़ी के मुद्दे के सन्दर्भ में इससे पहले तक **युवा जन (हानिकारक प्रकाशन) अधिनियम, 1956** का पालन किया जाता था।

POCSO के विषय में

- यह बच्चों को यौन आक्रमण, यौन उत्पीड़न तथा पॉर्नोग्राफी के अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है। इसके द्वारा इस प्रकार के अपराधों एवं उनसे संबंधित या आनुषंगिक मामलों हेतु **विशेष न्यायालयों की स्थापना** का प्रावधान भी किया जाता है।
- यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को 'बालक या बच्चा (Child)' घोषित करता है तथा 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन आक्रमण, यौन उत्पीड़न और अश्लीलता के अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है।
- इसके अंतर्गत पहली बार **स्पर्श एवं गैर-स्पर्श व्यवहार** (उदाहरण- बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें लेने) के पहलुओं को यौन-अपराधों की परिधि में समाविष्ट किया गया है।
- इसमें अपराधों की रिपोर्टिंग, साक्ष्यों का अभिलेखीकरण तथा जाँच एवं ट्रायल हेतु ऐसी प्रक्रियाओं को समाविष्ट किया गया है जो बच्चे के अनुकूल हों।

VISION IAS

- **अपराध करने के प्रयास** को भी दंड हेतु एक आधार माना गया है। इसके लिए अपराध हेतु निर्धारित दण्ड के आधे दण्ड तक का प्रावधान किया गया है।
- यह अपराध हेतु उकसाने के लिए भी दण्ड का प्रावधान करता है, जो अपराध करने पर मिलने वाले दंड के समान होगा। इसके साथ ही इसके तहत यौन प्रयोजनों हेतु बच्चों के दुर्व्यापार को भी समाविष्ट किया जाता है।
- POCSO के तहत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट, एग्रिवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट, सेक्सुअल असाल्ट तथा एग्रिवेटेड सेक्सुअल असाल्ट जैसे जघन्य अपराधों में अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व आरोपी पर है।
- मीडिया को विशेष न्यायालय की अनुमति के बिना बच्चे की पहचान का प्रकटीकरण करने से प्रतिबंधित किया गया है।

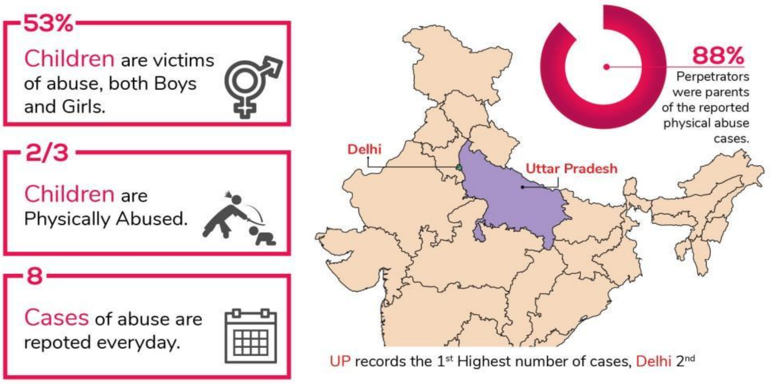

बाल यौन शोषण आँकड़े

- 1993 से 2005-06 के मध्य बाल यौन शोषण की चिह्नित घटनाओं की संख्या में 47% की कमी आई है।
- इसका प्रमुख कारण यह है कि अब तक केवल 38% यौन शोषितों ने ही इस तथ्य को प्रकट किया है कि उनके साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ है।
- प्रकाश में आने वाले सभी यौन आक्रमणों (वयस्कों पर हुए यौन आक्रमणों सहित) में से लगभग 70% 17 वर्ष की आयु के किशोरों और उससे कम आयु के बच्चों पर हुए हैं।
- यौन शोषण के शिकार बच्चों में से लगभग 90% अपने साथ दुर्व्यवहार करने वाले से परिचित होते हैं। यौन शोषण के शिकार केवल 10% बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ अपरिचितों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है।
- यौन शोषण के शिकार बच्चों में से लगभग 30% के साथ परिवार के सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है।

निष्कर्ष

- इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से उन भावनात्मक और अन्य पहलुओं को सम्बोधित किया गया है जिन पर सामान्यतः देश में लागू विभिन्न विधानों द्वारा पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। इन दिशा निर्देशों का मूल **मानवाधिकार मानकों और नैतिक सिद्धांतों में निहित है।**
- इसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य तथा कल्याण में सहयोग करेंगे । इसके अतिरिक्त सदस्य राज्यों से यह भी अपेक्षित है कि वे महिलाओं एवं बालिकाओं तथा बच्चों के विरुद्ध हिंसा के प्रति स्वास्थ्य प्रणालियों की प्रतिक्रिया को सुदृढ़ किए जाने हेतु मई 2016 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा समर्थित **वैश्विक कार्य योजना** का अनुपालन करेंगे।

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन

इस कन्वेंशन को 1990 में कार्यान्वित किया गया। इस कन्वेंशन में सभी भागीदार राष्ट्रों द्वारा बच्चों के सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने हेतु अनुपालन संबंघी मानकों का समुच्चय निर्धारित किया गया है।

कन्वेंशन के भागीदार राष्ट्रों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों को रोकने हेतु यथासंभव उपयुक्त उपाय किया जाना आवश्यक है—

- किसी भी गैरकानूनी यौन गतिविधि में संलग्न होने के लिए किसी बच्चे को प्रलोभन देना या विवश करना;
- वेश्यावृत्ति या अन्य गैरकानूनी यौन प्रथाओं में बच्चों के शोषणकारी उपयोग;
- अश्लील प्रदर्शन और सामग्रियों में बच्चों के शोषणकारी उपयोग।

7.2. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2017

(Global Gender Gap Report 2017)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, वर्ल्ड इकनोमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की गई।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट

- **इस रिपोर्ट** का प्रारम्भ 2006 में वर्ल्ड इकनोमिक फोरम द्वारा किया गया। इसकी परिकल्पना निम्नलिखित दो उद्देश्यों के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में की गयी है-
  - लिंग आधारित असमानताओं के परिमाण को ज्ञात करना ,एवं
  - समय के साथ उनके सुधार में होने वाली प्रगति की जानकारी प्राप्त करना।

लैंगिक समता

आर्थिक रूप से -

- विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है कि लैंगिक समानता में सुधार के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण आर्थिक लाभांश प्राप्त हो सकते हैं। ये आर्थिक

लाभांश अलग-अलग अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति तथा उनके समक्ष व्याप्त विशिष्ट चुनौतियों के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं।

- श्रम बाजार एवं शिक्षा कार्यक्रमों में आम सार्वजनिक निवेश की तुलना में लक्षित लैंगिक समानता संवर्धन का विशेष रूप से GDP पर मजबूत प्रभाव पड़ा है।
- इसके अतिरिक्त, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देशों ने अपने लैंगिक अंतर को कम कर विकास को बढ़ावा देने तथा राष्ट्र की प्रतिभा को सही दिशा में परिनियोजित करने में सफलता प्राप्त की है।

सामाजिक रूप से -

- शिक्षा में निवेश के समान ही स्वास्थ्य, विशेष रूप से मातृत्व, नवजात और बाल स्वास्थ्य, पर किए गए निवेश के महत्वपूर्ण गुणक (multiplier) प्रभाव प्राप्त होते हैं।

राजनीतिक रूप से-

- महिलाओं द्वारा समर्थित, प्राथमिकता प्राप्त एवं सम्बोधित किए जाने वाले मुद्दे, पारिवारिक जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यापक सामाजिक प्रभाव डालते हैं।
- सार्वजनिक जीवन में उनकी संलग्नता संस्थाओं में अधिक विश्वसनीयता तथा लोकतांत्रिक परिणामों में वृद्धि करने में सहायक होगी।

- जेंडर गैप इंडेक्स 2017 ने **आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा एवं राजनीतिक सशक्तिकरण के** चार आयामों के रूप में 144 देशों में हो रहे विकास को सम्मिलित किया है।
- यह सूचकाक निम्नलिखित अवधारणाओं का उपयोग कर विकसित किया गया है:
    - **अंतराल बनाम स्तर–** यह उपलब्ध संसाधनों के वास्तविक स्तरों के स्थान पर देशों में उपलब्ध संसाधनों एवं अवसरों तक पहुंच में लैंगिक अंतराल का मापन करता है। इस प्रकार इस सूचकांक से देशों के विकासात्मक स्तरों के बजाय लैंगिक अंतराल की जानकारी प्राप्त होती है।
    - **परिणाम बनाम पहल–** यह पुरुषों और महिलाओं के लिए विद्यमान पहलों या नीतिगत उपायों पर विचार करने के बजाय परिणामों का मूल्यांकन करता है।
    - **लैंगिक समानता बनाम महिला सशक्तिकरण–** यह रिपोर्ट महिला सशक्तिकरण के व्यापक मुद्दों के स्थान पर अपना ध्यान केवल पुरुषों और महिलाओं के मध्य अंतराल को कम करने पर केन्द्रित करती है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में 31.7% की तुलना में वर्तमान में लगभग 32% लैंगिक अंतराल को समाप्त किया जाना अभी शेष है।
- रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान रुझानों के अनुसार 109 देशों में समग्र लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में लगभग 100 वर्षों का समय लग सकता है। किन्तु यदि आर्थिक लैंगिक अंतराल एवं राजनीतिक भागीदारी में अंतराल इसी स्तर पर विद्यमान रहे तो यह प्रक्रिया और भी लम्बी खिंच सकती है।
- 2017 की रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह विभिन्न **उद्योग प्रतिभा पूल और व्यवसाय** के आधार पर लिंग अंतराल प्रतिरूप का विश्लेषण करती है। इसने पाया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुरुषों का प्रतिनिधित्व कम है जबकि इंजीनियरिंग, विनिर्माण, निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में महिलाओं को प्रतिनिधित्व कम है।
- रिपोर्ट के निष्कर्ष इस तथ्य को भी इंगित करते हैं कि **सकल राष्ट्रीय आय और लैंगिक समता** में सीधा संबंध है। हालाँकि यह रिपोर्ट इसे प्रदर्शित करने हेतु प्रमाण प्राप्त करने में विफल रही है।

भारत में लैंगिक अंतराल

- भारत अपने स्थान से 21 स्थान नीचे खिसक कर 108 वें स्थान पर आ गया है और बांग्लादेश (47) एवं चीन (100) से भी पीछे है।
- भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियाँ निम्नलिखित दो क्षेत्रों में व्याप्त हैं-
    - **आर्थिक भागीदारी और अवसर के क्षेत्र में** जहाँ इसका स्थान 139वां है।
    - **स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के क्षेत्र में जहां भारत** का स्थान 141वां है।
- भारत की रैंकिंग में गिरावट का मुख्य कारण **राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण क्षेत्र** के अंतर्गत इसका सुस्त प्रदर्शन है।
- महिलाओं की कम भागीदारी एवं साथ ही पुरुषों की तुलना में कम वेतन (12% पुरुषों की तुलना में 66% महिलाएँ अवैतनिक कार्य करती हैं) के कारण कार्यस्थल पर लिंग अंतराल स्पष्ट है।
- हालांकि, भारत ने प्राथमिक और माध्यमिक एवं साथ ही तृतीयक शिक्षा के क्षेत्र में लिंग अंतराल को सफलतापूर्वक कम किया है।

7.3. इंडिया स्टेट लेवल डिज़ीज़ बर्डन रिपोर्ट

(India State Level Disease Burden Report)

विकलांगता- समायोजित जीवन वर्ष (DALYs)

- किसी कष्ट से पीड़ित होने एवं असमय मृत्यु के कारण स्वस्थ जीवन वर्षों की हानि।
- इसमें दो अवयव शामिल हैं: जीवन के नष्ट हुए वर्षों की संख्या (YLL) एवं विकलांगता से ग्रसित होकर जिए गए वर्षों की संख्या (YLD)।

VISION IAS

- केवल मृत्यु के कारणों के स्थान पर, विकलांगता- समायोजित जीवन वर्ष (DALYs) निम्नस्तरीय स्वास्थ्य के मुख्य कारणों का अधिक सटीक चित्रण करते हैं।

सुर्खियों में क्यों?

इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन रिपोर्ट का प्रकाशन ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिज़ीज़ स्टडी, 2016 के एक भाग के रूप में किया गया। इसका उद्देश्य 1990 के बाद से राज्य स्तर पर *डिज़ीज़ बर्डन* तथा जोखिम कारकों के रुझान की जानकारी प्रदान करना है।

रिपोर्ट के विषय में

- इसका निर्माण **इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR)** द्वारा **पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एवं इवैल्युएशन (IHME) के साथ** मिलकर किया गया।
- इस अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है:
  - राज्यों के स्वास्थ्य बजट योजना के निर्माण में।
  - राज्यों के मध्य उपस्थित विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य विशिष्ट मध्यस्थता सहयोग की प्राथमिकता के निर्धारण में।
  - प्रत्येक राज्य के स्वास्थ्य संबंधी संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) की निगरानी हेतु।
  - विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत 'जनसंख्या स्वास्थ्य' के अनुमान हेतु।
  - डेटा-चालित एवं विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य नियोजन फ्रेमवर्क निर्मित करने हेतु।
  - विकलांगता-समायोजित जीवन काल (DALY) का उपयोग कर *सबनेशनल* ***डिज़ीज़ बर्डेन*** का पता लगाने में।

डिज़ीज़ बर्डेन-किसी स्वास्थ्य समस्या का प्रभाव डिज़ीज़ बर्डेन कहलाता है जिसे वित्तीय लागत, मृत्यु दर, विकार या अन्य संकेतकों द्वारा मापा जाता है। इसे अक्सर गुणवत्ता-समायोजित जीवन काल (Quality Adjusted Life Years:ALY) या विकलांगता-समायोजित जीवनकाल (Disability-Adjusted Life Years:ALYs) के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

स्वास्थ्य संकेतक एवं राज्यों के मध्य असमानताएं

- **जीवन प्रत्याशा:** 1990 के दशक की तुलना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है। यह पुरुषों के लिए 1990 के 58.3 वर्ष से बढ़कर 66.9 वर्ष एवं महिलाओं के लिए 59.7 वर्ष से बढ़कर 70.3 वर्ष हो गई है।
- राज्यों के मध्य असमानता भी देखने को मिली है। 2016 में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा उत्तर प्रदेश में 66.8 वर्ष, जबकि केरल में 78.7 वर्ष थी। इसी प्रकार पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा असम में 63.6 वर्ष, जबकि केरल में 73.8 वर्ष थी।
- **बाल एवं मातृ पोषण:** बाल और मातृ कुपोषण के कारण *डिज़ीज़ बर्डन* कम होकर 15% हो गया है परन्तु अभी भी यह भारत में सबसे बड़ा जोखिम कारक है।
- यह अध्ययन पोषाहार सबंधी पहलों को उच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता को इंगित करता है।

गैर संचारी रोग और महामारियों का संक्रमण

- पिछले 26 वर्षों में रोगों के पैटर्न संचारी, मातृ, नवजात, और पोषण रोगों (CMNNDs) से परिवर्तित होकर गैर संचारी रोगों एवं चोटों/आघातों को समाविष्ट करने वाले हो गए हैं।
- प्रमुख गैर संचारी रोगों में सर्वाधिक डिजीज़ अथवा विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (DALYs) की दर में वृद्धि 1990 से 2016 के दौरान हुई। इस अंतराल में मधुमेह में 80%, एवं स्थानिक-अरक्तता(ischaemic) संबंधी हृदय रोग के मामलों में 34% की वृद्धि देखी गई।

संक्रामक रोगों में गिरावट किन्तु कई राज्यों में इनका प्रसार अभी भी अत्यधिक उच्च

- 1990 के बाद से संक्रामक रोगों के भार(बर्डेनऑफ़ डिज़ीज़) में कमी हुई है, किन्तु अभी भी दस में से पांच रोग इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनमें अतिसारीय रोगों(डायरिया), निम्न श्वसन तंत्र संबंधी संक्रमण(lower respiratory infections), लौह तत्व की कमी सबंधी रक्ताल्पता, समयपूर्व जन्म संबंधी जटिलताएँ, एवं क्षय रोग सम्मिलित हैं।
- इस समूह हेतु समूचे देश के लिए विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (DALY) दरें विकास के समान स्तर वाले विश्व अन्य देशों की तुलना में भारत में 2.5 से 3.5 गुना उच्च थीं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि इस बर्डेनऑफ़ डिज़ीज़ में अत्यधिक कमी की जा सकती है।

राज्यों के मध्य रोगों के भार में हो रही वृद्धि

- सड़क दुर्घटनाओं, आत्महत्याओं आदि के कारण लगने वाली चोटें भारत में चोटों/आघातों के बढ़ते बर्डेनऑफ़ डिज़ीज़ का मुख्य कारण हैं।
- स्वयं को क्षति पहुँचाने संबंधी विकलांगता- समायोजित जीवन वर्ष (DALY) दरें, 2016 में विकास के समान स्तरों पर विद्यमान अन्य देशों की तुलना में भारत में 1.8 गुना उच्च थीं।

असुरक्षित जल और स्वच्छता

- उपर्युक्त के कारण बर्डेन ऑफ़ डिज़ीज़ स्थिति हो रहा है किन्तु 1990 के पश्चात इसमें सुधार होने के बाद भी यह कुल बर्डेन ऑफ़ डिज़ीज़ में 5% का योगदान करती है।

- भारत में असुरक्षित जल और स्वच्छता के कारण बर्डेन ऑफ़ डिज़ीज़ चीन की तुलना में 40 गुना उच्च है।

घरेलू क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार होना तथा बाह्य वायु प्रदूषण की स्थिति का निरंतर बदतर होना।

- **बाह्य वायु प्रदूषण –** 1990 और 2016 के दौरान प्रदूषण का योगदान उच्च रहा है। इसके कारण गैर-संचारी रोगों एवं संक्रामक रोग परस्पर मिश्रित हो गए ।
- **घरेलू वायु प्रदूषण –** खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन का उपयोग कम होने के कारण इसमें उल्लेखनीय कमी आई है। 2016 में घरेलू वायु प्रदूषण, भारत में कुल बर्डेन ऑफ़ डिज़ीज़ के 5% हेतु एवं बाह्य वायु प्रदूषण के 6% हेतु उत्तरदायी था।

हृदय रोग और मधुमेह का बढ़ता जोखिम

- इस समूह के रोगों का योगदान 1990 से 2016 के दौरान 10% से बढ़कर 25% हो गया है।
- इसके अंतर्गत अस्वस्थ आहार, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा, उच्च कोलेस्ट्रॉल एवं मोटापा सम्मिलित हैं, जो मुख्यतः स्थानिक-अरक्तता संबंधी हृदय रोग, हृदयाघात एवं मधुमेह हेतु उत्तरदायी होते हैं।
- हृदय रोगों एवं मधुमेह के बढ़ते बर्डेनऑफ़ डिज़ीज़ हेतु अन्य महत्वपूर्ण कारण तंबाकू का उपयोग है। यह 6% बर्डेनऑफ़ डिज़ीज़ हेतु उत्तरदायी था।
- पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये सभी जोखिम आमतौर पर उच्च पाए जाते हैं।

नीति का निहितार्थ

- भारत में समष्टि स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु की जाने वाली पहलों/हस्तक्षेपों में एक प्रमुख समस्या आवश्यक **अंतर-क्षेत्रीय सहयोग** में अपेक्षाकृत कमी की रही है। स्वास्थ्य पर विभिन्न क्षेत्रों के प्रभाव की बेहतर समझ से देश में समष्टि स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में एवं नीति आयोग की कार्यसूची 2017 में स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विभिन्न लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। ये लक्ष्य **स्वास्थ्य के क्षेत्र में वित्तपोषण को बढ़ाकर और स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन में सुधार लाकर** प्राप्त किए जा सकते हैं।
- मृत्यु कारणों को दर्शाने वाली सुदृढ़ प्रणाली, बेहतर रोग निगरानी, स्वास्थ्य सुविधा संबंधी रिकॉर्ड के बेहतर प्रलेखन और स्वास्थ्य परिणामों को समझने के लिए इन आंकड़ों का उपयोग करके स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।

अन्य निहितार्थों में सम्मिलित हैं —

- **प्रमुख जोखिम कारकों को संबोधित करना –** इसमें बाल और मातृ कुपोषण, असुरक्षित जल और स्वच्छता, वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा हृदय रोग एवं मधुमेह संबंधी जोखिम कारकों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना सम्मिलित है।
- **स्थायी और रोग संबंधी बढ़ती स्थितियों को संबोधित करना -** इसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बर्डेन ऑफ़ डिज़ीज़ के साथ ही चोट/आघात (सड़क दुर्घटनाओं, आत्महत्या आदि के कारण), तपेदिक और अन्य संचारी रोग व गैर-संचारी रोगों को नियंत्रित करना भी सम्मिलित है।

7.4. निजी स्वास्थ्य सेवा

(Private Health Care)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, कर्नाटक विधानसभा में राज्य के निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से **कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक** पारित किया गया।

भारत में निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के समक्ष चुनौतियां

71वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के अनुसार, 2014 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निजी अस्पतालों में **भर्ती किये जाने वाले रोगियों की कुल हिस्सेदारी** क्रमशः 58% और 68% थी। परन्तु इस निजी क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियाँ भी उपस्थित हैं यथा:

- **देखभाल की उच्च लागत की चुनौती:** हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट ऑफ़ इंडिया के अनुसार निजी चिकित्सालयों से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने वाले 75% रोगी अपनी घरेलू आय या जीवन भर की बचत से चिकित्सा बिलों का भुगतान करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 18% रोगियों द्वारा चिकित्सा बिल के भुगतान हेतु निजी ऋणदाताओं से ऋण लिए जाते हैं; जो उच्च स्तरीय निर्धनता हेतु उत्तरदायी है।
- **दवाओं की विभेदकारी कीमतें:** राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NLEM) तथा गैर-NLEM श्रेणी के अंतर्गत आने वाली औषधियों की कीमतें विभेदकारी हैं। ये अस्पष्टता उत्पन्न करती हैं तथा निजी अस्पतालों द्वारा रोगियों के शोषण को बढ़ावा देती हैं।
- **प्रदाताओं के मध्य स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में भिन्नता:** योग्यता एवं करुणा संबंधी व्यवसायिक मानकों के अभाव के कारण, रोगियों की सुरक्षा प्रक्रिया से सम्बंधित पारदर्शिता से समझौता किया जाता हैं।
- **रोगी और चिकित्सक के मध्य आपसी समन्वय का अभाव:** प्रारंभ में शुल्कों और विभिन्न संबंधित प्रक्रियात्मक लागत सम्बन्धी सूचनाओं में कमी के कारण, दोनों पक्षों के मध्य आपसी संबंध प्रभावित होते है। इससे समग्र चिकित्सा प्रक्रिया कमजोर होती है।

VISION IAS

- **चिकित्सीय कानूनी विधियों का विकास**, देश में निजी संस्थानों के उदय के समरूप नहीं रहा है, जो सर्वाधिक उच्च व्यवसायों में कदाचार और भ्रष्टाचार की संभावनाएं उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त अभी भी पूरे देश में **नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम (2010) को** समुचित रूप से लागू किया जाना शेष है।

आगे की राह

- वैश्विक अनुभवों से यह सीख मिलती है कि निजी क्षेत्र केवल तभी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य एवं बेहतर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं, जब सरकार उन्नत गुणवत्ता संबंधी मानदंड निर्धारित करती है। सरकारी क्षेत्रों द्वारा बेहतर मानदंड स्थापित करने में विफल रहने पर, निजी क्षेत्र समुचित रूप से कार्यो का निष्पादन नहीं करते हैं।
- स्वास्थ्य सेवा हेतु बजट में वृद्धि स्वागत योग्य कदम है, परन्तु केवल यह पर्याप्त नहीं है। वास्तव में सभी हितधारकों से सम्बंधित चिंताओं को एकीकृत करने हेतु वर्तमान तंत्र के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।
- **संचालकों द्वारा पारदर्शिता पर बल दिया जाना चाहिए–** अस्पतालों द्वारा मानक उपचार और प्रक्रियाओं से सम्बन्धित दरों को स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, विभिन्न प्रकार के अस्पतालों के लिए मानक दरें निर्धारित होनी चाहिए क्योंकि सभी निजी अस्पताल महंगे शहरों में स्थित नहीं हैं।
- अस्पतालों द्वारा निर्धारित मानक पैकेजों को तथा उनसे विचलन की स्थिति में अस्पतालों द्वारा अतिरिक्त शुल्क वसूल करने के पीछे निहित तर्क का प्रकाशन किया जाना चाहिए। मानक पैकेज से कितने प्रतिशत विचलन हुआ इससे सम्बंधित आंकड़े विनियामक को नियमित रूप से प्राप्त होने चाहिए।
- अंततः, भारतीय चिकित्सा परिषद को रोगियों के हितों को संरक्षित तथा चिकित्सकों को विनियमित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010

- **उद्देश्य:** सुविधाओं एवं सेवाओं के न्यूनतम मानक निर्धारित करने के दृष्टिकोण के साथ नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और विनियमन का प्रावधान करना।
- **प्रयोज्यता:** सशस्त्र बलों द्वारा चलाए जाने वाले नैदानिक प्रतिष्ठानों को छोड़कर, सभी प्रकार के नैदानिक प्रतिष्ठान इस अधिनियम के दायरे में आते हैं।
- **कार्यान्वयन:** त्रिस्तरीय ढांचे - केंद्रीय परिषद, राज्य परिषद और जिला पंजीकरण प्राधिकरण के माध्यम से।
- **अर्थदण्ड\जुर्माना:** पंजीकरण के बिना नैदानिक प्रतिष्ठान के संचालन की स्थिति में पहले अपराध के लिए 50,000 रुपये, दूसरे अपराध के लिए 2 लाख रुपये तथा अनुवर्ती अपराध के लिए 5 लाख रुपये के अर्थदण्ड का प्रावधान।
- **निगरानी:** यह अधिनियम स्वास्थ्य अधिकारियों को ऐसे अस्पतालों के निरीक्षण करने और उन पर जुर्माना लगाने अथवा उनके लाइसेंस निरस्त करने की अनुमति देता है जो अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणों एवं प्रक्रियाओं हेतु सलाह देकर अथवा ओवर चार्जिंग के माध्यम से रोगियों से अधिक फीस वसूलते पाए जाते हैं ।

7.5. भारत युवा विकास सूचकांक एवं रिपोर्ट 2017

(India Youth Development Index And Report 2017)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा भारत युवा विकास सूचकांक एवं रिपोर्ट 2017 जारी की गयी।

वैश्विक युवा सूचकांक(ग्लोबल यूथ इंडेक्स)

- इसे **राष्ट्रमंडल सचिवालय** द्वारा पांच क्षेत्रों- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नागरिक भागीदारी व राजनीतिक भागीदारी के व्यापक पैमाने का उपयोग कर विकसित किया गया है।
- यह नीति-निर्माताओं को **युवाओं की आवश्यकताओं तथा अवसरों** के संबंध में सुविज्ञ(informed) निर्णय लेने तथा **संधारणीय विकास लक्ष्य** प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है।

भारत युवा विकास सूचकांक, 2017

- इस सूचकांक का निर्माण राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (RGNIYD) द्वारा विभिन्न राज्यों में **युवा विकास संबंधी रुझानों** की निगरानी के उद्देश्य से किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार 'युवा' से आशय 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के दौरान किशोरावस्था और वयस्कता के मध्य संक्रमणकालीन जीवन चरण से है (जैसा कि राष्ट्रमंडल और राष्ट्रीय युवा नीति 2014 द्वारा स्वीकार किया गया है)।
- विभिन्न आयाम जिनके आधार पर YDI 2017 निर्मित किया गया है वे निम्नलिखित हैं:
  - शिक्षा
  - स्वास्थ्य
  - राजनीतिक प्रतिभागिता

VISION IAS

- नागरिक सहभागिता
- कार्य
- सामाजिक समावेश (IYDI 2017 में जोड़ा गया नवीन आयाम)

YDI-2017 की मुख्य विशेषताएँ

- भारत में 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु तथा 50% जनसँख्या 25 वर्ष से कम आयु की है। वर्ष 2020 तक 29 वर्षों की औसत आयु के साथ भारत विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश बन जायेगा।
- राज्यों में व्यापक भिन्नता के साथ राष्ट्रीय YDI मान 0.569 है। उदाहरण के लिए, बिहार (0.466) तथा हिमाचल प्रदेश (0.689) में उपस्थित विभिन्नता।
- पुरुषों के लिए YDI स्कोर 0.625 तथा महिलाओं के लिए 0.535 है।
- **युवा लैंगिक विकास सूचकांक का स्कोर** 0.856 है।
- **युवा शिक्षा सूचकांक** 0.513 पर स्थित है।
- **युवा स्वास्थ्य सूचकांक** का स्कोर **0.632** है।
- **युवा कार्य सूचकांक और युवा नागरिक सहभागिता स्कोर** क्रमशः 0.572 और 0.191 हैं।
- **राष्ट्रीय स्तर पर युवा राजनीतिक प्रतिभागिता सूचकांक का स्कोर** 0.436 है, जिसका अर्थ है कि युवाओं के राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय होने की संभावना है।
- **युवा सामाजिक समावेश सूचकांक** 0.785 है।

राष्ट्रीय युवा नीति 2014

- इसका निर्माण युवाओं को अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाने तथा उनके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत को उपयुक्त स्थान हासिल करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से किया गया था।
- इसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, उद्यमिता, स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली, खेलकूद, सामाजिक मूल्यों का संवर्धन, सामुदायिक भागीदारी, राजनीति और शासन में भागीदारी, युवा संलग्नता, समावेश तथा सामाजिक न्याय सम्मिलित हैं।

युवाओं को पूँजी में परिणत करने के उपाय

सामूहिक शिक्षा के प्रसार से अमूल्य युवा संसाधनों में वृद्धि हुई है। इसे अवसर अंतराल में कमी लाकर तथा उनकी संभावित क्षमता का दोहन करके पूँजी में परिणत किया जा सकता है। इसके लिए निम्न उपाय किये जा सकते हैं-

- सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु अंतर-क्षेत्रीय और अंत:क्षेत्रीय विविधता से उत्पन्न होने वाले विभिन्न सामाजिक खंडों और उप श्रेणियों के युवाओं का विकास सुनिश्चित करके।
- विकास सम्बन्धी एजेंडा, सार्वजनिक नीतियों और योजना निर्माण में बहु-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाकर।
- ऐसे कार्यक्रम और नीतियां अपनाकर जिनका केंद्रबिंदु युवा हों।
- SDG 8 प्राप्त करने हेतु प्रगतिशील युवा विकास को बढ़ावा देकर।

SDG 8- स्थायी, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार एवं सभी के लिए बेहतर कार्य हेतु प्रोत्साहन प्रदान करता है।

7.6. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

(National Rural Drinking Water Programme)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) की निरंतरता तथा पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की है।

सम्बंधित तथ्य

- पुनर्गठन का उद्देश्य योजनाओं की संधारणीयता (कार्यात्मकता) पर अधिक ध्यान देने के साथ इसे **परिणाम-आधारित, प्रतिस्पर्धी और बेहतर निगरानी प्रदान करना** है।
- NRDWP के अंतर्गत **राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (NWQSM)** का वित्त पोषण किया जाएगा।

NWQSM

- इसका प्रारम्भ 2017 में, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 2020 तक देश के जल की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने हेतु किया गया।
- यह मार्च 2021 तक आर्सेनिक, फ्लोराइड, लौह, लवणता तथा नाइट्रेट जैसे प्रमुख भौतिक-रासायनिक प्रदूषकों से प्रभावित बस्तियों हेतु स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
- मिशन ने पेयजल को दूषित घोषित करने हेतु **भारतीय मानक ब्यूरो** के विनिर्देशों को अपनाया है।

VISION IAS

कार्यक्रम के संबंध में

- इसका आरम्भ पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत 2009 में किया गया तथा इसे रणनीतिक योजना 2011-2022 के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
- इसके अंतर्गत सुवाह्यता(portability), पर्याप्तता(adequacy), सुविधा, वहनीयता और समता के संदर्भ में जल उपलब्धता की संधारणीयता सुनिश्चित करने पर बल दिया जाता है।
- यह **केंद्र प्रायोजित योजना** है। इसके तहत केंद्र और राज्यों के मध्य कोष की बराबर की साझेदारी (50:50) की जाती है।
- इसने पेयजलसे सम्बन्धित कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं, यथा:
  - मनुष्यों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन (lpcd) 40 लीटर सुरक्षित पेय जल।
  - मरूस्थल विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में मवेशियों के लिए 30 lpcd अतिरिक्त जल।
  - प्रति 250 व्यक्तियों पर एक हैंड पंप या स्टैंड पोस्ट।
  - पानी का स्रोत बस्ती के अन्दर/मैदानों में 1.6 कि.मी. के भीतर और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 मीटर की ऊंचाई पर विद्यमान होना चाहिए।
- कार्यक्रम के अन्य घटकों में सम्मिलित हैं-
  - पाइपों के माध्यम से जलापूर्ति पर बल, सेवा वितरण के स्तर में वृद्धि, जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों को शामिल करने पर बल।
  - खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित गांवों, सांसद आदर्श ग्राम योजना, एकीकृत कार्य योजना (IAP) के जिलों, पाइप से जलापूर्ति वाली सीमावर्ती चौकियों (BOP) का कवरेज और जल आपूर्ति से सम्बन्धित परिसंपत्तियों के समुचित सञ्चालन एवं प्रबंधन (O&M) हेतु संस्थागत स्थापना।

ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल के लिए चुनौतियां

- **इकॉनमी ऑफ़ स्केल:** आधुनिक जल आपूर्ति प्रणाली पूंजीगहन है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैक एन्ड सपोर्ट अर्थात सहायक सुविधाओं (जैसे कि बिजली, कुशल श्रम आदि) की कमी के कारण यह शहरी इलाकों में अपेक्षाकृत बेहतर कार्य करती है।
- **जनांकिकी:** ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के निम्न घनत्व तथा बिखराव के कारण सरकारों द्वारा सुरक्षित पेयजल की गुणवत्ता में निवेश करना लगभग असंभव हो जाता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला:** पाइपयुक्त जल प्रणाली के अभाव में ग्रामीण जनसंख्या संदूषित भूमिगत जल पर अत्यधिक निर्भर है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला को समय बीतने के साथ जंग, रिसाव और संदूषण की समस्या का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

SDG 6 (2030 तक सभी के लिए सुरक्षित और सस्ते पेयजल तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना) का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि-

- **सामुदायिक भागीदारी और परंपरागत जल आपूर्ति प्रणाली की पुनर्स्थापना** यथा बांस नेटवर्क (मिजोरम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में) सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है।
- वर्षा जल संचयन, कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के माध्यम से ताजा जल की उपलब्धता में वृद्धि अत्यधिक भूजल निकासी पर पड़ने वाले दबाव को स्थानांतरित कर सकती है। इसके फलस्वरूप जल का संदूषण भी कम हो सकता है।

7.7. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना

(Creation of National Testing Agency)

सुर्खियों में क्यों?

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी** (NTA) के गठन की स्वीकृति दे दी है।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में NTA की अनुशंसा की गई थी, परन्तु पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा इसे कभी भी कार्यान्वित नहीं किया गया।
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट 'राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन' (2006-2009) में भी राष्ट्रीय परीक्षा सेवा की स्थापना का उल्लेख किया था।
- अधिकांश विकसित देशों की भांति भारत में भी विशेषज्ञ निकाय की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए, **2017-18 के बजट भाषण** में वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की स्थापना की घोषणा की थी।

विवरण

- इसका गठन उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रवेश परीक्षा का संचालन करने के लिए **भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के अंतर्गत एक उच्च दर्जे के स्वायत और आत्मनिर्भर संस्थान के रूप में किया गया है।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका में शैक्षिक परीक्षण सेवा (ETS) की तर्ज पर समर्पित एक **स्वतंत्र निकाय** होगा।
- उन प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करेगा जिनके आयोजन की ज़िम्मेदारी इसे **किसी भी विभाग या मंत्रालय द्वारा** दी गयी है ।

VISION IAS

विशेषताएं

- आरंभ में यह उन प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करेगा जिन्हें वर्तमान में CBSE द्वारा आयोजित किया जा रहा है। NTA के पूर्णरूपेण तैयार हो जाने के बाद यह अन्य परीक्षाओं का भी क्रमशः आयोजन करने लगेगा।
- प्रवेश परीक्षाएं **ऑनलाइन पद्धति से वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित** की जाएंगी, जिससे अभ्यर्थियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा।
- ग्रामीण छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यह उप-जिला/ जिला स्तर पर अपने केंद्र स्थापित करेगा और जहां तक संभव हो छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- पहले वर्ष में अपना परिचालन आरंभ करने हेतु सरकार द्वारा इसे 25 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा। उसके पश्चात, यह **वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा।**

NTA की आवश्यकता

- **निवेश का उच्च स्तर-** आधुनिक जाँच परीक्षा में IT एवं भौतिक अवसंरचना में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है तथा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय इस मामले में आत्मनिर्भर नहीं हैं ।
- **प्रक्रिया का सरलीकरण-** देश में परीक्षाओं के भिन्न-भिन्न मानकों के कारण छात्रों पर समय एवं धन (परीक्षा शुल्क) का बोझ पड़ता है और प्रत्येक परीक्षा के लिए समय-निर्धारित करने और तैयारी में होने वाला तनाव काफी अधिक रहता है।
- **आकस्मिकता के लिए आवश्यक अंतराल उपलब्ध कराएगा -** चूंकि माध्यमिक स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं एक ही बार आयोजित होती हैं, अत: छात्र को अपना अंक सुधारने का अवसर नहीं मिल पाता। ऐसे में प्रदर्शन को प्रभावित करने में सक्षम किसी भी आकस्मिक या अप्रत्याशित परिस्थिति के समायोजन हेतु कोई अवसर उपलब्ध नहीं रहता।
- **साझी परिसंपत्ति-** एक समर्पित एजेंसी के गठन से *कॉमन पूल* परिसंपत्ति के रूप में मूल्यांकन सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं जिसका प्रयोग अन्य निकाय भी कर सकते हैं।
- **अन्य लाभ-** आशा है कि **NTA** के गठन से CBSE, AICTE और अन्य एजेंसियां प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएंगी और यह छात्रों की अभिवृत्ति, बुद्धिमत्ता और समस्या का समाधान करने की क्षमताओं के मूल्यांकन में उच्च विश्वसनीयता व कठिनाई का एक मानक स्तर लेकर आएगा।

NTA की संरचना

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् द्वारा इसकी **अध्यक्षता** की जाएगी।
- इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ही इसका महानिदेशक होगा जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।
- इसका एक **शासक मंडल (Board of Governors)** होगा जिसमें उपयोगकर्ता संस्थानों के सदस्य सम्मिलित होंगे।
- **महानिदेशक** की सहायता के लिए 9 विशिष्ट निकाय (9 verticals) होंगे जिनकी अध्यक्षता शिक्षाविदों/ विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी।

7.8 महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन

(Mission For Protection And Empowerment For Women)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, मंत्रिमंडल ने **महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन** के विस्तार को अनुमोदित किया गया एवं प्रधान मंत्री महिला शक्ति केंद्र नाम की नई योजना आरम्भ की गई।

महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन

- **उद्देश्य:** भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों के अभिसरण को एक साथ लाकर समग्र तौर पर महिलाओं का सशक्तिकरण करना।
- यह निम्नलिखित हेतु विशेषज्ञ और तकनीकी सहायता प्रदान करता है
  - निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण,
  - स्वास्थ्य और पोषण,
  - जेंडर बजटिंग एवं जेंडर मेनस्ट्रीमिंग (अर्थात मुख्य धारा में लाना),
  - लैंगिक अधिकार, लैंगिक आधार पर की गयी हिंसा एवं कानून का प्रवर्तन,
  - संवेदनशील और सीमांत समूहों का सशक्तिकरण,
  - सामाजिक सशक्तिकरण एवं शिक्षा
  - मीडिया प्रचार एवं समर्थन तथा
  - सूचना प्रौद्योगिकी
- **नोडल एजेंसी**: महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD)
- **क्षेत्र**: इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को राज्य महिला संसाधन केंद्र (SRCWs) के माध्यम से कवर किया जाएगा।
- राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से **कार्यान्वित**।

महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के विषय में

- यह महिलाओं की देखभाल, सुरक्षा और विकास हेतु सामाजिक क्षेत्रक की कल्याणकारी योजना है।

उद्देश्य - (i) घटते बाल लिंगानुपात में सुधार करना

(ii) बालिका शिशुओं की उत्तरजीविता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं

(iii) बालिका शिशुओं शिक्षा सुनिश्चित करना एवं अपनी निहित संभावनाओं को साकार करने हेतु उसे सशक्त बनाना है।

प्रधान मंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK)

- **उद्देश्य: ग्रामीण महिलाओं** को अपने अधिकारों का लाभ उठाने के क्रम में सरकार से संपर्क साधने के लिए **इंटरफेस** प्रदान करना एवं प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण द्वारा उन्हें सशक्त बनाना।
- **प्रधान मंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) की प्रखण्ड स्तरीय पहलें**: इसके अंतर्गत, छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से **115 सबसे पिछड़े जिलों** में **सामुदायिक भागीदारी** की संकल्पना रखी गई है।
- यह छात्र स्वयंसेवकों को राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में भाग लेने एवं पिछड़े जिले में लैंगिक समानता लाने के अवसर प्रदान करेगा।

7.9. वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट

(Global Education Monitoring Report)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट(GEM रिपोर्ट, 2017-18) का द्वितीय संस्करण यूनेस्को (UNESCO) द्वारा जारी किया गया जिसका विषय था-'अकॉउंटबिलटी इन एजुकेशन'(शिक्षा में जवाबदेही)

रिपोर्ट के प्रेक्षण

- दिन प्रतिदिन शिक्षा तक जनसँख्या की पहुँच बढ़ती ही जा रही है। किन्तु साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में आशानुरूप परिणाम नहीं मिल रहे हैं । अतः ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में वितरण एवं गुणवत्ता में व्याप्त खामियां इस विमर्श के केंद्र में आ चुकी हैं।
- इसके साथ-साथ शिक्षा के संकुचित बजट एवं विश्व भर में धन के सही उपयोग पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। इस उदीयमान प्रवृत्ति के कारण विभिन्न देश अब शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के समाधान ढूंढ रहे हैं । जवाबदेही में वृद्धि इस सूची में सबसे ऊपर है।
- समावेशी, समतापरक और बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना प्राय: एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जिसमें सभी कर्ता अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का सम्मिलित प्रयास करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी परिणाम अनेक कर्ताओं द्वारा साझे उत्तरदायित्वों की पूर्ति पर निर्भर हैं। इन उत्तरदायित्वों की पूर्ति की ज़िम्मेदारी केवल किसी एक कर्ता पर नहीं डाली जा सकती।
- इसी प्रकार, यदि कर्ताओं को सक्षम बनाने वाले वातावरण का अभाव है या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वे जरूरी संसाधनों से लैस नहीं हैं, तो जवाबदेही का कोई भी तरीका सफल नहीं हो सकता।
- साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि यदि जवाबदेही द्वारा अधिक समावेशी, समतापरक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली सुनिश्चत करनी है तो उसके लिए उपलब्ध सूचनाओं का विवेकपूर्ण उपयोग करने में सक्षम लचीले तरीकों की आवश्यकता होगी। जवाबदेही को प्रयोजन पूर्ण करने का एक माध्यम समझा जाना चाहिए। इस एक ऐसा ऐसा उपकरण समझा जाना चाहिए जो सतत विकास लक्ष्य-4 के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। यह स्वयं में शिक्षा प्रणालियों लक्ष्य नहीं है।

अनुशंसाएँ

शिक्षा में जवाबदेही सरकारों से आरंभ होती है जिन पर शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने का प्राथमिक दायित्व होता है। यह रिपोर्ट सरकारों के साथ-साथ शिक्षा में अंशधारिता रखने वाले अन्य कर्ताओं द्वारा जवाबदेही की सुदृढ़ प्रणालियों का प्रारूप तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में सहायता देने के लिए निम्नलिखित अनुशंसाएं देती है।

जवाबदेही की सुदृढ़ प्रणालियों का प्रारूप तैयार करना

- सरकारों को शिक्षा के सभी क्षेत्रों के साथ विश्वास व साझी समझ विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण व प्रतिनिधित्वकारी सहभागिता का वातावरण बनाना चाहिए ।
- उन्हें उत्तरदायित्व की स्पष्ट रूपरेखाओं व स्वतंत्र लेखा परीक्षा तंत्रों के माध्यम से विश्वसनीय शिक्षा क्षेत्रक योजनाएं और पारदर्शी बजट विकसित करने चाहिए।
- उन्हें विश्वसनीय और कुशल विनियम एवं निगरानी तंत्र विकसित करने चाहिए तथा मानकों के अनुसार कार्य न होने पर अनुवर्ती कार्रवाइयों और प्रतिबंधों पर अमल करना चाहिए।
- उन्हें ऐसे स्कूल और शिक्षक जवाबदेही तंत्र का प्रारूप तैयार करना चाहिए जो सहायक व रचनात्मक हो तथा दंड आधारित व्यवस्थाओं से दूर रहना चाहिए, विशेषकर ऐसी व्यवस्था जो संकीर्ण कार्य-निष्पादन उपायों पर आधारित है।
- उन्हें लोकतांत्रिक स्वर को व्यक्त करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए तथा साथ ही सूक्ष्म स्तर पर शिक्षा की जाँच करने की मीडिया की स्वतंत्रता का संरक्षण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकारों को स्वतंत्र संस्थाओं की स्थापना को सुगम बनाना चाहिए जहाँ नागरिक अपनी शिकायतें व्यक्त कर सकें।

VISION IAS

जवाबदेही की सुदृढ़ प्रणालियों का कार्यान्वयन

- **सूचना:** निर्णयकर्ताओं को पारदर्शी, प्रासंगिक और समयबद्ध ढंग से आंकड़े उपलब्ध करवाए जाने चाहिएं।
- **संसाधन:** शिक्षा व्यवस्था के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- **क्षमता:** जिम्मेदारियों को पूरा करने हेतु कर्ताओं को आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण से लैस किया जाना चाहिए।

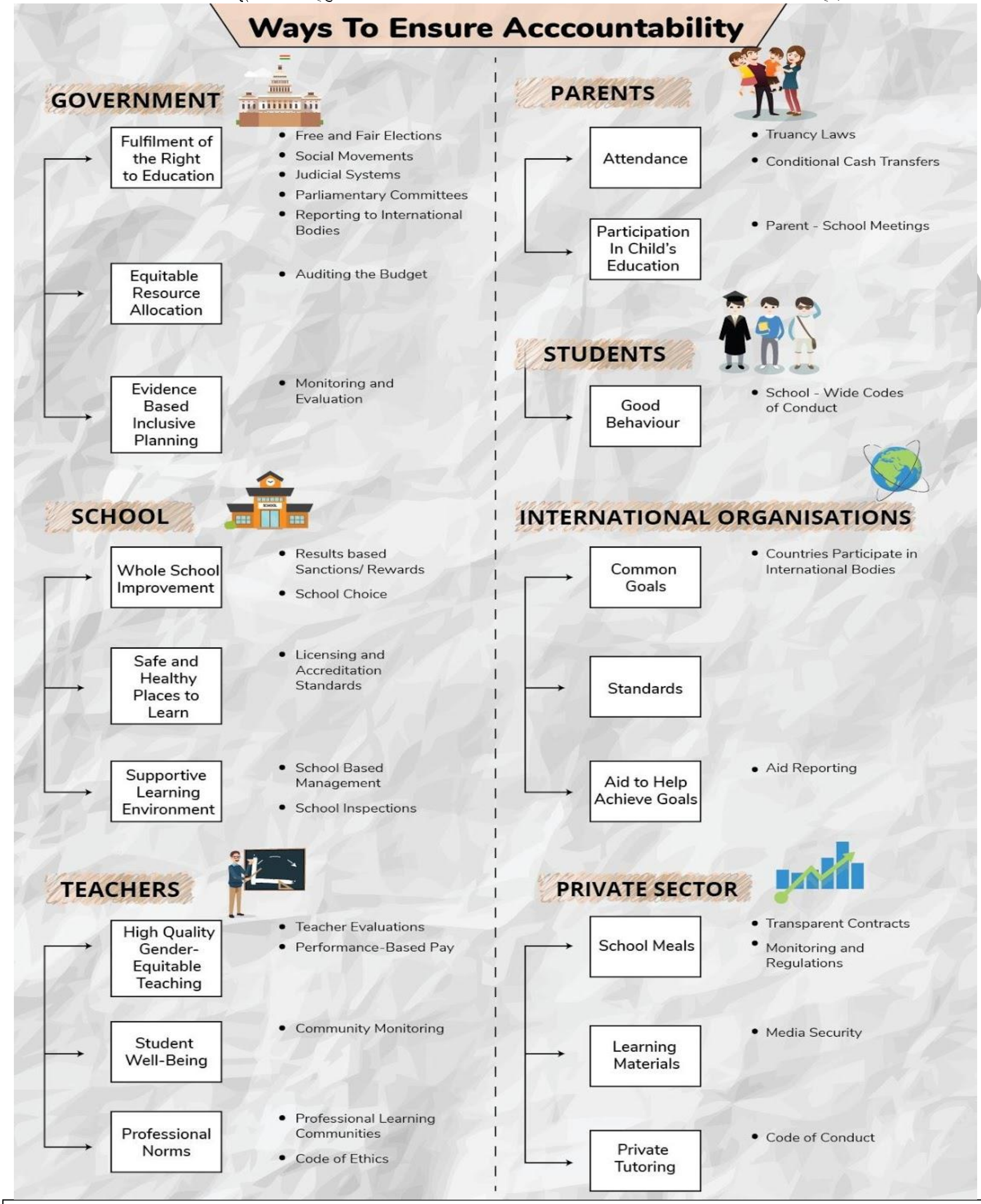

यह रिपोर्ट ऐसे विभिन्न जवाबदेही तंत्रों के बारे में चर्चा करती है जो विशिष्ट संदर्भों में चयनित कर्ताओं के साथ, राजनीतिक तंत्र, कानूनी या विनियामकीय मार्ग, निष्पादन आधारित दृष्टिकोणों, सामाजिक जवाबदेही और व्यावसायिक या आंतरिक जवाबदेही जैसे कुछ निश्चित प्रयोजनों हेतु प्रभावी हो सकते हैं।

हालाँकि, इनमें से कुछ जवाबदेही दृष्टिकोणों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है तथा जिसके कारण अनापेक्षित परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं। उदाहरण के लिए-

- प्रदर्शन आधारित जवाबदेही, आगतों के स्थान पर परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करती हुई प्रतीत होती है और संकीर्ण प्रोत्साहनों का उपयोग करती है। ये प्रोत्साहन प्राय: अनुपालन हेतु विवश करने या व्यवहार में बदलाव हेतु दंड दिए जाने तक सीमित रहे हैं।
- जवाबदेही के प्रति बाजार आधारित दृष्टिकोण शिक्षा को गुणवत्ता व मूल्य के आधार पर विभेदित की जा सकने वाली उपभोक्ता वस्तु समझे जाने पर आधारित है। यह दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धात्मक दबाव उत्पन्न करता है जिससे अभावग्रस्त माता-पिता व स्कूल उपेक्षित रह जाते हैं। इसके फलस्वरूप पृथक्करण में वृद्धि होती है और समावेशी, समतापरक, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हेतु किए जाने वाले प्रयासों की उपेक्षा कर दी जाती है।
- बाह्य रूप से वित्तपोषण वाले दृष्टिकोण के संदर्भ में, ऐसी व्यवस्थाएँ निर्मित की जाती हैं जो अस्थायी कर्ता द्वारा किसी अन्य को जिम्मेदार ठहराने पर निर्भर है। दीर्घकाल में यह व्यवस्था नहीं चल सकती।

निष्कर्ष

शिक्षा एक साझी जिम्मेदारी है जिसकी सतत प्रगति केवल साझे प्रयासों से ही संभव हो सकती है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदारियों का स्पष्ट रेखाओं का होना, यह जानना कि ये रेखाएं कहाँ से टूटी हैं और इसके समाधान के लिए क्या किया जाए - जवाबदेही के इसी अर्थ पर यह वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट केन्द्रित है। रिपोर्ट का निष्कर्ष स्पष्ट है कि जवाबदेही के अभाव में प्रगति बाधित होने का जोखिम बना रहता है जिससे शिक्षा प्रणालियों में हानिकारक प्रथाओं को जड़ें जमा लेने का अवसर मिल जाता है।

7.10. समेकित बाल विकास योजना (ICDS) के अंतर्गत उप योजनाएं

(Sub-Schemes Under ICDS)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने समेकित बाल विकास योजना (ICDS) के अंतर्गत उप- योजनाओं को जारी रखने का अनुमोदन किया है।

समेकित बाल विकास योजना (ICDS)

- यह महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य 0-6 वर्ष आयु समूह के बच्चों का पोषण और स्वास्थ्य स्तर सुधारना एवं बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना है।
- इसे बच्चों के बीच मृत्युदर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने जैसे मामलों में कमी लाने के लिए आरम्भ किया गया था।
- इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताओं का ध्यान रखने में लिए माताओं की क्षमताओं में वृद्धि करना है।
- 2016-17 में सरकार द्वारा कुछ योजनाओं जैसे **आंगनवाड़ी सेवाओं, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, बाल संरक्षण सेवाओं और राष्ट्रीय क्रेच योजना को** युक्तिसंगत बनाया गया था एवं इन्हें उप-योजनाओं के रूप में समेकित बाल विकास योजना (ICDS) के अंतर्गत लाया गया था।
- ये योजनाएं 12 वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से जारी हैं ।

समेकित बाल विकास योजना (ICDS) के अंतर्गत उप-योजनाएँ

- **आंगनवाड़ी सेवाएं**– यह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के समग्र विकास के लिए है।
- **किशोर बालिकाओं हेतु योजना**– इसका उद्देश्य बेहतर पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के माध्यम से उन्हें सुविधा देना, शिक्षित करना और आत्मनिर्भर बनाना है।
- **बाल संरक्षण सेवाएं**– इसका प्रयोजन बाल अपराधियों एवं देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को सुरक्षित परिवेश प्रदान करना एवं सुभेद्यताओं को कम करना है।
- **राष्ट्रीय क्रेच सेवाएं**– इनका प्रयोजन कामकाजी महिलाओं के बच्चों को उनके कार्य समय के दौरान सुरक्षित स्थान प्रदान करना है एवं इस प्रकार उन्हें नौकरी कर पाने में सक्षम बनाना है।

7.11. मास्को घोषणा पत्र

(Moscow Declaration)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, मास्को में एंडिंग ट्यूबरक्यूलॉसिस इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एरा:ए मल्टी सेक्टोरल रेस्पॉन्स (*सतत विकास के युग में क्षय (TB) रोग की समाप्ति: एक बहु-क्षेत्रीय अनुक्रिया*) विषय पर WHO के वैश्विक मंत्रीस्तरीय सम्मलेन का आयोजन किया गया।

मास्को घोषणा पत्र

- सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों (भारत समेत) द्वारा मॉस्को घोषणा-पत्र को अंगीकार किया गया।
- यह घोषणा पत्र, **एसडीजी लक्ष्य 3.3.2** (प्रति 1000 व्यक्तियों पर **TB** जैसी महामारी को समाप्त करना) की प्राप्ति के प्रयासों की दिशा में एक कदम है।
- इसका उद्देश्य 2020 तक **HIV सह-संक्रमण से होने वाली मृत्यु जैसी घटनाओं को समाप्त** करना और **TB एवं गैर-संचारी रोगों पर की जा रही कार्यवाहियों** को एक समन्वित प्रयास का रूप देना है।

VISION IAS

- इसमें **TB** की समस्या से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी रेखांकित किया गया है, जैसे **सतत वित्तपोषण, विज्ञान का अनुकरण, अनुसंधान और विकास तथा एक बहु-क्षेत्रक जवाबदेही ढांचे की स्थापना।**

TB के वैश्विक मामले

- विश्व में संक्रामक बीमारी से होने वाली **मृत्यु के मामले में TB का स्थान सबसे ऊपर** है। आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016 में लगभग 1.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी जिसके गंभीर आर्थिक और सामाजिक परिणाम रहे।
- MDR TB एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बना हुआ है और HIV संक्रमित लोगों में TB मृत्यु का एक प्रमुख कारण है।
- हालांकि एक तथ्य यह भी है कि TB से निपटने संबंधी वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयासों के चलते **वर्ष 2000 से अब तक करीब 53 मिलियन लोगों** को बचाया जा सका और **TB से होने वाली मृत्यु की दर में 37% तक की कमी आई है।**

7.12. हाथीपाँव (एलिफेण्टिएसिस)

(Elephantiasis)

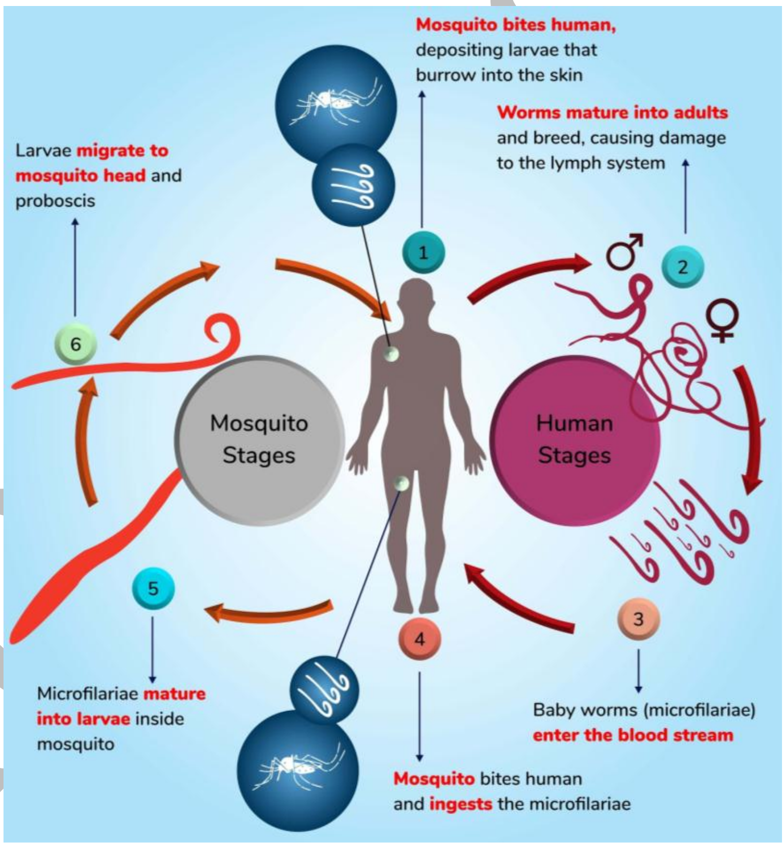

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में यह अनुमान लगाया गया कि सरकार हाथीपाँव (एलिफेण्टिएसिस) का उन्मूलन निर्धारित समय सीमा में नहीं कर पाएगी।

हाथीपाँव अथवा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस

- यह **फाइलियल नामक परजीवी कृमि** के कारण होने वाला परजीवी रोग है। यह संक्रमित काली मक्खियों और मच्छरों के काटने से फैलता है।
- मनुष्य सामान्यतः बचपन में रोगकारक परजीवी के संपर्क में आता है। इसका लार्वा, मनुष्यों में अपना कोई लक्षण दिखाए बिना 5 से 8 साल तक रह सकता है; हालांकि संक्रमित मनुष्य का लसिका तंत्र (lymphatic system) क्षतिग्रस्त हो जाता है। (कृपया चित्र देखें)
- हाथीपाँव रोग के कारण बांह, पैर, घुटनों और जननांगों में **गंभीर सूजन** हो जाती है जिससे **विकृति आ जाती है और अपंगता** पैदा होती है।
- इस बीमारी के कारण शरीर के प्रभावित हिस्से, हलकी सी खरोंच पर भी गंभीर संक्रमण होने के प्रति संवेदनशील (vulnerable) हो जाते हैं (विशेषकर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ साफ़-सफाई कम है)।

बर्डेन ऑफ़ डिज़ीज़

- WHO के अनुमानों के अनुसार 54 से अधिक देशों में 1 बिलियन से अधिक लोगों को यह रोग होने का खतरा है जिनमें से 70% से अधिक लोग भार भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और बांग्लादेश के हैं।
- केवल भारत में विश्व के 40% बर्डेन ऑफ़ डिज़ीज़ के साथ 31 मिलियन से अधिक माइक्रोफाइलेरियामिक्स व 23 मिलियन सिम्प्टोमैटिक फाइलेरियासिस के रोगी हैं। और साथ ही, लगभग 500 मिलियन लोगों के इस रोग से ग्रस्त होने का खतरा है।
- भारत ने 2020 तक इस रोग को समाप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। जबकि इसके पूर्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अंतर्गत वर्ष 2015 तक उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

भारत में इस रोग के उन्मूलन के प्रयास

- वर्ष 1995 में, सरकार ने **राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम** आरंभ किया, जिसका का उद्देश्य था:
  - समस्या का सीमांकन
  - स्थानिक क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों का संचालन करना और
  - कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर कार्यक्रम के लिए मानव शक्ति तैयार करना
  - भारत में वर्ष 2004 से, निवारक औषधि उपलब्ध करवाने के लिए **फाइलेरिया फ्री इंडिया कार्यक्रम** के अंग के रूप में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) चलाया जा रहा है।

'मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन' एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत स्थानिक क्षेत्र (endemic area) की सम्पूर्ण जनसंख्या को दवाइयां दी जाती हैं। भले ही उनमें फाइलेरियासिस का कोई लक्षण हो या नहीं।

- इस कार्यक्रम के अतर्गत, स्थानिक क्षेत्रों (2015) की 88.96% जनसंख्या को निम्नलिखित दो दवाइयां दी जा रही हैं- डाईइथाइलकार्बामैजीन सिट्रेट (DEC) और अल्बेंडाजोल। केवल 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर रूप से बीमार लोगों को ही इन दवाओं से दूर रखा गया है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, माइक्रोफाइलेरिया की दर वर्ष 2014 के 1.2% की तुलना वर्ष 2015 में में गिर कर 0.3% रह गई।

8. संस्कृति

(CULTURE)

8.1. श्रीरंगम मंदिर के लिए यूनेस्को पुरस्कार

(UNESCO Award for Srirangam Temple)

सुर्खियों में क्यों?

- सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित श्री रंगनाथस्वामी मंदिर को 'यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड ऑफ मेरिट 2017' पुरस्कार प्रदान किया गया है।

श्री रंगनाथस्वामी मंदिरः एक परिचय

- यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 108 मुख्य मंदिरों **(दिव्यदेशम)** में से एक है।
- यह मंदिर **कावेरी और कोलेरून नदियों द्वारा निर्मित छोटे से द्वीप** पर अवस्थित है।
- इसमें सात प्रांगण हैं।
- यह **वैष्णव मंदिर** वास्तुकला की **तमिल या द्रविड़ शैली** में निर्मित किया गया है। मंदिर और 1000 स्तंभों वाले विशाल कक्ष का निर्माण विजयनगर काल (1336-1565) में एक प्राचीन मंदिर के स्थान पर किया गया था।
- श्री रंगनाथस्वामी मंदिर का गोपुरम एशिया का सबसे बड़ा गोपुरम है। इसे **"राज गोपुरम"** भी कहा जाता है।
- इस मंदिर ने मंदिर संरचना के पुनरुद्धार में पारंपरिक पद्धतियों के उपयोग और वर्षा जल संचयन एवं ऐतिहासिक जल निकास प्रणाली के पुनर्निर्माण के लिए यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त किया।

सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम हेतु यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवॉर्ड

इसका उद्देश्य ऐतिहासिक संरचनाओं के विरासत मूल्य को प्रभावित किए बिना उनको पुनर्स्थापित और संरक्षित करने हेतु किए गए प्रयासों को अंगीकार करना है।

- इन पुरस्कारों को चार श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है- अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस, अवॉर्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, अवॉर्ड ऑफ मेरिट तथा अवॉर्ड फॉर न्यू डिजाइन।
- मुंबई का क्राइस्ट चर्च और रॉयल बॉम्बे ओपेरा हाऊस, भारत के दो अन्य स्मारक हैं, जिन्हें इस वर्ष *अवार्ड ऑफ मेरिट* प्रदान किया गया।

8.2. चेन्नई यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की सूची में

(Chennai In UNESCO's Creative Cities Network List)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में चेन्नई को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क ('यूनेस्को क्रियेटिव सिटीज नेटवर्क') की सूची में सम्मिलित किया गया है।

यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के समन्वय हेतु उत्तरदायी है। यह राष्ट्रों एवं समाजों के मध्य संबंध को सुदृढ़ करता है और लोगों को एकजुट करता है, ताकि प्रत्येक बच्चे और नागरिकों

- की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित हो सके,
- विविधतापूर्ण समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण में उचित विकास कर सकें,
- वैज्ञानिक प्रगति से पूर्णतया लाभान्वित हो सकें,
- एवं अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग कर सकें।

रचनात्मक शहरों का नेटवर्क क्या है?

- इसे 2004 में निर्मित किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसे **शहरों के साथ तथा उनके मध्य सहयोग** को बढ़ावा देना है जिन्होंने 'रचनात्मकता' को धारणीय शहरी विकास के एक रणनीतिक कारक के रूप में स्वीकृति प्रदान की है।
- 7 रचनात्मक क्षेत्रों अर्थात् शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, संगीत और मीडिया आर्ट्स के आधार पर शहरों को दर्जा प्रदान किया जाता है।
- इस नेटवर्क में सम्मिलित होकर, शहर **अपनी सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली साझा करने, साथ ही** सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज के साथ **साझेदारी विकसित करने हेतु** प्रतिबद्ध हैं ताकि
  - सांस्कृतिक गतिविधियों, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्माण तथा उत्पादन, वितरण और प्रसार को सुदृढ़ता प्रदान की जा सके;
  - रचनात्मकता और नवाचार के केंद्रों का विकास करने और सांस्कृतिक क्षेत्र में रचनाकारों और पेशेवरों के लिए व्यापक अवसरों का निर्माण किया जा सके;
  - विशेषकर हाशिए पर स्थित या सुभेद्य समूहों और व्यक्तियों की सांस्कृतिक जीवन तक पहुँच एवं सहभागिता में सुधार लाया जा सके;
  - संधारणीय विकास योजनाओं में पूरी तरह से संस्कृति और रचनात्मकता को एकीकृत किया जा सके।

VISION IAS

- चेन्नई को अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की सूची में सम्मिलित किया गया है। जयपुर (शिल्प) और वाराणसी (संगीत) के बाद इस सूची में शामिल किया जाने वाला यह **तीसरा भारतीय शहर** है।

8.3. भारतीय नौसेना का इतिहास

(History of Indian Navy)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने **चोल साम्राज्य की नौसेना की महानता** के संबंध में चर्चा की।

चोल साम्राज्य से संबंधित तथ्य:
- **प्रशासन:** प्रशासन की मुख्य विशेषता गांवों में सुस्थापित **स्थानीय स्वशासन** था।
- **महिलाओं की स्थिति:** 'सती' प्रथा शाही परिवारों में प्रचलित थी। उनके शासनकाल के दौरान देवदासी प्रथा का विकास हुआ।
- चोल काल के दौरान तमिल साहित्य का विकास अपने चरम पर पहुँच गया।
- **कला और वास्तुकला की द्रविड़ शैली के उदाहरण:** बृहदेश्वर मंदिर (अब **यूनेस्को** विश्व धरोहर स्थल), नागेश्वर, एरावतेश्वर मंदिर।
- नटराज या नृत्य करते शिव की कांस्य मूर्ति चोल काल की महान कलाकृति है।

चोल नौसेना के संबंध में:
- **संगम साहित्य** में चोल नौसेना की विभिन्न यात्राओं और समुद्री अभियानों के अनेक संदर्भ मिलते हैं।
- चोल नौसेना को सबसे सशक्त नौसेनाओं में से एक माना जाता था। इसने श्रीलंका और मलय प्रायद्वीप में चोल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- उनके पास जहाज निर्माण संबंधी अति समृद्ध और वृहत ज्ञान था।
- चोलों के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर पुहार/कावेरीपट्टनम (राजधानी), अरिकामेडु, कांचीपुरम, नागापट्टनम आदि थे।
- बड़ी संख्या में महिलाओं ने चोल नौसेना में अग्रणी भूमिका निभाई और सक्रिय रूप से युद्धों में भाग लिया।

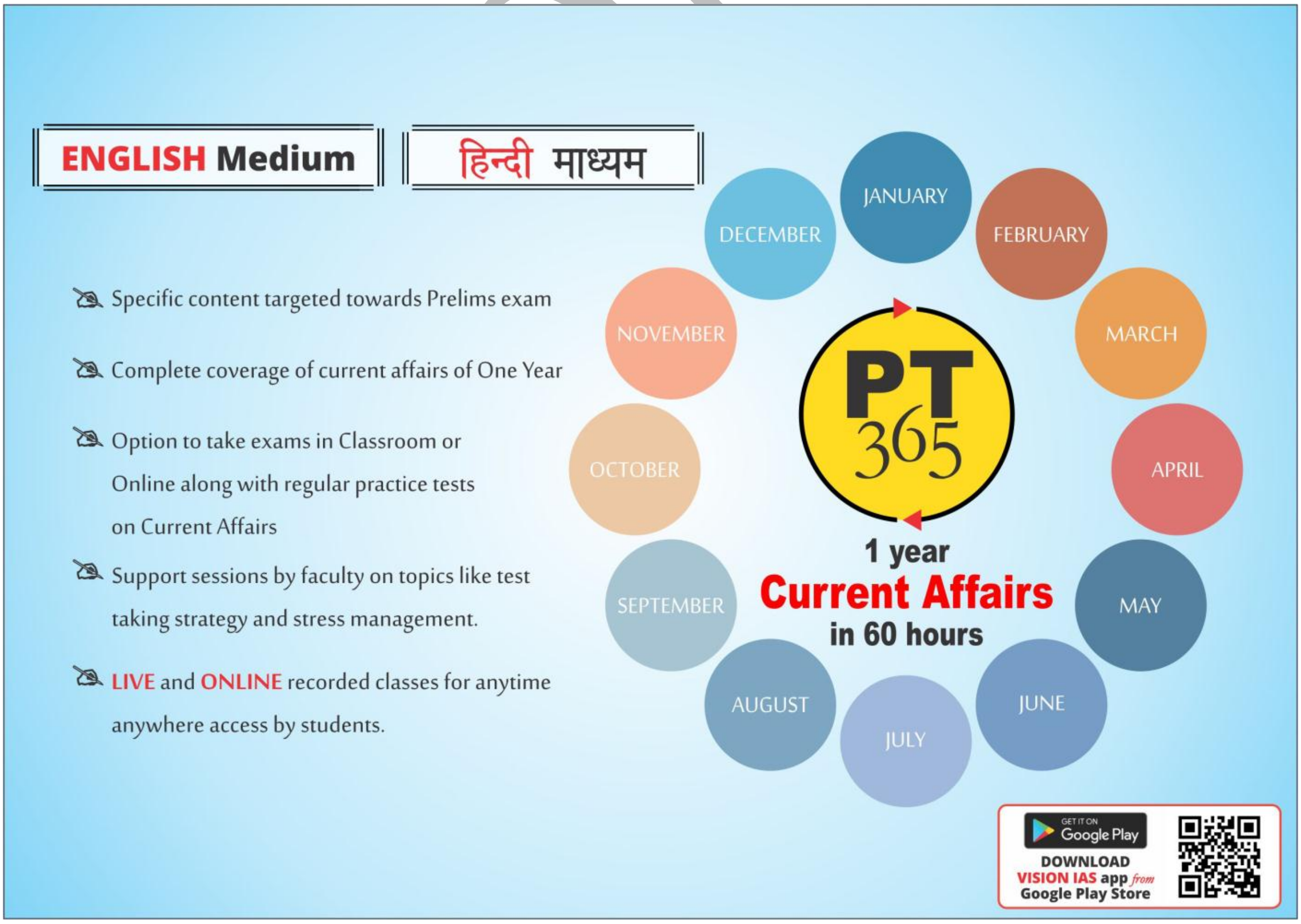

9. नीतिशास्त्र

(ETHICS)

9.1. सिविल सेवकों को नीतिशास्त्र की शिक्षा

(Teaching Ethics to Civil Servants)

सुर्खियों में क्यों?

सिविल सेवा की परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी के लिए चेन्नई में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के प्रोबैशनेरी अधिकारी की गिरफ्तारी ने अखिल भारतीय सेवाओं में भविष्य की नियुक्तियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।

सम्मिलित नैतिक मुद्दे

- **व्यापक रुग्णता:** योग्यता के आधार पर चयनित लोक अधिकारी द्वारा कदाचार का यह उदाहरण व्यापक रुग्णता का प्रतीक है और लोक अधिकारियों में बढ़ती बेईमानी की चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है।
- **सिविल सेवा प्रशिक्षण:** यह घटना सिविल सेवा प्रशिक्षण अकादमी में चरित्र-निर्माण के लिए उठाए जा रहे कदमों की गुणवत्ता पर संदेह पैदा करती है।
- **नैतिक सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक विश्वास को ठेस:** सिविल सेवकों को समाज में परिवर्तन के अभिकर्ताओं और नेतृत्वकर्ता के रूप में सम्मान प्राप्त है। ऐसे उदाहरणों से समाज में सिविल सेवकों की प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- **कदाचार की आर्थिक लागत:** लोक सेवकों द्वारा किये जाने वाले कदाचार से बहुमूल्य संसाधनों की हानि होती है क्योंकि ये देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहयोग करने के लिए होते हैं।
- **कथित उदारता:** लोगों के बीच ऐसी धारणा है कि उच्च स्थानों पर होने वाले अपराधों के लिए दंडित करते समय दोहरे मानक लागू किए जाते हैं। जब इस तरह के अपराधियों पर न्यायालय में मुकदमा चलाए बिना केवल विभागीय जांच के आधार पर ही सेवाएं समाप्त की जाती हैं तो यह धारणा आगे और बलवती होती है। पूर्वानुमति, भ्रष्ट लोक अधिकारियों की रक्षा करने और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के मूल आशय की अवज्ञा करने के साधन के रूप में भी उभर रही है।

सिविल सेवकों में मूल्यों की गिरावट के कारण

- **सामाजिक बुराइयों के प्रति सहिष्णुता :** समाज ने छल-कपट, धोखाधड़ी, भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार और क्रोनी कैपिटलिज्म आदि के विकृत मूल्यों के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण अपना लिया है।
- सरकारी नौकरियों के लिए **बढ़ती प्रतिस्पर्धा** युवाओं पर प्रदर्शन का दबाव बढ़ा रही है, जिससे वे भटक सकते हैं और अनैतिक व्यवहार की ओर रुख कर सकते हैं।
- **भौतिकवाद:** विशेष रूप से वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के आगमन के साथ सामान्यत: समाज में और विशेषकर सिविल सेवकों में भौतिकवादी मूल्यों का प्रसार।
- वरिष्ठ सिविल सेवकों और साथ ही राजनीतिक नेतृत्व के मध्य **रोल मॉडल की कमी** कभी-कभी युवाओं को नैतिक रूप से ईमानदार रहने से विरत करती है। इस प्रकार यह उन्हें परिवर्तन के अभिकर्ता के बजाय यथास्थिति का अंग बनाती है।
- **संस्थागत उदासीनता:** भर्ती के बाद बहुत कम वरिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षुओं को सही मूल्य सिखाने में रुचि लेते हैं। ऐसा प्रशिक्षण की निगरानी के उत्तरदायित्व को कम महत्व दिए जाने और स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के गिरते हुए नैतिक स्तर के कारण है।

सिविल सेवकों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के तरीके

- **भर्ती स्तर पर:** चयन प्रक्रिया द्वारा ऐसे लोगों का चयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिनमें न केवल प्रशासन की अभिरुचि हो बल्कि जो लोग वास्तव में लोक सेवा उन्मुख हों। द्वितीय ARC जैसी विभिन्न समितियों ने इसके लिए भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक विशिष्ट सुधारों का विस्तृत विवरण दिया है।

प्रशिक्षण स्तर पर:

- **द्वितीय ARC:** राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और साथ ही राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के शासी निकाय की संरचना को प्रख्यात विशेषज्ञों की नियुक्ति द्वारा व्यापक बनाया जाना चाहिए।
- प्रत्येक सरकारी सेवक को प्रवेश चरण और साथ ही उसके कैरियर के दौरान समय-समय पर अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इन प्रशिक्षणों का सफल समापन सेवा में स्थायीकरण और बाद में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम आवश्यक शर्त होनी चाहिए।
- राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति (1996) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण के बाद

- **होता समिति** ने ईमानदार सिविल सेवकों को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन और उत्पीड़न से बचाने हेतु भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में संशोधन की अनुशंसा की है।

VISION IAS

- साथ ही इसने यह भी अनुशंसा की है कि लोक सेवा में सत्यनिष्ठा, योग्यता और उत्कृष्टता के मूलभूत मूल्यों का समावेश करते हुए सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ एथिक्स) तैयार की जानी चाहिए।
- वरिष्ठ सिविल सेवकों को नैतिक व्यवहार के मार्ग की दिशा में नव-नियुक्त सदस्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

- **द्वितीय ARC**: किसी एक वर्तमान राष्ट्रीय/राज्य संस्थान का उन्नयन करके **राष्ट्रीय सुशासन संस्थान (नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस)** की स्थापना की जा सकती है। यह संस्थान सर्वोत्तम परंपराओं का प्रसार करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के मंच के रूप में कार्य करेगा और इस प्रकार यह नैतिक शासन के लिए उच्च मानक स्थापित करेगा।

9.2. सहिष्णुता का गुण और उसका अनुशीलन

(The Virtue and Practice of Toleration)

सुर्खियों में क्यों?

उत्तरोत्तर यह महसूस किया जा रहा है कि हम उग्र एवं टकराव पूर्ण विश्व की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें सहिष्णुता की आवश्यकता है। अतः सहिष्णुता की एक बेहतर समझ भारतीय समाज में अपरिहार्य है।

परिभाषा

- स्वयं से भिन्न मतों, प्रथाओं, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता इत्यादि वाले लोगों के प्रति निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और अनुमेय दृष्टिकोण अपनाना सहिष्णुता का परिचायक है। यह मानवाधिकारों, विशेष रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता और विचारों की स्वतंत्रता को उच्च सम्मान प्रदान करती है।
- वहीं दूसरी ओर, असहिष्णुता अपनी मान्यताओं की अचूकता और सत्यता तथा दूसरों की तुलना में उनकी श्रेष्ठता की धारणा से उत्पन्न होती है, जो दूसरों पर अपनी विचारधारा के बलात आरोपण का कारण बनती है, जिसका परिणाम प्राय: हिंसा के रूप में सामने आता है।

भारत में प्राचीन परंपरा के रूप में सहिष्णुता

- अपने अभिलेखों में **सम्राट अशोक** ने अपनी प्रजा से अहिंसा का व्यवहार करने और भारत में सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करने के लिए कहा है।
- **कौटिल्य** ने कहा है कि विजयी राजा को विजित देश की प्रथाओं, रीति-रिवाजों और उसकी पारिवारिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए।
- **जैन धर्म** ने अनेकांतवाद (मतों की बहुलता की वैधता) और स्यादवाद (शायद का सिद्धांत) की अवधारणाओं के माध्यम से अहिंसा और सहिष्णुता के विचारों पर अत्यधिक बल दिया।
- **अकबर** ने जजिया समाप्त करने वाला कानून पारित किया और सभाएं आयोजित कीं जिनमें हर पंथ और धर्म के प्रतिनिधि विचारों का आदान-प्रदान कर सकते थे।
- **कबीर जैसे भक्तिकालीन कवियों** ने हिंदू और इस्लामी विद्वानों को आडम्बरपूर्ण और अज्ञानी मानते हुए इनके बीच प्रचलित असहिष्णुता की सभी अभिव्यक्तियों की निंदा की है।
- **गांधी के सिद्धांतों** ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सत्याग्रह के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में सहिष्णुता और अहिंसा के विचार का प्रयोग किया।

दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवहार के रूप में सहिष्णुता

व्यक्ति के दृष्टिकोण के रूप में और सामाजिक व्यवहार के रूप में सहिष्णुता निम्नलिखित तरीकों से प्रकट होती है:

- **नकारात्मक सहिष्णुता:** इसका अर्थ- दूसरों की गतिविधियों के नैतिक रूप से निन्दनीय होने पर, हस्तक्षेप की शक्ति होने के बावजूद हस्तक्षेप से बचना है।
- **सकारात्मक सहिष्णुता:** जहां नकारात्मक सहिष्णुता में किसी व्यक्ति को पूर्व की घृणा की पृष्ठभूमि में अनिच्छा से स्वीकार किया जाता है, वहीं सकारात्मक सहिष्णुता अनिवार्य रूप से प्रेम, मित्रता, भाईचारा और दूसरों के प्रति सराहनीय दृष्टिकोण को बनाए रखने का गुण है।
- **शक्ति संतुलन के कारण सहिष्णुता:** जहाँ दो समूह हस्तक्षेप करने से बचते हैं क्योंकि हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न संघर्ष की बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।
- **उदासीनता के दृष्टिकोण के रूप में सहिष्णुता:** यह 'जियो और जीने दो' का दृष्टिकोण प्रदर्शित करने वाली सहिष्णुता है, जो विशेष रूप से उत्तर-औद्योगिक, व्यक्तिवादी, उदारवादी समाजों की विशेषता है।

समाज में सहिष्णुता उत्पन्न करने के तरीके

- **शिक्षा** को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी स्तरों पर सहिष्णुता के गुण का विकास हो तथा पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी दृष्टिकोण को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।

VISION IAS

- विभिन्न पुरस्कारों (जैसे सहिष्णुता के लिए UNESCO का मदनजीत सिंह पुरस्कार) के माध्यम से सहिष्णुता के लिए **रोल मॉडल** का प्रचार करना और समाज में उनके योगदान के संबंध में जानकारी का प्रसार करना।
- कानूनी उपायों, मानवाधिकारों के प्रवर्तन, सूचना तक पहुँच और प्रेस की स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत जागरूकता के माध्यम से **असहिष्णुता का मुकाबला करने पर** भी समान रूप से ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- **प्रेस को परिणामों से भयभीत हुए बिना असहिष्णुता की घटनाओं की स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए** और निरंतर इस संदेश का प्रचार करना चाहिए कि किसी भी समूह या निकाय के पास सत्य और नैतिकता का एकाधिकार नहीं है।
- इसके साथ-साथ प्रत्येक नागरिक को हमारे बहु-धार्मिक, बहु-सांस्कृतिक राष्ट्र में **सहिष्णुता को बढ़ावा देने का संकल्प लेना** चाहिए और इस प्रकार हमारे बहुलतावादी लोकतंत्र को मजबूत और समृद्ध बनाना चाहिए, जो हमारे राष्ट्र का गौरव है।

10. विविध

(MISCELLANEOUS)

10.1. सौभाग्य पोर्टल

(Saubhagya Portal)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत **'सौभाग्य' वेब पोर्टल** का शुभारंभ किया गया।

सौभाग्य योजना

- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना का उद्देश्य दिसंबर 2018 तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 40 मिलियन से अधिक परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करना है।
- सम्पूर्ण देश में इस योजना के संचालन हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

पोर्टल की विशिष्टताएं:

- यह रियल टाइम में घरेलू विद्युतीकरण की स्थिति (राज्य, जिला, गांव-वार) और घरेलू प्रगति की जानकारी का प्रसारण करेगा।
- यह विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) द्वारा गांवों में आयोजित किये जाने वाले ग्रामीण विद्युतीकरण शिविरों में दस्तावेजीकरण की अनिवार्यता को पूरा करने हेतु तत्काल आवेदन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगा। इससे घरों में शीघ्रता से विद्युत कनेक्शन पहुँच सकेगा।

10.2. लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा पहल

(Ladakh Renewable Energy Initiative)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, बियारस लघु जल विद्युत परियोजना (SHP), प्रधानमंत्री की लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा पहल के तहत प्रारंभ होने वाली प्रथम परियोजना बन गई है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

प्रधानमंत्री की लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा पहल का उद्देश्य लघु/सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं, सौर फोटोवोल्टिक (SPV) विद्युत संयंत्रों तथा जल तापक और सौर कुकर आदि जैसे सौर ताप सयंत्रों की स्थापना के माध्यम से इस क्षेत्र में डीज़ल, केरोसिन और जलावन लकड़ी पर निर्भरता को कम करना है।

- इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- बियारस परियोजना का विकास कारगिल नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (KREDA) द्वारा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के तहत किया गया है।

10.3. उमंग ऐप

(UMANG App)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने **UMANG या यूनीफाइड मोबाइल ऐप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस** ऐप का शुभारंभ किया है।

प्रमुख बिंदु

- इसका उद्देश्य मोबाइल के माध्यम से सरकारी सेवाओं (केंद्रीय, राज्य और जनोपयोगी सेवाओं) तक पहुँच को एक ही स्थान पर सुगम बनाने हेतु एक उभयनिष्ठ, एकीकृत मंच और मोबाइल ऐप का निर्माण करना है।
- यह एक **मल्टी-यूटिलिटी ऐप** है। यह आधार, डिजीलॉकर, रैपिड असेसमेंट सिस्टम एवं भारत बिल पेमेंट सिस्टम आदि अन्य प्रमुख सरकारी सेवाओं को समेकित करता है। इसे 13 भारतीय भाषाओं में संचालित किया जा रहा है।
- इसे **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** (MeitY) और **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग** (NeGD) द्वारा विकसित किया गया है।

10.4. भारत सड़क आकलन कार्यक्रम

(India Road Assessment Programme)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय सड़क आकलन कार्यक्रम (International Road Assessment Programme) के द्वारा भारत सड़क आकलन कार्यक्रम (IndiaRAP) का शुभारंभ किया गया। यह राजमार्गों के सुरक्षा स्तरों का मूल्यांकन करेगा और सबसे असुरक्षित सड़कों के उन्मूलन का प्रयास करेगा।

VISION IAS

इस कार्यक्रम के संबंध में

- **अंतर्राष्ट्रीय सड़क आकलन कार्यक्रम (IRAP)** एक चैरिटी संगठन है। यह सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सड़कों को सुरक्षित बनाने के प्रति समर्पित है।
- IndiaRAP कार्यक्रम को FedEx एक्सप्रेस का समर्थन प्राप्त है और इसकी मेजबानी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट द्वारा की जाएगी।
- यह भारतीय सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का वैश्विक सहकर्मियों के साथ संपर्क स्थापित कर **स्थानीय क्षमता और विशेषज्ञता** का भी निर्माण करेगा।
- यह **IRAP की एविडेंस बेस्ड स्टार रेटिंग सिस्टम और निवेश नियोजन उपकरणों** का प्रयोग करके सड़क सुरक्षा का मूल्यांकन भी करेगा, जो **सुरक्षा स्तरों** का एक सरल और वस्तुनिष्ठ आकलन प्रदान करेगा (सबसे असुरक्षित सड़कों हेतु 1 स्टार और सबसे सुरक्षित सड़कों हेतु 5 स्टार रेटिंग)।
- IndiaRAP एक और दो स्टार रेटिंग वाली सड़कों के उन्मूलन का प्रयास करेगा और देश में सुरक्षित तथा अच्छी सड़कों के निर्माण और डिज़ाइन को प्रोत्साहित करेगा।

10.5. निवेश बंधु

(Nivesh Bandhu)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, वर्ल्ड फूड इंडिया एक्सपो (World Food India Expo), 2017 के दौरान **'निवेश बंधु'** नामक एक निवेशक सुविधा पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह पोर्टल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य सरकारों की निवेशक अनुकूल नीतियों, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, अवसंरचना एवं निवेश के संभावित क्षेत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय व भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य विनियामक पोर्टल का भी शुभारंभ किया है।
- खाद्य व्यवसायों द्वारा घरेलू व्यापार और खाद्य आयात दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इसे एकल इंटरफ़ेस के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
- यह खाद्य व्यवसायों को सुविधा प्रदान करने और अनुपालन लागत को कम करने हेतु एक ही स्थान पर अनेक IT प्लेटफॉर्म्स की सुविधा प्रदान करता है।

10.6. दीनदयाल स्पर्श योजना

(Deen Dayal Sparsh Yojana)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने डाक-टिकट संग्रह को बढ़ावा देने हेतु स्पर्श (SPARSH) योजना आरंभ की है।

डाक टिकट संग्रह (फिलेटली) – इसमें विषयगत क्षेत्रों (thematic areas) के आधार पर डाक टिकटों या संबंधित उत्पादों की खोज करना, उनकी अवस्थिति का पता लगाना, उन्हें प्राप्त करना, सूचीबद्ध करना, प्रदर्शित एवं संग्रहित करना तथा उनका अनुरक्षण शामिल है।

डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि और शोधकार्य को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति– SPARSH योजना

- यह योजना सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर डाक टिकटों के संग्रहण एवं अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु आरम्भ की गई है।
- इस योजना के एक घटक के रूप में, मेधावी छात्रों में अभिरूचि के तौर पर डाक टिकट संग्रहण को प्रोत्साहित करने हेतु वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- **युवा डाक टिकट संग्रहकर्ताओं** को उनकी अभिरुचि तथा उनके परियोजनाओं के प्रोत्साहन व मार्गदर्शन के लिए सम्बंधित विद्यालयों को फिलेटली सलाहकार भी उपलब्ध करवाया जायेगा।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

VISION IAS